राष्ट्रीय सेवा योजना मैनुअल

(संशोधित)

2006

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

भाग-I **राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रस्तावना**

अध्याय 1 राष्ट्रीय सेवा योजना का चिंतन

अध्याय 2 एनएसएस- मूल अवधारणाएं

भाग-II **एनएसएस कार्यक्रम और कार्यकलाप**

अध्याय 1 मूल अवधारणाएं और घटक

अध्याय 2 एनएसएस कार्यक्रम और कार्यकलाप

भाग-III **विशेष शिविर कार्यक्रम**

अध्याय 1 विशेष शिविर कार्यक्रम

अध्याय 2 विशेष शिविर कार्यक्रम की योजना और तैयारी

अध्याय 3 विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु व्यय की वित्तीय पद्धति

भाग-IV **प्रशासनिक संरचना**

अध्याय 1 राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक संरचना

अध्याय 2 राज्य स्तर पर प्रशासनिक संरचना

अध्याय 3 विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक संरचना

अध्याय 4 +2 स्तर पर प्रशासनिक संरचना

अध्याय 5 एनएसएस सलाहकार समितियां

भाग-V **कार्यक्रमों/कार्यकलापों की योजना**

अध्याय 1 राज्य स्तर पर योजना

अध्याय 2 विश्वविद्यालय स्तर पर योजना

अध्याय 3 संस्था स्तर पर योजना

अध्याय 4 एनएसएस कार्यक्रमों की योजना

भाग-VI **एनएसएस कार्यक्रमों का कार्यान्वयन**

अध्याय 1 संस्था स्तर पर एनएसएस - एनएसएस यूनिट की संरचना और प्रशासन

अध्याय 2 कार्यक्रम अधिकारी- नियुक्ति, कर्तव्य और कार्य

अध्याय 3 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक

अध्याय 4 राज्य, विश्वविद्यालय और +2 परिषद स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रशासनिक सहायता

भाग-VII प्रशिक्षण,अनुकूलन अनुसंधान और मूल्यांकन

अध्याय 1 प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र

अध्याय 2 कार्यक्रम अधिकारियों और मुख्य कार्मिकों का प्रशिक्षण

अध्याय 3 अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रकाशन

भाग-VIII वित्त और लेखा

अध्याय 1 वित्तीय व्यय की पद्धति

अध्याय 2 वित्तीय व्यय की पद्धति (विश्वविद्यालय और +2 परिषद स्तर)

अध्याय 3 कॉलेज स्तर / स्कूल स्तर पर +2 स्तर पर वित्तीय व्यय की पद्धति

अध्याय 4 लेखाओं का रखरखाव

<u>अनुबंध</u>

01. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवसों/सप्ताहों की सूची

02. एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों की सूची

03. राज्य संपर्क सेलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु तिमाही रिपोर्टों का प्रोफार्मा

04. एनएसएस दिवस परिवर्तन मनाना

05. बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज के उपयोग संबंधी निर्देश

06. जेब खर्च भत्ता- आय कर से छूट

07. इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार

08. कार्य डायरी का नमूना

09. एनएसएस प्रमाण-पत्र का नमूना

10. विश्वविद्यालय/+2 परिषदों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु छमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा

11. टीओआरसी/टीओसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु छमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा

12. विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक व्यय में संशोधन

13. एनएसएस निधियों से खरीदे गए वाहन और उपकरण

14. एनएसएस निधियों से दृश्य-श्रव्य उपकरणों की खरीद

भाग-I

राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रस्तावना

अध्याय 1 : राष्ट्रीय सेवा योजना का चिंतन

राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास और विकास

1. भारत में, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा के कार्य में भागीदार बनाना राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ था।उन्होंने जो मुख्य बात बार-बार अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया था वह यह थी कि उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा स्वयं से ऊपर रखना चाहिए। विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य अध्ययन के अपने समय को बौद्धिक विचारों में मग्न रहने का एक अवसर मानना नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें इसे उन लोगों की सेवा में संपूर्ण समर्पण के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मानना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय माल और सेवाओं के रूप में राष्ट्र का मुख्य आधार तैयार किया जो किसी समाज के लिए बहुत अनिवार्य होता है। उन्हें ऐसे समुदाय, जिनके बीच उनकी संस्था स्थित है, के साथ जीवंत संपर्क बनाने की सलाह देते हुए, उन्होंने यह सुझाव दिया कि आर्थिक और सामाजिक दिव्यांगता के बारे में शैक्षिक अनुसंधान करने के बजाय विद्यार्थियों को "कुछ ऐसा सकारात्मक करना चाहिए ताकि ग्रामिणों का जीवन और ऊंचे भौतिक और नैतिक स्तर पर उठ सके"।
2. स्वतंत्रता बाद का समय शैक्षिक सुधार के उपाय, और शिक्षित मानव शक्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के साधन, दोनों के रूप में विद्यार्थियों के लिए सामाजिक सेवा शुरू करने की प्रेरणा का समय था। डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ओर विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच स्वस्थ संपर्क विकसित करने और दूसरी ओर परिसर और समुदाय के बीच एक रचनात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से स्वैछिक आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की सिफारिश की।
3. इस अवधारणा पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) द्वारा जनवरी, 1950 में आयोजित अपनी बैठक में फिर से विचार किया गया। इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद और इस क्षेत्र में अन्य देशों के अनुभव के आलोक में, बोर्ड ने यह सिफारिश की कि विद्यार्थी स्वैछिक आधार पर कुछ समय हाथ से काम करने को दें और यह कि ऐसे कार्य में शिक्षक भी उनसे जुड़ें। 1952 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष तक सामाजिक और श्रम सेवा की आवश्यकता पर और बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों द्वारा श्रम और सामाजिक सेवा शिविर, परिसर कार्य परियोजनाएं, ग्राम शिक्षुता स्कीम आदि चालू की गई। 1958 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को अपने पत्र में स्नातक शिक्षा के लिए सामाजिक

सेवा को एक पूर्वापेक्षा के रूप में रखने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निदेश भी दिया।

4. 1959 में, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में उक्त योजना की प्रारूप रूप रेखा प्रस्तुत की गई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सेवा हेतु एक साध्य योजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता पर सर्वसम्मति बनी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह की शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है, उसमें कुछ और किए जाने की आवश्यकता है और इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम जोड़ना आवश्यक है जिससे देश के सामाजिक और आर्थिक निर्माण में रूचि पैदा हो। यह देखा गया कि यदि इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है तो सामाजिक सेवा को यथा संभव और शीघ्र शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इस सम्मेलन में प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। इन सिफारिशों के अनुसरण में, इस दिशा में ठोस सुझाव देने के लिए 28 अगस्त, 1959 को डॉ. सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सेवा समिति नियुक्त की गई। समिति ने यह सिफारिश की कि माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी करने वाले और स्वयं को कॉलेज या विश्वविद्यालय में पंजीकृत करवाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के लिए 09 माह से 1 वर्ष की अवधि की राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य की जाए। इस योजना में कुछ सैन्य प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, शारीरिक श्रम और सामान्य शिक्षा को शामिल किया जाना है। समिति की सिफारिशों के वित्तीय भार और कार्यान्वयन में कठिनाईयों को देखते हुए इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

5. 1960 में, भारत सरकार के अनुरोध पर प्रो. के.जी. सैयीदैन ने विश्व के कई देशों में कार्यान्वित विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन किया और अनेक सिफारिशों के साथ "युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा" शीर्षक से इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा की व्यवहार्य योजना विकसित करने के लिए भारत में क्या किया जा सकता है? इस बात की भी सिफारिश की गई कि परस्पर बेहतर संबंध के लिए सामाजिक सेवा शिविर निर्धारित आयु समूह के भीतर विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों, दोनों के लिए होने चाहिए।

6. डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66) ने यह सिफारिश की कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अप्रैल, 1967 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान शिक्षा मंत्रियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया और उन्होंने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कडेट कोर (एनसीसी) में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है जो पहले से स्वैछिक आधार पर चल रहा है और उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) नामक एक नए कार्यक्रम के रूप में इसका विकल्प दिया जा सकता है। तथापि, होनहार खिलाड़ियों को इन

दोनों से छूट दी जानी चाहिए और खेलों और एथलेटिक्स के विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसओ) नामक एक अन्य स्कीम में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7. सितंबर, 1969 में कुलपतियों के सम्मेलन ने इस सिफारिश का स्वागत किया और यह सुझाव दिया कि इस प्रश्न की विस्तार से जांच करने के लिए कुलपतियों की एक विशेष समिति गठित की जा सकती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विवरण में यह निर्धारित किया गया कि कार्य का अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। मई, 1969 में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुलाए गए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय अखण्डता के लिए राष्ट्रीय सेवा एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसे शहरी विद्यार्थियों को ग्रामीण जीवन से परिचित कराने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में विद्यार्थी समुदाय के योगदान के प्रतीक के रूप में स्थायी महत्व की परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

8. इसका ब्यौरा शीघ्र ही तैयार कर लिया गया और योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के लिए 5 करोड़ रु. का परिव्यय स्वीकृत कर दिया। यह शर्त रखी गई कि एनएसएस कार्यक्रम चुनिंदा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए।

9. 24 सितंबर, 1969 को, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. वी. के. आर. वी. राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस कार्यक्रम शुरू किया और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहयोग और सहायता का अनुरोध किया। यह उचित भी था कि यह कार्यक्रम गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान शुरू किया गया क्योंकि गांधी जी ने ही भारतीय स्वतंत्रता और देश के दलित लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए आन्दोलन में भाग लेने के लिए भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था।

10. इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत यह है कि यह स्वयं विद्यार्थियों द्वारा ही आयोजित किया जाता है और विद्यार्थियों और शिक्षकों को सामाजिक सेवा में अपनी संयुक्त सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के कार्यों में भागीदारी का बोध होता है। इसके अलावा, विशेष रूप से विद्यार्थी कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं जो उन्हें स्वरोजगार या विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी होने पर किसी संगठन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। प्रारंभ में, इसके लिए प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस विद्यार्थी 120 रु. के व्यय का वित्तीय प्रावधान रखा गया जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 7:5 के अनुपात में वहन किया जाना था अर्थात प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस विद्यार्थी केंद्र सरकार द्वारा 70 रु. और राज्य सरकार द्वारा 50 रु. दिया जाना है। कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस विद्यार्थी 120 रु. खर्च किया जाना है जिसे केंद्र और

राज्य सरकारों द्वारा 7:5 के अनुपात में वहन किया जाना है (प्रति एनएसएस विद्यार्थी केंद्र सरकार द्वारा 70 रु. और राज्य सरकार द्वारा 50 रु. दिया जाना है)। मुद्रा स्फिति को ध्यान में रखते हुए, अब विशेष शिविर और नियमित कार्यकलापों के लिए उक्त राशि में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

11. इस योजना के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है। 1969 में, प्रारंभ में 40000 विद्यार्थियों के पंजीकरण से शुरू करते हुए 1995-96 के दौरान एनएसएस विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़कर 11.36 लाख हो गई। छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एनएसएस विद्यार्थियों की भागीदारी इस प्रकार रहीः

1980-81	-	4.75 लाख
1981-82	-	5.12 लाख
1982-83	-	5.40 लाख
1983-84	-	5.71 लाख
1984-85	-	6.10 लाख
1985-86	-	7.20 लाख
1986-87	-	7.74 लाख
1987-88	-	8.50 लाख
1988-89	-	8.88 लाख
1989-90	-	10.38 लाख
1990-91	-	10.97 लाख
1991-92	-	10.26 लाख
1992-93	-	10.26 लाख
1993-94	-	11.16 लाख
1994-95	-	11.24 लाख
1995-96	-	11.36 लाख
1996-97	-	12.89 लाख
1997-98	-	13.52 लाख

12. अब यह योजना देश में सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों में लागू है और कई राज्यों में +2 स्तर को भी शामिल किया गया है। अब विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी पदधारी, विश्वविद्यालय और कॉलेज/स्कूल और आमजन एनएसएस की आवश्यकता और महत्व महसूस करते हैं। इसने युवा विद्यार्थियों में जीवन की वास्तविकताओं की जागरूकता, लोगों की बेहतर

समझ और समस्याओं का बोध पैदा किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना, परिसर को समुदाय की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बनाने में एक ठोस प्रयास है। एनएसएस यूनिटों के उत्कृष्ट कार्य और अनुकरणीय आचरण के कई उदाहरण हैं जिससे उन्हें लोगों का आदर और विश्वास मिला है। 'आकाल समय में युवा (1973)','गंदगी और रोग समय में युवा (1974-75)','आर्थिक विकास हेतु युवा' और 'ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु युवा''राष्ट्रीय विकास हेतु युवा और साक्षरता हेतु युवा (1985-93)''राष्ट्रीय अखण्डता और सामप्रदायिक सदभावना हेतु युवा (1993-95)' से समुदाय और विद्यार्थियों, दोनों को लाभ हुआ है। विशेष शिविर के लिए वर्ष 1995-96 से विषय का नाम वाटरशेड प्रबंधन और जल भूमि विकास पर फोकस के साथ 'सतत विकास हेतु युवा' है। विषयों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप चुना गया है। साथ ही 1991-92 से राष्ट्रीय सेवा योजना ने "विश्वविद्यालय में एड्स पर चर्चा" (यूटीए) नामक एड्स जागरूकता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिस पर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है और इसकी सराहना की गई है।

13. विश्वविद्यालय और +2 स्तर के विद्यार्थियों द्वारा दी गई समुदाय सेवा में कई पहलुओं पर काम किया गया है जैसे गहन विकास कार्य के लिए गांवों को गोद लेना, चिकित्सा, सामाजिक सर्वेक्षण करना, चिकित्सा केंद्र स्थापित करना, व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम, साफ-सफाई अभियान, समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, रक्त दान, अस्पतालों में मरीजों की सेवा, अनाथालयों में अनाथों और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा आदि। एनएसएस स्वयंसेवकों ने पूरे देश में समय-समय पर चक्रवात, बाढ़, अकाल, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं/आपात स्थितियों के दौरान सराहनीय राहत कार्य किया। एनएसएस विद्यार्थियों ने सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन, और राष्ट्र-वाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सदभावना, वैज्ञानिक रुझान के विकास जैसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाने में उपयोगी कार्य भी किया है।

प्रस्तावित विस्तार

14. गत वर्षों में एनएसएस कार्यक्रमों का मात्रा और गुणवत्ता, दोनों की दृष्टि से विस्तार हुआ है। अगस्त, 1984 में भारत सरकार द्वारा एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी कि एनएसएस के कार्यक्रम में काफी क्षमता है, अतः इसे जारी रहना चाहिए और इसका विस्तार किया जाना चाहिए। समिति ने प्रत्येक वर्ष एनएसएस के तहत 10 प्रतिशत और ज्यादा विद्यार्थियों को शामिल करने की भी सिफारिश की। सरकार द्वारा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और नौवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम के तहत 20 लाख विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

15. हाल में, इस योजना का विस्तार करके इसे एक खुली यूनिट बनाया गया है जिसमें एनएसएस के पूर्व स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्य करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

+2 स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना

16. +2 स्तर पर योजना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दमन एवं दिव संघ राज्य क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर 1985 में शुरू की गई थी। विशिष्ट एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद इसे अन्य राज्यों में लागू किया गया है। वर्ष 1992 तक एनएसएस कार्यक्रम को गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है जिनमें 1.60 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस समय एनएसएस की कुल संख्या 1.3 मिलियन से अधिक है।

16.1 चूंकि नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका स्वीकार की गई है और इसकी सराहना की गई है, अतः राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाए। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों से आशा है कि वे अपने बजट में आवश्यक प्रावधान करें ताकि प्रत्येक वर्ष एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्यां में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) में विशेष बल

17. 1992 में किए गए संशोधन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि युवाओं को शैक्षिक संस्थानों और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।विद्यार्थियों को किसी न किसी मौजूदा योजना में भाग लेना होगा, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कडेट कोर। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

"विस्तार कार्य के लिए शैक्षिक अधिमान दिए जाने पर विचार किया जा सकता है और कतिपय क्षेत्रों में इसे सीधे सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास जैसे विस्तार कार्यकलापों से जोड़ा जा सकता है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति- सिफारिश पैरा 8.22)।

"हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 8.22 का पूर्णतः अनुमोदन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि सभी विद्यार्थी किसी न किसी मौजूदा योजना में भाग लें, विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कडेट कोर (एनसीसी)। पैरा 13.4 शिक्षा पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति बोर्ड- जनवरी, 1992

17.1 उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्रवाई, 1992 के कार्यक्रम में यह प्रावधान किया गया है कि इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी प्रेरित करने और उसे बनाए रखने हेतु प्रोत्साहनों से बिल्कुल अलग शिक्षकों की रूचि और सहभागिता प्रेरित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन विकसित किए जाएं। संभव प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल हो सकता हैः

(क) विश्वविद्यालय प्रणाली के तीसरे आयाम के तहत विस्तार कार्य के रूप में एनएसएस में शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान को अनुसंधान कार्य के बराबर मानना।

(ख) एनएसएस के तहत उत्कृष्ट योगदानों हेतु शिक्षकों के लिए विशेष प्रोत्साहन

(ग) कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भीतर पदोन्नति हेतु भी एनसीसी, एनएसएस आदि के तहत उत्कृष्ट रिकार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन।

(पैरा सं. 20.3.3: भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्रवाई, 1992 का कार्यक्रम)

17.2 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा योजना को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी से आशा है कि वह एनएसएस या एनसीसी में भाग लेगा। अब यह महसूस किया गया है कि यह योजना विशेष रूप से हमारे देश में वर्तमान परिसर परिदृश्य, जहां विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास और अन्य कार्यकलापों के अवसर बहुत कम हैं, के संदर्भ में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए काम करने की आवश्यकता है जिसमें विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में और +2 स्तर पर सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यथा परिकल्पित एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से ऐसे अवसर मिल सकें।

18. राष्ट्रीय सेवा योजना का विगत अनुभव काफी उत्साहवर्धक रहा है। इससे विद्यार्थियों को स्कूलों/कॉलेजों और विश्वविद्यालों में समुदाय सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के विविध अवसर मिले हैं।

अध्याय 2 एनएसएस- मूल अवधारणाएं

पूर्व यथा परिकल्पित राष्ट्रीय सेवा योजना का समग्र लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली को और बडा आयाम देना और युवा विद्यार्थियों में उस समय समुदाय सेवा की समझ पैदा करना जब वे शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत हों। यह उद्देश्य तैयार करने का कारण यह सामान्य बात मानना है कि कॉलेज और +2 स्तर के विद्यार्थियों में गांव / मलिन बस्तियों के लोगों से अलग रहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि यही लोग भारत की जनसंख्या का मुख्य भाग हैं। शिक्षित युवाओं को गांव / मलिन बस्ती समुदाय की समस्याओं से अनभिज्ञ पाया गया है जबकि उनसे आशा कि जाती है वे भविष्य में प्रशासन की बागडोर संभाल लेंगे और कुछ विशेष मामलों में तो वे अपनी जरूरतों और समस्याओं के प्रति उदासीन होते हैं। अत: विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना जगाना और उन्हें गांवों और मलिन बस्तियों में लोगों के साथ काम करने का अवसर देना अवश्यक है। यह महसूस किया गया है कि आम ग्रामिणों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ उनके परस्पर संपर्क से उन्हें जीवन की वास्तविकताओं का पता चलेगा और इससे उनकी सामाजिक सोच में बदलाव होगा।

उद्देश्य :

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) समुदाय को समझना जिसमें वे काम करते है;

(ii) समुदाय की तुलना में स्वयं को समझना;

(iii) समुदाय की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करना और उन्हें समस्या के समाधान की प्रक्रिया में भागीदार बनाना;

(iv) स्वयं में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी का बोध विकसित करना;

(v) व्यक्तिगत और समुदाय की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान ढूंढने में उनके ज्ञान का उपयोग करना;

(vi) समूह में रहने और जिम्मेदारियों को बांटने के लिए जरूरी क्षमता विकसित करना;

(vii) समुदाय सहभागिता जुटाने में कौशल अर्जित करना;

(viii) नेतृत्व गुण और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति विकसित करना;

(ix) आपातकालीन स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करना;

(x) राष्ट्रीय अखण्डता और सामाजिक सद्भावना बनाएं रखना;

ध्येय

2. राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय है : **'मैं ही नहीं आप भी'**। इससे लोकतांत्रिक रहन-सहन की भावना परिलक्षित होती है और नि:स्वार्थ सेवा तथा दूसरे व्यक्ति की सोच की समझ और दूसरे

मनुष्यों के प्रति चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता को बल मिलता है। इससे यह उजागर होता है कि किसी व्यक्ति का कल्याण समग्र रूप से सामाज के कल्याण पर निर्भर है, अत: दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम में इस ध्येय को प्रदर्शित करना राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना चिन्ह

3. राष्ट्रीय सेवा योजना का चिन्ह, जैसा इस मैनुअल के आवरण पृष्ठ पर दर्शाया गया है, ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मन्दिर के 'रथ' के पहिए पर आधारित है। सूर्य मन्दिर के इन विशाल पहियों में सृष्टि, परिरक्षण और मुक्ति के चक्र को दर्शाया गया है, और यह संपूर्ण काल और स्थान में जीवन के चलने का संकेत है। सूर्य-रथ पहिए के सरल रूप में इस चिन्ह के डिजाइन में मुख्यत: जीवन की यात्रा को चित्रित किया गया है। यह पहिया जीवन के प्रगतिशील चक्र का द्योतक है। यह निरंतरता और परिवर्तन का प्रतीक है और सामाजिक बदलाव तथा उत्थान के लिए एनएसएस के सतत प्रयास का परिचायक है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का बैज

4. राष्ट्रीय सेवा योजना का चिन्ह इसके बैज पर अंकित है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंयसेवक जब समुदाय सेवा का कोई कार्यक्रम करते हैं तो वे इसे पहनते हैं। चिन्ह में कोणार्क पहिये में आठ छडे हैं जो दिन के 24 घण्टों को दर्शाती हैं। अत: यह बैज इसके धारक को रात-दिन राष्ट्र की सेवा में तैयार रहने की याद दिलाता है। बैज में लाल रंग इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंयसेवक जीवटता से परिपूर्ण हैं अर्थात् उनमें जीवंतता, स्फूर्ति, उर्जा है और वे सेवा की भावना से ओतप्रोत हैं। नेवी ब्लू रंग ब्रहमाण्ड का द्योतक है, एनएसएस जिसका एक छोटा-सा भाग है और जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर है।

राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस

5. राष्ट्रीय सेवा योजना को औपचारिक रूप से राष्ट्रपिता के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 24 सितम्बर, 1969 को शुरू किया गया था। अत: प्रत्येक वर्ष 24 सितम्बर को उचित कार्यक्रमों और कार्यकलापों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना गान

6. रजत जयंती वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य गान तैयार किया गया है। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों से आशा है कि वे इस गान को याद करें और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों तथा समारोहों के दौरान इसे गाएं। इस उद्देश्यपरक गान की कैसेट उपलब्ध है और यह गान इस मैनुअल के अंत में दिया गया है।

भाग-II

एनएसएस कार्यक्रम और कार्यकलाप

अध्याय 1 : मूल अवधारणाएं और घटक

1. राष्ट्रीय सेवा योजना, परिसर और समुदाय के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह माना था कि जब तक युवा विद्यार्थियों को गांवों / समुदाय के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तब तक देश वांछित दिशा में आगे नहीं बढ सकता। गांधीजी के नजरिए से गांव, देश अर्थात् भारत का आइना हैं जहां देश की अधिकतर जनसंख्या रहती है। अत: राष्ट्र के पुनर्निमाण और पुनरूत्थान के लिए यह उचित माना गया कि ग्रामीण समुदाय पर विशेष बल देते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों में समग्र रूप से भारतीय समाज के सुदृढकरण के लिए समझ पैदा की जाए और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। अत: युवा विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को, राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 मूल घटक माना गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी

1.1 कार्यक्रम अधिकारी, जो शिक्षण संकाय का एक सदस्य होता है, युवाओं / एनएसएस विद्यार्थियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक / एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के पास व्यावसायिक ज्ञान और कौशल होते है। वह स्कूल / कॉलेज और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि भी होता है तथा उसे युवा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अकांक्षाओं की जानकारी होती है। इसके अलावा, उससे आशा की जाती है कि वह संस्थान और समग्र रूप से संस्थान के मूल्यों और मानदण्डों के अनुसार काम करने वाले आदर्श व्यक्ति की भूमिका निभाएंगा। अत: वह समुदाय सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने में उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने वाला सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। वास्तव में कार्यक्रम अधिकारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यार्थियों का हितैषी, चिन्तक और मार्गदर्शक होता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक

1.2 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, जो कॉलेज / +2 स्तर का विद्यार्थी होता है, इस कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी होता है क्योंकि इससे समुदाय के बारे में उसकी सोच विकसित होती है, वह विशेष कार्य करने के कौशल अर्जित करता है, और उसमें एक नेता, एक आयोजक और एक प्रशासक के गुण विकसित होते हैं और समग्र रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से उसे समुदाय को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है और इस प्रकार अपने परिवेश की तुलना में उसे मानव प्रकृति का अनुभव प्राप्त होता है। इसी तरह राष्ट्रीय

सेवा योजना का लक्ष्य, एनएसएस युवा विद्यार्थियों को ''समुदाय सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास'' के माध्यम से बेहतर नागरिक बनाना है।

समुदाय

1.3 समुदाय, एनएसएस स्वयंसेवकों को लोगों के रहन-सहन के हालातों की प्रत्यक्ष जानकारी देता है और इस प्रकार एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक ओर, विद्यार्थियों और शिक्षकों के समुदाय के साथ मेलजोल से विद्यार्थी स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व सशक्त बनता है, दूसरी ओर, इससे समुदाय को अपने रहन-सहन के हालातों में सुधार करने में सहायता मिलती है।

एनएसएस कार्यक्रमों / कार्यकलापों के लक्ष्य

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यात्मक लक्ष्य इस कार्यक्रम के तीन मूल घटकों को एक-दूसरे से जोडना है। राष्ट्रीय सेवा योजना से सीखने के विविध अनुभव मिलने चाहिए जिनसे स्वयंसेवकों में सहभागिता, सेवा और उपलब्धि का बोध विकसित होना चाहिए। कार्यकलापों का लक्ष्य इस प्रकार होना चाहिए :-

(i) समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्वविद्यालय / कॉलेज विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराकर उनकी शिक्षा में सहयोग करने के लिए शिक्षा को वर्तमान स्थिति के और ज्यादा अनुरूप बनाना;

(ii) विद्यार्थियों को ऐसी विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में अपनी भूमिका निभाने के अवसर देना, जिनसे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में ठोस समुदाय परिसंपत्तियां सृजित करने में सहायता मिलेगी बल्कि इनसे समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा;

(iii) विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(iv) शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं (ग्रामीण और शहरी), दोनों को विकास कार्यक्रम में और ज्यादा घनिष्ठता से सहभागी बनाने और साथ ही शिविरों के दौरान सृजित परिसंपत्तियों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनमें छुपी हुई क्षमता का पता लगा कर नेतृत्व के गुणों को विकसित करना;

(v) श्रम और स्व-सहायता की गरिमा, और शारीरिक कार्य को बौद्धिक कार्यों से मिलाने की आवश्यकता पर बल देना। युवाओं को कार्पोरेट रहन-सहन और सहयोगी कार्य के

माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(vi) युवाओं को कार्पोरेट रहन-सहन और सहयोगी कार्रवाई के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ये कार्यकलाप शुरू करते समय, प्रत्येक एनएसएस यूनिट को अपने कार्यक्रमों / कार्यकलापों की परिकल्पना तैयार करनी चाहिए जिनका उद्देश्य अनुशासन की भावना पैदा करना, चरित्र निर्माण करना, शारीरिक स्वस्थता का संवर्धन करना और संस्कृति का विकास करना हो।

एनएसएस कार्यक्रमों का वर्गीकरण

1.5 राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यकलापों को 2 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। ये है नियमित एनएसएस कार्यकलाप और विशेष शिविर कार्यक्रम -

(क) <u>नियमित एनएसएस कार्यकलाप</u> : इसके तहत विद्यार्थी सप्ताह अंत के दौरान या कॉलेज समय के बाद गोद लिए गांवों, कॉलेजों / स्कूल परिसरों तथा शहरी मलिन बस्तियों में विभिन्न कार्यक्रम शुरू करते हैं;

(ख) <u>विशेष शिविर कार्यक्रम</u> : इसके तहत लम्बे अवकाश के समय के दौरान स्थानीय समुदाय की भागीदारी से गोद लिए गए गांवों या शहरी मलिन बस्तियों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के साथ 10 दिनों की अवधि के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवकों के भाग लेने की आशा की जाती है। एनएसएस के तहत विशेष शिविर कार्यक्रम के बारे में भाग- III में विस्तार से बताया गया है।

1.6 <u>एनएसएस नियमित कार्यकलाप</u>: जैसा कि उपर बताया गया है, एनएसएस स्वयंसेवक समुदाय सेवा के लिए गोद लिए गए गांवों और मलिन बस्तियों में विभिन्न कार्यकलाप चलाते हैं। इन सेवाओं की अवधि 120 घण्टे होती है। एनएसएस यूनिट नियमित कार्यकलाप आयोजित करती हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) <u>एनएसएस स्वयंसेवकों का अनुकूलन</u> : एनएसएस स्वयंसेवकों को एनएसएस कार्यकलापों के मूल सिद्धान्तों से परिचित कराने के लिए व्याख्यानों, चर्चाओं, फील्ड दौरों और दृश्य

- श्रव्य सामग्रियों आदि के माध्यम से उनके अनुकूलन हेतु 20 घण्टे का समय रखा जाता है।

(ii) <u>परिसर कार्य</u> : एनएसएस स्वयंसेवकों को संस्थान और संबंधित विद्यार्थियों के लाभार्थ शुरू की गई परियोजनाओं में सहभागी बनाया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं में खेल के मैदानों का विकास, बागीचे बनाना, परिसरों में वृक्षारोपण, नशीली दवाओं के सेवन और एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम, जन शिक्षा और अन्य परियोजनाएं शामिल होती हैं। एनएसएस स्वयंसेवक एक वर्ष में अधिकतम 30 घण्टों के लिए परिसर परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं।

(iii) शेष 70 घण्टों का उपयोग अलग से या इस क्षेत्र में अन्य लोगों के सहयोग से गोद लिए गए गांवों /शहरी मलिन बस्तियों में परियोजनाओं पर समुदाय सेवा के लिए किया जाएगा, जिसका ब्यौरा इस प्रकार :

(क) <u>संस्थागत कार्य</u> : विद्यार्थियों को परिसर से बाहर महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत चुनिंदा शैक्षिक संगठनों में रखा जा सकता है।

(ख) <u>ग्रामीण परियोजना</u> : सामान्यत: ग्रामीण परियोजनाओं में निरक्षरता के उन्मूलन, वाटरशेड प्रबंधन और बंजर भूमि विकास, कृषि कार्यों, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सफाई, मातृ और बाल-देखरेख, पारिवारिक जीवन शिक्षा, महिलाओं के साथ न्याय, ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास, बचत अभियानों, ग्रामीण सडकों के निर्माण, सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध अभियान आदि के लिए गोद लिए गए गांवों में एनएसएस स्वयंसेवकों का कार्यकरण शामिल होता है।

(ग) <u>शहरी परियोजनाएं</u> : ग्रामीण परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं में प्रौढ शिक्षा, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के कल्याण, नागरिक रक्षा में प्रशिक्षण, यातायात नियन्त्रण, प्रथम उपचार चौकियों की स्थापना, अस्पतालों, अनाथालयों, निराश्रय घर, पर्यावरण, जन शिक्षा, नशीली दवाओं, एड्स जागरूकता और आय सृजन परियोजनाएं आदि शामिल होती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना अपनाने वाले व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों को समुदाय के लिए आवश्यकताओं पर आधारित उचित कार्यक्रम तैयार करने पड सकते हैं।

(घ) <u>प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय आपातकाल स्थितियां</u> : राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों से बचाव, राहत, पुनर्वास में सार्वजनिक सहायता जुटाने और प्राधिकारियों

को आवश्यक सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपातकाल स्थितियों में एनएसएस स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करने की आशा की जाती है। ऐसी आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में कार्यक्रम अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासन को सहायता करने के लिए पहल करें और एनएसएस यूनिटों और अपने स्वयंसेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस मैनुअल का पृष्ठ संख्या 23 देंखे।

(ङ) राष्ट्रीय दिवस और समारोह : राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों में राष्ट्रीय दिवसों के समारोह भी शामिल हैं। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य ऐसे अवसरों को उपयुक्त ढंग से मनाना है। संस्थागत स्तर पर मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों और सप्ताहों की सूची अनुबंध - I में दी गई है।

1.7 राष्ट्रीय कार्यक्रम : किसी भी राष्ट्र के विकास परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा या प्रत्याशित समस्याओं को देखते हुए कुछ विशेष कार्यक्रमों का विशेष महत्व हो जाता है। हमारे देश में ऐसे तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये है कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम, एड्स जागरूकता कार्यक्रम और वाटर शेड प्रबंधन तथा बंजर भूमि विकास पर बल के साथ सतत विकास। यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि इन कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर सफल मनाने के लिए एनएसएस स्वयंसेवक उत्साह से आगे आए हैं।

अध्याय -2 : एनएसएस कार्यक्रम और कार्यकलाप

गोद लिए गांवों, मलिन बस्तियों में तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ एनएसएस नियमित कार्यकलाप

सामान्यतया एनएसएस स्वयंसेवक किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान 120 घण्टे के नियमित कार्यकलाप पूरा करने के लिए गांवों, मलिन बस्तियों और स्वैच्छिक ऐजेंसियों के साथ काम करते हैं। इन क्षेत्रों में एनएसएस स्वयंसेवकों के लक्ष्य के बारे में पहले ही पूर्व अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल सिद्धान्तों के अनुसार किसी स्वयंसेवक से समुदाय के निरन्तर संपर्क में रहने की आशा की जाती है। अत: यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी गांव/मलिन बस्ती विशेष को एनएसएस कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चुना जाए। चूंकि एनएसएस स्वयंसेवक को समुदाय के सदस्यों के साथ रहना होता है और एनएसएस में उसके कार्यकाल के दौरान उनके अनुभव से सीखना होता है, अत: एनएसएस यूनिट द्वारा गांव/ मलिन बस्ती को गोद लिए जाने हेतु ध्यानपूर्वक चुना जाना चाहिए।

1. **गांवों को गोद लेना**

1.1 एनएसएस में गांव और क्षेत्र को गोद लेना एक बहुत ही सार्थक कार्यक्रम होता है। किसी एक गांव पर पूरा ध्यान लगाना और विकास परिप्रेक्ष्य के लिए उस विशेष कार्य को शुरू करना। कहीं ज्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि ऐसे बहुत से कार्यकलापों के साथ कई जगहों पर उर्जा बेकार करना, जो पूरे ही न किए जा सकते हो, या जिनमें अनुवर्ती कार्रवाई संभव न हो। इस दृष्टिकोण से गांवों को गोद लेने के कार्यक्रम से सतत कार्रवाई, मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्य के साथ-साथ कार्य की निरन्तरता सुनिश्चित होनी चाहिए।

गांवों / क्षेत्र के नेताओं से संपर्क करना

1.2 इस कार्यक्रम के पहले उपाय के रूप में, एक से अधिक गांव के साथ संपर्क स्थापित करना आवश्यक है जो उस गांव को चुनने में सहायता करेगा जहां 'नेतृत्व' पूर्णत: स्थापित है। दूसरे शब्दों में उचित नेतृत्व के साथ गांव का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे स्थानों पर सतत अनुवर्ती कार्रवाई और मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। प्रारंभ में एनएसएस यूनिट, गांव के चयन के लिए ब्लॉक प्राधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, कृषि, सिंचाई विस्तार अधिकारी और शिक्षा विभागों की सहायता ले सकती है। यह नोट किया जाना है कि चुने गए गांव, कॉलेज से कम दूरी पर हों ताकि आसानी से निरन्तर संपर्क बनाया जा सके।

गांव / क्षेत्र का सर्वेक्षण

1.3 कार्य योजना तैयार करने से पहले, कॉलेज से कम दूरी पर स्थित कुछ गांवों का व्यापक सर्वेक्षण करना नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए कृषि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, मनोविज्ञान और शिक्षा आदि के शिक्षकों और विद्यार्थियों से सहायता ली जानी होगी। सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण करना रूचिकर फील्ड कार्यकलाप हो सकता है जिसका अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की पाठ्यचर्या पर सीधा प्रभाव होता है। ऐसे सर्वेक्षण की रिपोर्ट से उस गांव की समस्याओं और क्षमताओं के बारे में अद्यतन जानकारी मिलेगी और गांव के विकास के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता मिलेगी। व्यावहारिक फील्ड कार्य से विद्यार्थियों को विश्लेषण करने की अपनी क्षमता बढाने और अपनी सोच को और अधिक गहरा बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इससे उन्हें उन समस्याओं को चिन्हित करने में सहायता मिलेगी जो अनदेखी रह गई हों। यह सर्वेक्षण कार्य पीआरए कार्यों (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) की सहायता से भी पूरा किया जा सकता है।

समस्याओं को चिन्हित करना

1.4 आवश्यकता के इसी मूल्यांकन के आधार पर परियोजनाओं / कार्यक्रमों को तैयार किया जाना है। कार्यक्रम अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित करना चाहिए जिन्हें समुदायों / अन्य ऐजेन्सियों की सहायता लेकर पूरा किया जा सकता है।

1.5 चूंकि गांव या क्षेत्र को गोद लेने का लक्ष्य, ग्रामीणों को विकास की नई अवधारणाएं देना है, जिनसे उनके रहन-सहन के हालातों में सुधार होगा। समुदायों का विश्वास जीतने पर वे एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाते हैं। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा जो एक महत्वपूर्ण सेवा दी जा सकती है वह कृषि, वाटरशेड प्रबंधन, बंजर भूमि विकास, गैर- पारंपरिक उर्जा, कम लागत के आवास, सफाई, कौशल और निजी स्वच्छता, कौशल विकास की स्कीमों, आय सृजन, सरकारी स्कीमों, कानूनी सहायता, उपभोक्ता संरक्षण और संबद्ध क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करना है। सरकार और बैंकों, आईआरडीपी, आईसीडीएस, एनआरईपी, डीडब्ल्यूसीआरए, जीआरवाई आदि जैसी अन्य विकास एजेंसियों के बीच संपर्क भी बनाया जा सकता है।

1.6 कार्यक्रम अधिकारियों को समुदायों को एनएसएस यूनिट द्वारा शुरू किए गए समुदाय विकास कार्य हेतु स्वयं को एनएसएस के साथ भागीदार मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा, उसे तकनीकी सलाह और वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और ऐजेंसियों की सहायता लेनी होगी। अत: उसे सरकारी अधिकारियों और विकास ऐजेंसियों के साथ

अच्छी घनिष्ठता बनानी होगी। इसके लिए यह बेहतर होगा यदि पहले ही परामर्श करके प्रशासन को विश्वास में लिया जाए।

परियोजनाओं को पूरा करना

1.7 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कार्यक्रम अधिकारी को परियोजनाओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनना होगा क्योंकि एनएसएस की छवि ऐसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करती है। इन परियोजनाओं के सफल समापन से समुदाय की सराहना और विश्वास जीता जा सकता है।

परियोजना का मूल्यांकन

1.8 प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन समुदाय के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और पंचायत अधिकारियों को शामिल करके इसके पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए। एनएसएस यूनिट को परियोजना के निष्पादन में कमियों से सीखना चाहिए और पूर्व परियोजना के दौरान उनके सामने पेश आई अडचनों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अगली परियोजना की योजना बनानी चाहिए।

2. मलिन बस्तियों को गोद लेना

सामान्यतया अधिकतर कॉलेज और विश्वविद्यालय शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। कॉलेज परिसरों और गांवों के बीच बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा गोद लिए गांवों में जाना मंहगा और समय लगने वाला कार्य हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से कॉलेजों द्वारा गोद ली गई मलिन बस्तियों का शहरी क्षेत्रों में स्थित होना वांछनीय है।

मलिन बस्ती का सर्वेक्षण

2.1 मलिन बस्ती को गोद लेने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण दल होना चाहिए जिसमें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गृह विज्ञान और सामाजिक कार्य आदि जैसे संकायों से विद्यार्थी शामिल हों। चुना गया क्षेत्र छोटा और सुविधाजनक होना चाहिए और यह विद्यार्थियों की आसान पहुंच में होना चाहिए। अत्यधिक राजनैतिक संघर्षों से ग्रस्त क्षेत्र से बचा जाना चाहिए।

2.2 समस्याओं को चिन्हित करने, परियोजना की योजना बनाने, विभिन्न विभागीय एजेंसियों के साथ मेलजोल और समन्वय, परियोजनाओं के निष्पादन और समापन से संबंधित मुद्दों को उसी आधार/तर्ज पर लिया जाएगा, जैसा कि 'गांवों को गोद लेना' भाग में पहले चर्चा की गई है। परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी शीघ्र अन्तराल पर की जानी चाहिए।

मलिन बस्तियों में सेवाएं

2.3 एनएसएस यूनिटों द्वारा मलिन बस्तियों, गरीब बस्तियों और झुग्गी और झोपडियों को, मलिन बस्ती के सुधार और इसके फैलने से रोकने से उद्देश्य से गोद लिया जा सकता है। इसके तहत पेय जल की व्यवस्था, जल भराव, सफाई, बिजली, जल निकासी, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं, जीवन और रहन-सहन के हालातों जैसे कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं।

मलिन बस्ती में कार्य के लिए एनएसएस स्वयंसेवक

2.4 मलिन बस्तियों में रहन-सहन के हालातों और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मलिन बस्ती विकास के लिए केवल अत्यधिक प्रेरित, अनुकूलनीय, परिपक्व और कुशल विद्यार्थियों को ही चुना जाना चाहिए।

2.5 नीचे ऐसे कार्य दिए गए हैं जिन्हें विद्यार्थी मलिन बस्ती क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं:-

(क) समुदाय जांचकर्ताओं के रूप में : विभिन्न सुविधाओं, सेवाओं और रहन-सहन के हालातों आदि को शामिल करते हुए ये जांचकर्ता शहर या कस्बे में विभिन्न मलिन बस्तियों के बारे में समुदाय की संक्षिप्त रूप रेखा तैयार कर सकते हैं।

(ख) समुदाय कार्यकर्ताओं के रूप में : ये स्थानीय नेताओं की पहचान कर सकते हैं और उनके सहयोग से उन स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते है जिन पर सहयोगी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(ग) कार्यक्रम सहायकों के रूप में : विद्यार्थी स्थानीय समुदायों को नि:शुल्क दुग्ध वितरण, केन्द्र स्थापित करने, सफाई अभियान, मंनोरजन, प्रौढ और प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण, प्रथम उपचार केन्द्र, बाल देखरेख, पौषण कक्षाओं जैसी स्वास्थ्य परियोजनाओं, और मुफ्त कानूनी सहायता केन्द्रों आदि जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू करने में सहायता कर सकते हैं। ये युवा क्लब, बाल समूह, महिला मंडल आदि बनाने में भी सहायता कर सकते हैं।

(घ) समुदाय आयोजकों के रूप में : मलिन बस्ती निवासियों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने के बाद एनएसएस विद्यार्थी स्थानीय संसाधनों, स्वयं सहायता और परस्पर सहायता पर निर्भरता और कुछ न्यूनतम बाहरी सहायता के साथ एक समूह आधार पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए समुदाय एसोसिएशन बना सकते हैं।

2.6 **मलिन बस्तियों के चयन हेतु कुछ सुझाव**

(i) विभिन्न संकायों से बनाए गए स्वयंसेवकों के दल द्वारा मलिन बस्ती का सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए;

(ii) चुना गया क्षेत्र छोटा और सुविधाजनक हो। गोद ली गई मलिन बस्ती में 300 से अधिक निवासी नहीं होने चाहिए;

(iii) समुदाय को अपने रहन-सहन के स्तर को सुधार करने के विचारों का स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपने उत्थान के लिए एनएसएस द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में समन्वय करने और सहभागिता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए;

(iv) एनएसएस यूनिटों को ऐसे क्षेत्रों से बचना चाहिए जहां राजनैतिक संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना हो;

(v) मलिन बस्तियों में बार-बार आने जाने के लिए वह क्षेत्र एनएसएस स्वयंसेवकों की आसान पहुंच में होना चाहिए;

(vi) मलिन बस्तियों में काम करने के लिए समर्पण और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। केवल संवेदनशील और अत्यधिक प्रेरित एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए मलिन बस्ती क्षेत्रों में सेवा करना आसान हो सकता है।

3. स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय

यह उल्लेखनीय है कि गोद लिए गांवों या मलिन बस्तियों में कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए एनएसएस यूनिट के अपने कोई वित्तीय संसाधन नहीं हैं, अत: एक सफल यूनिट को सरकारी एजेंसियों और इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के साथ निरन्तर समन्वय करना होता है।

3.1 समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने और परियोजनाओं का चयन करने के बाद कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी सरकारी एजेंसी या स्वैच्छिक संगठन की तलाश करनी चाहिए जो किसी परियोजना विशेष को पूरा करने में सहायता कर सके। वन, कृषि, प्रौढ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल एवं परिवार कल्याण जैसे विभिन्न सरकारी विभाग समुदाय कार्य से संबंधित परियोजना में बहुत उपयोगी सहायता कर सकते हैं। स्वैच्छिक संगठन भी एनएसएस परियोजनाओं के पक्ष में जन मत बनाने में सहायता कर सकते है। प्रौढ शिक्षा समितियां, नशा बंदी बोर्ड, युवा मंडल और महिला मंडल, एनएसएस यूनिटों को अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार समुदाय केन्द्रों, बाल/ महिला एवं वृद्धजन आवास संस्थाओं, और शारीरिक रूप से दिव्यांगजन संस्थाओं जैसी स्वैच्छिक और सांविधिक कल्याण एजेंसियां एनएसएस स्वयंसेवकों को सेवा चुनने की व्यापक संभावना दे सकते हैं। एनएसएस स्वयंसेवकों की अन्तर्निहित क्षमताओं और रूझानों को देखते हुए उन्हें इन एजेंसियों में रखा जा सकता है। एनएसएस स्वयंसेवकों को यह बताना आवश्यक है कि वे उन लोगों के लिए अपनेपन और आदर की भावना विकसित करें जिनके साथ वे काम कर रहे

हैं। इन एजेंसियों के साथ निरन्तर सहयोग में काम करने से एनएसएस स्वयंसेवकों को समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी। कल्याण संस्थाओं में काम करने के अवसरों को इस प्रकार देखा जा सकता है :-

(i) कल्याण संस्थाओं को गोद लेना और भ्रमण, निधि संग्रहण अभियानों, ऐसे लोगों, जो पढ-लिख नहीं सकते, के लिए पत्र पढने और लिखने की व्यवस्था करके इन संस्थाओं में संवासियों और स्टाफ की सहायता करना;

(ii) छोटे परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु बचत अभियानों आदि के संदेश का प्रचार- प्रसार;

(iii) भौतिक परिवेश में सुधार के लिए कार्य करना;

(iv) अनौपचारिक शिक्षा और सामान्य साक्षरता कक्षाओं का कार्यक्रम;

(v) अर्थिक विकास कार्यकलापों का आयोजन;

(vi) पंसदीदा कार्य (हॉबी) केन्द्रों की स्थापना और

(vii) दिव्यांग, निराश्रय व्यक्तियों आदि के पुर्नवास कार्य में सहायता करना।

इसके अलावा, एनएसएस यूनिटें और कल्याण एजेंसियां संयुक्त समुदाय विकास परियोजनाएं और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समुदाय कल्याण और जागरूकता के अन्य कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं।

3.2 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को गोद लिए गांवों या मलिन बस्ती में इस प्रकार कार्यकलापों की योजना बनानी चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवकों के आराम के समय का उपयोग गोद लिए गांव या मलिन बस्ती की सेवा में किया जा सके। गोद लिए क्षेत्रों के सप्ताहंत के दौरों से समुदाय के साथ रहने और उनकी समस्याओं को जानने और उनके लिए कुछ करने के गंभीर प्रयास करने के उपयुक्त अवसर मिलते हैं। इसी प्रकार पूर्व में कई क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर आगे काम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे सतत प्रयासों से एनएसएस यूनिट और समुदाय के बीच मित्रता विकसित होगी। इन कार्यकलापों की व्यवस्था एक दिवसीय शिविर और नियमित कार्यकलापों के तहत बार-बार दौरों के माध्यम से की जा सकती है।

4. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीएस)

इस योजना से उत्कष्ट पूर्व एनएसएस स्वयंसेवकों को पूर्णकालिक आधार पर सेवा उन्मुख कार्यकलाप शुरू करने के अवसर मिलते हैं।

4.1 स्वयंसेवकों का नियोजन विश्वविद्यालय कार्यकलाप समन्वयकों, के साथ एनएसएस यूनिटों वाले कॉलेजों या संस्थाओं में किया जाता है। एनएसएस स्वयंसेवक, युवा और समुदाय से संबंधित फील्ड कार्य / परियोजनाओं में संबंधित प्राधिकारी को सहायता करते हैं। उन्हें किसी लिपिकीय या कार्यालय कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। एनएसवीएस को प्रति माह 500/- रू. का वजीफा, और प्रति माह 200/-रू. का यात्रा भत्ता और वार्षिक आकस्मिक व्यय के रूप में 100/-रू. दिया जाता है। एनएसवीएस का चयन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में स्वयंसेवक का नियोजन एक वर्ष की अवधि के लिए होता है जिसे उसके निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष और बढाया जा सकता है। यात्रा भत्ता और आकस्मिक व्यय सहित वजीफे की राशि युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा वहन की जाती है।

4.2 युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने युवा कार्यक्रमों पर इश्तहार प्रकाशित किए हैं। इन इश्तिहारों को अवर सचिव, प्रकाशन यूनिट युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 या एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रों और नेहरू युवा केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

4.3 युवा कार्यक्रम और खेल विभाग सीधे प्रायोजक से युवा कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। प्रारंभ में इन प्रस्तावों पर एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्रवाई की जाती है। अत: यह वांछनीय है कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत जानकारी हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों से संपर्क किया जाए।

4.4 राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित प्राधिकारी वास्तव में यह चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के लाभ उन एनएसएस स्वयंसेवकों तक पहुंचे जो इन कार्यक्रमों के लक्षित समूह हैं।

5. दिन भर के शिविर

कुछ विश्वविद्यालयों ने यह सूचित किया है कि एनएसएस स्वयंसेवक शैक्षिक सत्र में होने वाले व्यवधान के कारण एनएसएस कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्य में 120 घण्टे का निर्धारित समय पूरा नहीं करते हैं। अत: यह सुझाव दिया गया कि एनएसएस के निर्धारित 120 घण्टे के नियमित कार्य को पूरा करने के लिए एनएसएस यूनिटों को दिन भर के शिविर आयोजित करने की अनुमति दी जाए। 8 घण्टों की अवधि के लिए शिविर सप्ताह के अंत के दिनों में आयोजित किए जा सकते है। ये लगातार 2 दिनों में 16 घण्टे तक समुदाय कार्य करें। कार्यक्रम के विकास हेतु निर्धारित कॉलेज / +2 स्तर के एनएसएस नियमित कार्यकलाप अनुदानों में से जलपान और परिवहन के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अधिकतम 8/-रू. व्यय किया जा सकता है। इन शिविरों को आवश्यकतानुसार तभी आयोजित किया जा सकता है जब संस्थानों के प्रिंसिपलों के परामर्श से इसकी आवश्यकता महसूस की जाए।

भाग-III

विशेष शिविर कार्यक्रम

अध्याय 1 : विशेष शिविर कार्यक्रम

विशेष शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिन्न अंग है। यह युवाओं के लिए विशेष आकर्षण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को समूह में रहने, सामुहिक अनुभव साझा करने और समुदाय के साथ निरन्तर मेलजोल रखने के अनूठे अवसर देता है।

1. सामान्यत: विशेष शिविर राष्ट्रीय महत्व के विकास के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित किए जाते हैं। विगत में विशेष शिविर कार्यक्रमों के विषय 'अकाल समय में युवा', 'गंदगी और रोग से लडते युवा', 'ग्रामीण पुनर्निमाण हेतु युवा', आर्थिक विकास हेतु युवा, 'जन साक्षरता हेतु युवा, 'राष्ट्रीय अखण्डता और सामाजिक सदभावना हेतु युवा' रहे हैं। विशेष शिविर का वर्तमान विषय वाटरशेड प्रबंधन और बंजर भूमि विकास पर विशेष बल के साथ सतत विकास हेतु युवा है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एनएसएस यूनिट के 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों से 10 दिनों की अवधि के विशेष शिविरों में भाग लेने की आशा की जाती है।

विशेष शिविर कार्यक्रम का योगदान

1.1 समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के रहन-सहन के हालातों में सुधार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में पुनर्निर्माण कार्यकलापों के लिए अनेक वर्षों तक समन्वित प्रयास किए जाने हैं। इसके लिए, एनएसएस वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और +2 संस्थाओं की, विकास कार्य में कार्यरत अन्य विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से विशेष भूमिका है। उन्हें गहन सामाजिक विकास के लिए किसी गांव या गांवों के समूह / शहरी मलिन बस्ती को गोद लेना चाहिए, जहां मूर्त और स्थायी परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए हर वर्ष उनके द्वारा विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विशेष शिविर कार्यक्रम के उद्देश्य

1.2 विशेष शिविर कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(i) समुदाय की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्वविद्यालय / कॉलेज विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराकर उनकी शिक्षा में सहयोग करने के लिए शिक्षा को वर्तमान स्थिति के लिए और ज्यादा प्रासंगिक बनाना;

(ii) विद्यार्थियों को ऐसी विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में अपनी भूमिका निभाने के अवसर देना, जिनसे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में ठोस

समुदाय परिसंपत्तियां सृजित करने में सहायता मिलेगी बल्कि इनसे समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा;

(iii) विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे उनके चरित्र, सामाजिक चेतना और समर्पण और अनुशासन का विकास होगा तथा समुदाय के प्रति स्वस्थ और सहायताकारी प्रवृति विकसित होगी;

(iv) शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं (ग्रामीण और शहरी), दोनों को विकास परियोजनाओं में ज्यादा लम्बे समय के लिए और अधिक घनिष्ठता से सहभागी बनाने के उद्देश्य से उनमें छुपी हुई क्षमता का पता लगाकर भावी युवा नेताओं को तैयार करना। शिविरों के दौरान तैयार स्थानीय नेतृत्व शिविरों के परिणामस्वरूप सृजित परिसंपत्तियों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने में भी उपयोगी होगा;

(v) श्रम और स्व-सहायता की गरिमा और शारीरिक कार्य को बौद्धिक कार्यों को मिलाने की आवश्यकता पर बल देना;

(vi) युवाओं को कार्पोरेट रहन-सहन और सहयोगी कार्रवाई के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

नियमित और विशेष शिविर के दौरान कार्यकलापों की सांकेतिक सूची

1.3 नियमित और विशेष शिविर कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करना और उनके जीवन को सुधारने के प्रयास करना है। एनएसएस स्वयंसेवकों को गोद लिए गांव के विकास के लिए नियमित कार्यकलापों में लगभग 80 घण्टे लगाने हैं। विशेष शिविर की अवधारणा 10 दिनों के लिए उस समुदाय के साथ रहने और लोगों के हालातों और समस्याओं का अनुभव करने के अवसर के रूप में तैयार की गई है। एनएसएस स्वयंसेवकों को उनके हालातों में सुधार करने के लिए पहल करने हेतु प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि विशेष शिविरों का मुख्य बल समय-समय पर बदलता है और सूक्ष्म स्तर पर समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कार्यकलापों के कुछ मुख्य क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :-

(क) <u>परिवेश संवर्धन और संरक्षण</u> : जबकि विशेष शिविर कार्यक्रम का मुख्य विषय '' सतत विकास हेतु युवा'' होगा, परिवेश संवर्धन के लिए लक्षित कार्यकलाप '' बेहतर परिवेश हेतु युवा'' के उप-विषय के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस उप-विषय के तहत कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) वृक्षारोपण, उनका परिरक्षण और रख-रखाव (प्रत्येक एनएसएस यूनिट कम से कम 1000 पौधे लगाए और उनका संरक्षण करे;

(ii) एनएसएस पार्कों/ बगीचों, तरूण त्रिवेणी वनों का सृजन;

(iii) गांवों की सडकों, नालों आदि का निर्माण और रख-रखाव ताकि पर्यावरण को साफ रखा जा सके।

(iv) शौचालयों आदि का निर्माण;

(v) गांव के तालाबों और कुओं की सफाई;

(vi) गोबर गैस प्लांटों को लोकप्रिय बनाना और उनका निर्माण करना, गैर-परंपरिक ऊर्जा का प्रयोग

(vii) पर्यावरणीय सफाई और कूडे तथा वनस्पति खाद का निस्तारण;

(viii) मृदा क्षरण की रोकथाम और मृदा संरक्षण के लिए कार्य;

(ix) वाटरशेड प्रबंधन और वाटरशेड विकास;

(xi) स्मारकों का परिरक्षण और रख-रखाव, और समुदाय में सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के बारे में चेतना सृजन

(ख) <u>स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम :</u>

(i) जन टीकाकरण का कार्यक्रम;

(ii) गृह विज्ञान और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों की सहायता से पोषण कार्यक्रमों में लोगों के साथ काम करना;

(iii) सुरक्षित और साफ पेयजल की व्यवस्था;

(iv) एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम;

(v) स्वास्थ्य शिक्षा, एड्स जागरूकता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख;

(vi) जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम;

(vii) जीवन शैली शिक्षा केन्द्र और परामर्श केन्द्र

(ग) <u>महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम</u> :-

इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

(i) लोगों को शिक्षित करने और उन्हें महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी, दोनों अधिकार के बारे में जागरूक करने के कार्यक्रम;

(ii) महिलाओं में इस आशय की चेतना पैदा करना कि उनका भी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक सुदृढकरण में योगदान रहा है;

(iii) महिलाओं में इस आशय कि जागरूकता पैदा करना कि ऐसा कोई व्यवसाय या पेशा नहीं है जो उनके लिए न हो, बशर्ते वे अपेक्षित कौशल प्राप्त कर लें; और

(iv) महिलाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई और, जहां कहीं संभव हो, अन्य कौशलों का प्रशिक्षण देना।

(घ) <u>सामाजिक सेवा कार्यक्रम</u>:

स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर, निम्नलिखित कार्यकलाप / कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं

(i) अस्पतालों में काम करना, उदाहरण के लिए, रोगियों का हौसला बढाने के लिए वार्ड आगंतुकों के रूप में सेवा करना, रोगियों की सहायता करना, लंबे समय तक रहने वाले रोगियों के लिए पेशेवर या पंसदीदा कार्यकलापों की व्यवस्था करना; आगंतुकों को अस्पताल की प्रक्रियाओं की जानकारी देने, अस्पताल में दाखिल रोगियों के लिए पत्र लिखने और पढने सहित बहिरंग रोगियों के लिए मार्गदर्शन सेवा, घरों और कार्य स्थलों में जाकर अस्पताल से छुट्टी प्राप्त रोगियों के आगे के उपचार में सहायता करना, औषधालय आदि चलाने में सहायता करना।

(ii) बाल कल्याण के संगठनों के साथ लिए कार्य करना;

(iii) शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए अभिप्रेत संस्थानों में काम करना;

(iv) रक्त दान, नेत्रदान की प्रतिज्ञा के कार्यक्रम आयोजित करना;

(v) चेशायर घरों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में काम करना;

(vi) महिलाओं के कल्याण संगठनों में काम करना;

(vii) सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से मलिन बस्तियों की रोकथाम करना ;

(ड.) <u>उत्पादन उन्मुख कार्यक्रम</u>:

(i) लोगों के साथ काम करना और बेहतर कृषि प्रक्रियाओं को समझाना और उनकी शिक्षा देना;

(ii) कृंतक नियंत्रण और कीट नियंत्रण प्रक्रियाएं;

(iii) खरपतवार नियंत्रण;

(iv) मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य देखभाल और मृदा संरक्षण;

(v) कृषि मशीनरी की मरम्मत में सहायता;

(vi) गांवों में सहकारी समितियों के संवर्धन और सुदृढकरण के लिए काम करना;

(vii) मुर्गी पालन, पशु पालन, पशु स्वास्थ्य देखरेख आदि में सहायता और मार्गदर्शन करना;

(viii) लघु बचत को लोकप्रिय बनाना; और

(ix) बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता करना

(च) <u>प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्य</u> :

ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को चक्रवात, बाढ, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की व्यथाओं को समझने और साझा करने में सहायता करेंगे। मुख्य बल कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता और उनकी बाधाओं से निपटने में लोगों के साथ काम करना, और प्राकृतिक आपदाओं के होने पर राहत और पुनर्वास कार्य में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता करने पर होना चाहिए। एनएसएस विद्यार्थियों को निम्नलिखित में शामिल किया जा सकता है :-

(i) राशन, दवा, कपड़ों इत्यादि के वितरण में प्राधिकारियों की सहायता करना;

(ii) टीकाकरण, दवा आदि की आपूर्ति में स्वास्थ्य प्राधिकरियों की सहायता करना;

(iii) स्थानीय लोगों की झोपड़ियों के पुनर्निर्माण, कुओं की सफाई, सड़कों के निर्माण आदि में उनके साथ काम करना;

(iv) राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता और उनके साथ काम करना;

(v) कपड़ों और अन्य सामग्रियों का संग्रहण, और उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में भेजना;

(छ) <u>शिक्षा और मनोरंजन</u>:

इस क्षेत्र में कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(i) प्रौढ शिक्षा (अल्प अवधि कार्यक्रम);

(ii) स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम;

(iii) स्कूल छोडने वाले बच्चों की सतत शिक्षा के कार्यक्रम, कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की उपचारात्मक कोचिंग;

(iv) क्रेच में काम करना;

(v) निर्देश और मनोरंजन के लिए जन संचार के प्रयोग, समुदाय गायन, नृत्य आदि के कार्यक्रमों सहित समुदाय के लिए सहभागी सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम;

(vi) नेहरू युवा केंद्रों के सहयोग से युवा क्लबों, ग्रामीण और देशी खेलों का आयोजन;

(vii) सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, छुआछूत, नशीली दवाओं का सेवन आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर चर्चाओं सहित कार्यक्रम;

(viii) ग्रामीण युवाओं के लिए औपचारिक शिक्षा; और

(ix) कानूनी साक्षरता, उपभोक्ता जागरूकता।

1.4 उपरोक्त सूची ऐसे कार्यकलापों के प्रकार की केवल सांकेतिक सूची है जिन्हें शुरू किया जा सकता है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक एनएसएस यूनिट इन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम या अन्य कोई भी ऐसा कार्यकलाप, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें वांछनीय लगे, करने के लिए स्वतंत्र होगी। एनएसएस यूनिट का लक्ष्य चुने गए क्षेत्र के प्रचालन के लिए उसका एकीकृत विकास करना होना चाहिए, जो एक गांव या मलिन बस्ती हो सकती है। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि कार्यक्रम के एक भाग में हाथ से काम करना शामिल हो।

अध्याय 2: विशेष शिविर कार्यक्रम की योजना और तैयारी

योजना

विशेष शिविर कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य, विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर उचित योजना बनाना बहुत अनिवार्य है।

1. विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत शिविरों की पर्याप्त समय पहले योजना बनाई जानी चाहिए। पिछडे क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1.1 राज्य स्तर पर योजना :-

(i) राज्य सलाहकार समिति की बैठकः

राज्य संपर्क अधिकारी को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलानी चाहिए और वर्ष के दौरान एनएसएस के तहत विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य, विश्वविद्यालय, +2 स्तर पर शुरू किए जाने वाले शिविर और विशेष परियोजनाओं के सभी पहलुओं की राज्य सलाहकार समिति को जानकारी दी जानी चाहिए। विशेष शिविर कार्यक्रम की संख्या के आबंटन और विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु वित्तीय व्यय की पद्धति भी प्रशासनिक और वित्तीय नीति - निर्देशों द्वारा यथा निर्धारित राज्य सलाहकार समिति से अनुमोदित कराई जानी चाहिए।

(ii) संख्या का आबंटन:

विश्वविद्यालयों, +2 स्तर के कार्यक्रम समन्वयकों तथा एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुखों की बैठक बुलाई जानी चाहिए। कार्यक्रम समन्वयक अपने विश्वविद्यालय / +2 परिषद के लिए विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु आबंटन की मांग करेंगे। राज्य संपर्क अधिकारी विभिन्न विश्वविद्यालयों और +2 स्तर के विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु संख्या के आबंटन संबंधी आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(iii) राज्य सलाहकार समिति का अनुमोदन :

राज्य और विश्वविद्यालय / +2 स्तर की परियोजनाओं को चिन्हित और निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(iv) अन्तर-विभागीय समन्वय :

राज्य संपर्क अधिकारी ऐसे विभिन्न विभागों और एजेंसियों, जिनके विशेष शिविर कार्यक्रम में सहयोग करने की संभावना है, के साथ समन्वय विकसित करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा। विचार-विमर्श और कार्यान्वयन हेतु एनएसएस कार्यक्रम समन्वयकों, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए। सामान्यत: स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि विस्तार, भूमि सुधार, जन संपर्क, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, वन, खादी और ग्राम उद्योग, पुरात्तव विज्ञान आदि जैसे विभागों के प्रतिनिधि इन शिविरों से जुड़ते हैं।

(v) विश्वविद्यालय और +2 परिषद को अनुदान जारी करना

राज्य संपर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष शिविर अनुदान विश्वविद्यालय और +2 परिषदों तक समय पर पहुंचे। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों को समय पर अनुदान नहीं जारी करतीं। ऐसे मामलों में राज्य सरकार को केन्द्र का हिस्सा जारी करने के बाद भी विशेष शिविर कार्यक्रम में निधियों के उपलब्ध न होने के कारण बाधा आती है।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में विश्वविद्यालय, कॉलेज को समय पर अनुदान नहीं जारी करते। कई मामलों में अनुदान, शिविर समाप्त होने के बाद या वित्त वर्ष के अंत तक जारी किए जाते हैं। <u>यह अवांछनीय प्रथा है</u>। यदि शिविर आयोजित करने से पहले एनएसएस यूनिट को अनुदान नहीं पहुंचता है, तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

यदि कुछ विश्वविद्यालय शिविर आयोजित करने से पहले कॉलेज को अनुदान उपलब्ध नहीं कराते हैं तो राज्य सरकार को इस चूक को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

1.2 **विश्वविद्यालय स्तर पर योजना**

(i) विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक :

विश्वविद्यालय और +2 सलाहकार समिति की बैठक संबंधित कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बुलाई जानी चाहिए। विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए विभिन्न संस्थाओं को संख्या का आबंटन, वित्तीय व्यय की पद्धति और शिविरों की अनुसूची, विश्वविद्यालय / +2 स्तर की सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

(ii) विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए कॉलेजों / स्कूलों को संख्या का आवंटन

विशेष शिविर के लिए संख्या का आवंटन अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए; ताकि एनएसएस यूनिटें विशेष शिविर कार्यक्रम के प्रस्ताव समन्वयक को समय पर प्रस्तुत करने की स्थिति में हों।

(iii) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के मुद्दे :

संबंधित वर्ष के लिए जारी विशेष शिविर कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त और वित्तीय नीति निर्देश, जिनमें व्यय की वित्तीय पद्धति का उल्लेख हो, प्रिसिंपलों और कार्यक्रम अधिकारियों की जानकारी में लाए जाने चाहिए।

(iv) संस्थानों को अनुदान जारी करना :

विशेष शिविर अनुदान शिविरों के प्रस्तावित प्रारंभण से एक माह पहले संस्थानों को जारी किए जाने हैं।

1.3 संस्थान स्तर पर योजना

(i) <u>सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य सर्वेक्षण</u> :

यह आशा की जाती है कि संबंधित एनएसएस यूनिट ने पहले ही गोद लिए गांव / मलिन बस्ती का सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर लिया है। जब तक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए इस सर्वेक्षण डाटा का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसे सर्वेक्षणों से उपयोगी रूप से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अत: यह डाटा संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और नियमित एनएसएस कार्यकलापों के दौरान इस पर आगे कार्य किया जाना चाहिए। यह ज्यादा बेहतर होगा यदि गोद लिए गांव /मलिन बस्ती (जहां शिविरों की आयोजना बनाई जाती है) में ऐसे सर्वेक्षण, शिविर शुरू होने से पहले सामान्य नियमित कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किए जाएं। विभागों और प्राधिकारियों, जो इस सर्वेक्षण डाटा का प्रयोग करने की स्थिति में होंगे, को भी यह सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद यह शिविर पूर्व योजना का भाग होगा।

(ii) <u>गोद लिए क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान करना</u> :-

इन सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र डाटा से समुदाय की आवश्यकताओं और क्षमता का स्पष्ट अनुमान मिलेगा। इसके आधार पर शिविर के लिए परियोजनाओं की योजना बनाई जा सकती है और कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है ताकि परियोजनाओं से समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(iii) शिविर परियोजनाओं के संबंध में एनएसएस समूह नेताओं, स्वयंसेवकों और साथियों के साथ विचार विमर्श :

चूंकि विशेष शिविर को एनएसएस नेताओं, स्वयंसेवकों और शिक्षकों जैसे शिक्षण समुदाय और विद्यार्थियों का संयुक्त उद्यम माना जाता है, कार्यक्रम अधिकारियों को परियोजनाओं और विशेष शिविर की अपेक्षित व्यवस्था के विवरण पर विचार-विमर्श करने के लिए आवश्यक पहल करनी चाहिए। शिविर के आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विशेष शिविर, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आयोजित एक कार्यकलाप बन कर न रहे बल्कि यह समूची संस्था का कार्यक्रम बन जाए।

(iv) कॉलेज / + 2 स्तर की सलाहकार समिति की बैठक:

एनएसएस स्वयंसेवकों और सक्रिय साथियों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अधिकारी को समय, तिथियां, स्थान, स्थल, परियोजनाओं, उद्घाटन और आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों के नाम आदि जैसे शिविर ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार समिति की बैठक बुलानी जानी चाहिए।

(v) कार्यक्रम समन्वयक और क्षेत्रीय केंद्र को परियोजनाएं प्रस्तुत करना : -

कार्यक्रम अधिकारी को कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र, राज्य संपर्क अधिकारी और संबंधित टीओसी / टीओआरसी को प्रस्तावित विशेष शिविर के संबंध में सूचना देनी चाहिए। इस सूचना में शिविर की तिथियां, समय, स्थान और अन्य विवरण होना चाहिए। शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के स्वरूप की सूचना भी उक्त प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए।

तैयारी

2. **विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी**

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस नेताओं का अनुकूलन:

शिक्षकों और विद्यार्थी-नेताओं का उचित अनुकूलन आवश्यक है। विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिविर आयोजित करने वाले सभी कॉलेजों के लिए शिविर पूर्व अनुकूलन आवश्यक है कि विशेष शिविर लगाने में विभिन्न तकनीकी पहलु शामिल होते हैं जिनके साथ शिविर आयोजक और विद्यार्थी परिचित नहीं भी हो सकते हैं। अत: विशेष अनुकूलन से कार्यक्रमों की उचित योजना और कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। यह ज्यादा अच्छा होगा कि यदि प्रत्येक यूनिट से प्रभारी शिक्षक और दो विद्यार्थी नेताओं के लिए अनुकूलन, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र, संबंधित सरकारी विभागों और अनुकूलन केन्द्रों के सहयोग से विश्वविद्यालय / + 2 स्तर पर आयोजित किया जाए और इसमें शिविर के कार्यक्रम और प्रशासनिक पहलुओं, दोनों को शामिल किया जाए। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी (प्रभारी शिक्षक और दो विद्यार्थी नेता) स्थानीय रूप से उपलब्ध तकनीकी कार्मिकों और विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करके यूनिट स्तर पर ही शिविर में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूलन आयोजित कर सकते हैं।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श:

यूनिट स्तर पर तैयारी से संबंधित स्थानीय विभागों के साथ परामर्श, गांव / मलिन बस्ती में स्थानीय पंचायत और समुदाय की सहायता, और स्थानीय युवाओं (10 प्रतिशत तक) द्वारा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। शिविरों के परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। विभिन्न विभागों के ऐसे प्रतिनिधियों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिनसे मार्गदर्शन और सहायता के लिए मिला जा सके।

(ग) यूनिटों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन : -

कार्यक्रम समन्वयक को एनएसएस इकाइयों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की एक माह पहले सूचना देनी चाहिए। इससे कार्यक्रम अधिकारी शिविर के सफल आयोजन के लिए आवश्यक प्रबंध कर पाएंगे और स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे।

(घ) अनुदान जारी करना :

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनुदान, शिविर आयोजित करने वाली एनएसएस यूनिटों को शिविर के वास्तव में शुरू होने से पहले उपलब्ध कराया जाए। विश्वविद्यालय, एनएसएस यूनिट के लिए स्वीकार्य विशेष शिविर अनुदान समय से पहले

दे, बशर्ते कि उचित लेखाओं को प्रस्तुत किया गया हो। बाकि शेष राशि को संबंधित एनएसएस यूनिटों द्वारा अंतिम रूप से तैयार लेखाओं को प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है।

2.1 यूनिट स्तर पर तैयारी

(क) कार्यक्रम अधिकारी, परियोजनाएं तैयार करते समय संबंधित विभागों, पंचायतों, स्थानीय निकायों और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारियों से परामर्श करेगा। उसे विभागों से उपलब्ध सुविधाओं का उचित मूल्यांकन करना होगा, ताकि यदि उसे वचनबद्ध सुविधाएं उपलब्ध न करवाई गई हों तो उसे विषम स्थिति का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम अधिकारी को सरकारी भूमि पर, या अपने संसाधनों के आधार पर कोई परियोजना शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से भी परामर्श करना चाहिए, ताकि बाद में परेशानियां पैदा न हो।

(ख) कार्यक्रम अधिकारी शिविर के दौरान स्वयंसेवकों के लिए अपेक्षित बोर्ड के आवश्यक प्रबंध करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिविर में परियोजनाओं हेतु अपेक्षित साधन और उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह देखा गया है कि कई मामलों में, खाद पदार्थों की अनुचित आपूर्ति और पर्याप्त मात्रा में साधन और उपकरण न होने से शिविर पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(ग) कार्यक्रम अधिकारी को खान-पान और ठहरने की उचित व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र का शिविर पूर्व दौरा करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शौचालय और स्नान की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कन्या विद्यार्थियों को अपनी निजता बनाए रखने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ड.) कार्यक्रम अधिकारी को एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसमें परियोजनाओं का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। स्वयंसेवकों को विभिन्न समूहों और समितियों में बांटा जाना चाहिए और दोहरेपन से बचने के लिए प्रत्येक समिति और समूह की भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए।

2.2 शिविर की सफलता हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

(क) उचित परियोजनाओं का चयन:

विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए उचित परियोजनाओं के चयन से शिविर में भाग लेने वाले व्यक्तियों का मनोबल बढ सकता है और उनमें उपलब्धित को बोध पैदा हो सकता है। अत: यह अनिवार्य है कि उपयुक्त परियोजनाओं का चयन पूरी सावधानी से किया। विशेष शिविर कार्यक्रमों में परियोजनाओं / कार्यकलापों को चिन्हित करते समय निम्नलिखित मानदण्ड ध्यान में रखे जा सकते हैं:

(i) क्षेत्र की आवश्यकताएं;

(ii) क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं;

(iii) स्थानीय भागीदारी;

(iv) 10 दिन में परियोजना को पूरा करने या विकसित करने की संभावना और

(v) नियमित कार्यकलापों में अनुवर्ती कार्रवाई की संभावना।

(ख) व्यक्तित्व विकास:

एनएसएस शिविरों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। समूह में कार्य करना, दल का निर्माण, सामुदायिक गतिशीलता, नेतृत्व, संचार कौशल और रचनात्मकता विशेष शिविरों का भाग होने चाहिए। यदि युवा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास किया जाना है, तो इस विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्य एनएसएस स्वयंसेवकों को शामिल करके इस प्रयोजनार्थ कुछ शिविर अनन्य रूप से विकसित किए जा सकते हैं।

3. सफल शिविर कार्यक्रम का महत्व

विशेष शिविरों को, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेने के लिए भविष्य के शिक्षित नागरिकों को प्रशिक्षित करने का प्रशिक्षण मैदान माना जाता है। अत: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एनएसएस स्वयंसेवक, जो समूचे कार्यक्रम में मुख्य सहभागी हैं, समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पर्याप्त शक्ति और अनुभव प्राप्त करें। विशिष्ट परियोजनाओं और प्रेरणा के साथ आयोजित सफल शिविर उसके लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो सकते हैं और उसे उभरते समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

4. मार्गदर्शी सिद्धांत

(क) शिविर से जीवन के लोकतांत्रिक और सहयोगी तरीके के लिए सहायक परिवेश मिलना चाहिए। इससे एनएसएस स्वयंसेवक शिविर की दिनचर्या में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित होने चाहिए।

(ख) विशेष शिविरों का उद्देश्य समाज में आत्मनिर्भरता और आत्म-अनुशासन में जीने के तरीके की भावना को बढ़ावा देना भी है। मुख्य बल इस बात पर होना चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में अपने व्यवहार को स्वयं दिशा दें। शिविर आयोजित करने और चलाने का संपूर्ण कार्य अर्थात् स्थल की सफाई, टेंट लगाना (जहां कही आवश्यक हो), सफाई सेवाओं की व्यवस्था और मानव तथा वनस्पति कूडे का पुन: उपयोग, खाना बनाना और खाना परोसना आदि सहभागियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिविर में भाग लेने वाले कुछ विद्यार्थी इन मूल कार्यों के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं, अत: प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर से दूसरे शिविर में भेजा जा सके।

(ग) एनएसएस स्वयंसेवकों में यह योग्यता होनी चाहिए कि वे स्वयं को समुदाय से जोड सकें। समाज में गरीब और अमीर तथा शिक्षित और अशिक्षित के बीच बहुत बडा अन्तराल है।

अत: हमारा प्रयास एनएसएस स्वयंसेवकों को समुदाय, इसकी समस्याओं को समझने और संभव समाधान देने के अवसर देने के लिए उन्हें गांव में ले जाकर इस अन्तराल को पाटना होना चाहिए। एक गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि एनएसएस स्वयंसेवक स्वयं को समुदाय से जोडें और समुदाय से अलग न समझें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों के रहन-सहन के सामान्य स्तर में कोई अन्तर नहीं है। स्थानीय युवाओं का संपूर्ण सहयोग लेने के लिए समुदाय के साथ संबंध बनाने की भावना विकसित करने के कार्य को शिविर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

5. शिविर की संरचना

(क) प्रत्येक शिविर में 1-2 शिक्षक और 2-5 विद्यार्थी नेता होंगे जो शिविर आयोजक / कार्य पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। प्रत्येक शिविर में स्थानीय जरूरतों के आधार पर न्यूनतम 40 और अधिकतम 50 सहभागी हो सकते हैं।

(ख) स्थानीय विद्यार्थियों और गैर- विद्यार्थी युवाओं (शिविर संख्या के 10 प्रतिशत तक) की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ऐसा स्थानीय लोगों के सहयोग से संध्या काल में किए जाने वाले नृत्य, नाटक, संगीत आदि के द्वारा उपयुक्त सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि इन समुदाय के युवा व्यक्ति देश के विकास मे पूर्णत: भागीदार महसूस कर सकें।

(घ) महिला एनएसएस स्वयंसेवकों का सह-शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित शिविरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ड.) यदि संभव हो तो विदेशी विद्यार्थियों को भी एनएसएस शिविरों में शामिल किया जाए।

6. शिविर का प्रशासन

(क) अधिक से अधिक संख्या में संस्थान के एनएसएस स्वयंसेवक नेताओं और शिक्षण समुदाय को शिविर आयोजित करने में भागीदार बनाया जाए।

(ख) शिविर में भाग लेने वाले सभी एनएसएस स्वयंसेवकों को विभिन्न समूहों में बांटा जाना चाहिए। प्रत्येक स्वयंसेवक अपनी क्षमता, शैक्षिक अर्हता और कौशल के अनुसार कार्यकलाप करेंगे। उदाहरण के लिए, एक दल रोकथाम किए जा सकने वाले रोगों के विरूद्ध व्यापक स्तर पर टीकाकरण का कार्य अपने हाथ में ले सकता है, दूसरा दल पर्यावरणीय सफाई और गोबर गैस प्लांटों को लोकप्रिय बनाने की देखरेख कर सकता है; एक और दल पेयजल की व्यवस्था या संस्थान आदि द्वारा चुने गए अन्य कार्यकलापों पर अपना पूरा ध्यान लगा सकता है। प्रत्येक समूह में कुछ स्थानीय गैर- विद्यार्थी युवा हो सकते हैं ताकि स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय सहायता और कार्यकाल समय के दौरान कार्यक्रमों पर आगे उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(ग) शिविरों का प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जा सकता है जो शिविर दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करेगी। समय की पाबंदी और अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षकों सहित सभी प्रतिभागियों को शिविर के नियमों का पूर्णत: पालन करना चाहिए और शिविर में रहना चाहिए। यह सुझाव है कि शिविर के संचालन के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की जा सकती हैं: -

(i) **भोजन व्यवस्था समिति** : यह शिविर के भोजन प्रबंधों की देखभाल करेगी

(ii) कार्यक्रम समिति: शिविर के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिए

(iii) परियोजना समिति: साधनों और उपकरणों की आपूर्ति सहित परियोजना कार्य की देखरेख करना।

(iv) सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति: सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इस तरह प्रबंध करना कि सभी प्रतिभागियों को अपने कौशल और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय समूह प्रदर्शन को वरीयता दी जाए।

(v) सामान्य अनुशासन समिति: यह शिविर में अनुशासन की देखरेख करेगी।

(vi) स्वागत और अतिथि समिति : यह शिविर में अतिथियों की देखरेख करेगी और उनके आगमन और प्रस्थान के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी।

7. शिविर की अवधि

(क) एनएसएस शिविर 10 दिनों की अवधि का होगा। एनएसएस स्वयंसेवकों से उद्घाटन दिवस सहित शिविर की पूरी अवधि में भाग लेने की आशा की जाती है और यह आशा कि जाती है कि वे विदाई समारोह के बाद आखिरी दिन ही शिविर से जाएंगे।

(ख) 10 दिनों से अधिक अवधि के शिविर संस्थान द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं, जो इस शर्त के अधीन होगा कि कोई अतिरिक्त वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति, शिविर व्यय में मित व्ययता बरत कर की जा सकती है। शिविर की अवधि को 10 दिनों की अनिवार्य अवधि के अतिरिक्त 5 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) यदि कोई महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है और यह पूरी नहीं होती है और यह समुदाय के लिए बहुत अनिवार्य है, तो एनएसएस यूनिट परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरा शिविर आयोजित करने की योजना बना सकती है।

8. ठहरने की व्यवस्था

(क) शिविर की ठहरने की व्यवस्था गांव या पंचायत स्कूल के भवन में की जानी चाहिए।

(ख) यदि यह उपलब्ध न हो तो ऐसे प्रयोजन के लिए गांव के प्रभावशील लोगों की सहमति से पंचायत घर आदि जैसे सामुदायिक भवन का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) कॉलेज / स्कूल के परिसर में कोई शिविर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। एनएसएस स्वयंसेवक उस गोद लिए क्षेत्र में ही रहें जहां शिविर आयोजित किया जा रहा है।

(घ) सामान्यत परियोजना के दौरान महानगर शहरों में मलिन बस्तियां विद्यार्थियों के लिए रात भर ठहरने के लिए सुविधाजनक नहीं होती। ऐसे मामलों में ठहरने की व्यवस्था संस्थान में ही की जानी चाहिए (कॉलेजों और स्कूलों से आशा है कि वे निकटवर्ती मलिन बस्तियों को गोद लें)। तथापि, जहां यह संभव न हो, 'दिन भर का शिविर' आयोजित

किया सकता है। यह व्यवस्था केवल शहरी यूनिटों के लिए है, जिन्हें शिविर प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त जगह मिलने में काफी कठिनाई होती है। ' दिन भर के शिविर' आयोजित करने के लिए कार्यक्रम समन्वयक का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

9. भोजन व्यवस्था

(क) भोजनकक्ष का प्रबंधन भोजन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। किसी संविदाकार को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की ज़िम्मेदारी देने के कार्य से बचा जाना चाहिए।

(ख) शिविरों में भोजन साधारण परंतु संतुलित होना चाहिए। इसकी लागत कम से कम हो और जहां तक संभव हो, इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाया जाना चाहिए। भोजन की योजना राज्य में यथा उपलब्ध भोजन और पोषण की जानकारी रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों की सहायता से ध्यानपूर्वक बनाई जानी चाहिए। प्रतिभागियों को भी शैक्षिक अनुभव के रूप में भोजन की योजना के बारे में समझाया जाना चाहिए; और स्थानीय समुदाय में इसका प्रचार शिविर प्रतिभागियों का एक महत्वपूर्ण विस्तार कार्यकलाप होना चाहिए।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिविर में परोसा गया भोजन उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के सामान्य स्तर से बहुत अलग न हो।

10. परियोजना कार्य

(क) परियोजनाओं का चयन गांव / मलिन बस्तियों की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के बाद मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की जानी चाहिए, जो गांव / मलिन बस्ती की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो।

(ख) बाद में विवाद से बचने के लिए परियोजना की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ग) परियोजना की सफलता के लिए सामग्रियों / उपकरणों और तकनीकी सलाह की उपलब्धता पहले ही सुनिश्चित की जाए।

(घ) परियोजना को शिविर अवधि के दौरान ही पूरा करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

11. समुदाय की भागीदारी

परियोजना के कार्य में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाने के सभी प्रत्येक प्रयास किया जाने चाहिए। यह समझाया जाना जरूरी है कि यह कार्य उनके लाभ के लिए है और इसलिए, वे इसमें योगदान दे। यदि सभी शारीरिक प्रयास केवल विद्यार्थियों द्वारा किए जाते हैं तो ग्रामीण लोग

यह महसूस कर सकते है कि विद्यार्थी इसे डिग्री प्राप्त करने या कोई अन्य लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। अत: कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाना होना चाहिए और उन्हें यह दिखाया जाना चाहिए कि वे अपने ही समन्वित प्रयासों से, बेहतर और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।

12. शिविर कार्यक्रम

(क) शिविर के लिए उपयुक्त अनुसूची तैयार करना अनिवार्य है, ताकि इससे शिविर प्रतिभागियों में अनुशासन और समर्पण को बोध विकसित करने में सहायता मिलती है। चूंकि शिविर समुदाय के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का अवसर होता है, अत: इसे पिकनिक या सैर-सपाटा नहीं माना जाना चाहिए।

(ख) परियोजनाओं के दायरे और विषय वस्तु में पर्याप्त विभिन्नता के कारण किसी कार्य शिविर के लिए कार्यकलापों की किसी एक सामान अनुसूची का सुझाव नहीं दिया जा सकता है, एनएसएस यूनिटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिविर के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों की इस तरह योजना और व्यवस्था बनाई गई है कि उससे अन्त: शिविर आयोजित करने के उद्देश्य पूरे होंगे। हाथ से कुछ कार्य के अलावा, शिविर से समूह और सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि में समुदाय, रहन-सहन, विचार-विमर्श के अवसर मिलने चाहिए। एक उत्तम शिविर महत्वपूर्ण कार्यकलापों की निम्नलिखित दैनिक अनुसूची अपना सकता है :-

(i) लघु ग्राम परिसर के निर्माण, बागिचे लगाना, वृक्षारोपण आदि जैसे सतत विकास कार्यकलापों जैसी परियोजना या स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अन्य किसी भी परियोजना को संपर्ण करने हेतु हाथ से कार्य : 5 घंटे

(ii) स्वतंत्रता संग्राम, चरित्र निर्माण, संस्कृति के विकास, सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य और स्वच्छता, राष्ट्रीय अखण्डता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, दहेज, छुआछूत, शराब, नशा खोरी, भ्रष्टाचार, जुआ खेलना और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन तथा नागरिकों की सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों, लघु बचत, उन्नत कृषि प्रक्रियाओं आदि जैसे विषयों पर विचार-विमर्श : 2 घंटे

(iii) संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम / सामुदायिक गायन : 2 घंटे

यह उपयुक्त है कि विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रक्रिया के दौरान अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणों / निवासियों (चाहे उनकी आयु कोई भी हो) को ऐसे विचार - विशर्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लाभ उठाने का अवसर मिले। यदि इनमें से कुछ हाथ से काम करने में असमर्थ हो परन्तु विचार-विमर्श और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रूचि रखते हो, तो उसे प्रोत्साहित किया जाए। जहां तक संभव हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक संदेश के साथ शैक्षिक महत्व के हो। समुदाय के लाभ हेतु विकासके मुद्दों पर कुछ वृत्त चित्र फिल्में दिखाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि शिविर के भाग के रूप में, विद्यार्थियों को आईआरडीप, एनआरईपी, आईसीडीएस, मध्यान भोजन, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सड़कों और सफाई, ग्रामीण सहकारी आवासन कार्यकलाप, डेरी और पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मृद्रा और जलसंरक्षण परियोजनाओं, और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, जैसे ग्रामीण विकास मुद्दों के साथ निकटवर्ती परियोजनाओं में लेकर जाना चाहिए। ताकि उन्हें देश सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक तथा तकनीकी प्रगति के बारे में बताया जा सकें। विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए रखे गए बजट के संबंध में मितव्ययता बरतकर और शिविरों की अवधि को 1 या 2 दिन बढाकर इस परियोजनार्थ 1 दिन बिताना आवश्यक होगा। इस संबंध में सभी सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय बनाया जाना होगा।

13. सांकेतिक मॉडल अनुसूची

1 प्रात:काल में उठना	0500 बजे
2 प्रात:कालिन सभा	0600 बजे। 0630 बजे तक
3 नाश्ता करना और औजार आदि लेना	0630 बजे। 0715 बजे तक
4 परियोजना कार्य	0730 बजे। 1230 बजे तक
5 निजी स्वच्छता	1230 बजे। 1300 बजे तक
6 मध्याह्न भोजन	1300 बजे। 1400 बजे तक
7 विश्राम	1400 बजे। 1500 बजे तक
8 प्रतिष्ठित आगंतुकों द्वारा वार्ताएं और फिर विचारविमर्श	1500 बजे 1700 बजे तक
9 सामुदाय का दौरा	1700 बजे। 1930 बजे तक
10 मनोरंजन और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	1900 बजे। 2000 बजे तक
11 रात्रिभोज	2000 बजे। 2100 बजे तक
12 दिन भर के काम की समीक्षा	2100 बजे। 2130 बजे तक

13 समापन 2200 घंटे

14. घर जैसा प्रवास

अंतर-धर्म, अंतर-समुदाय और अंतर-निजी समझ का समर्थन करने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों और एनएसएस यूनिटों ने एनएसएस स्वयंसेवकों को कुछ दिन, एक धर्म या समुदाय के स्वयंसेवकों को विभिनन धर्मों और समुदाय के स्थानीय परिवार में रखकर घर जैसे प्रवास की अवधारणा का प्रयोग किया है। यह प्रयोग काफी सफल रहा है और इसका बहुत शैक्षिक महत्व है। प्रत्येक शिविर के दौरान कतिपय संख्या में इच्छुक विद्यार्थियों को किसी मेजवान परिवार में 2/3 दिन का अनुभव करने और शेष शिविर सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15. संयुक्त शिविर और राज्य स्तरीय शिविर

(क) संयुक्त शिविर:

यह अनुभव किया गया है कि कार्य निष्पादन के संदर्भ में एक से अधिक संस्थानों के संयुक्त शिविर इतने उपयोगी नहीं है जितने कि अलग-अलग एनएसएस यूनिटों के शिविर। प्राय: संयुक्त शिविरों के लिए संयुक्त जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है और इनसे लेखाओं में कठिनाईयां पैदा होने के अलावा विभिन्न बातों में जबावदेही में कठिनाईयां होती है। संयुक्त शिविरों ये केवल यहि उद्देश्य पूरा होता है कि अधिक से अधिक संस्थानों को शिविर में शामिल किया जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में प्रत्येक एनएसएस यूनिट का कार्यनिष्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा, संयुक्त तरीके से कार्यक्रम में आगे कार्य करना भी संभव नहीं होता है। अत:, अब यह निर्णय किया गया है कि <u>संयुक्त शिविरों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए</u>।

(ख) राज्य स्तरीय शिविर:

जबकि प्रत्येक एनएसएस यूनिट स्थानीय अवश्यकताओं और आधार पर लंबे अवकाश के दौरान विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत एक परियोजना शुरू करेगी, प्रत्येक वर्ष अवकाश के दौरान राज्य स्तर पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय महत्व की कुछ परियोजनाएं शुरू की जा सकती है। राज्य संपर्क अधिकारी विशेष शिविर की अनुमोदित पद्धति के भीतर एनएसएस यूनिटों से चुनिंदा स्वयंसेवक प्रतिनिधियों के साथ ऐसी परियोजनाओं का समन्वय और निष्पादन कर सकती है।

16. प्रचार

ग्रामिण पुननिर्माण की प्रक्रिया में इस कार्यक्रम के महत्व की जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल और गांव के स्तरों पर नियोजित / आयोजित शिविरों के उचित प्रचार पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, वृत्तचित्र और अन्य जन संचार माध्यमों से किया जाना चाहिए। इस संबंध में सहायता के लिए राज्य सरकारों के सूचना और जन संपर्क विभागों से भी अनुरोध किया जाना चाहिए। कॉलेज / + 2 स्तर पर, प्रत्येक एनएसएस यूनिट अभियान पर क्षेत्रीय भाषा में कुछ पोस्टर / चार्ट तैयार करें तथा वांछित प्रभाव लाने के लिए गांव / मलिन बस्ति क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों पर प्रदर्शित करें।

17. रिपोर्ट और लेखा

(क) रिपोर्ट:

जैसे ही शिविर समाप्त हो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा (क) संबंधित विश्वविद्यालय या +2 परिषद के एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक (ख) राज्य सरकार में संबंधित अधिकारी और (ग) संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिसमें अन्य के साथ-साथ शिविर के स्थान, सहभागियों की वास्तविक संख्या, शिविर की अवधि (सही तिथियों सहित), शिविर के दौरान किए गए कार्यकलापों, समुदाय की प्रतिक्रिया, सृजित समुदाय परिसंपत्तियों और अनुवर्ती योजना का उल्लेख हो। कार्यक्रम समन्वयक इन शिविरों के संबंध में सभी संबंधितों को एक समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा।

(ख) लेखे:

शिविरों पर व्यय के लेखे शिविरों की प्रगति के साथ तैयार किए जाने चाहिए। ताकि वर्ष के अंत में कॉलेजों को लेखे प्रस्तुत करने के मामले में कोई कठिनाई न हो। विश्वविद्यालय और +2 परिषदें शिविरों के संबंध में व्यय (लेखा परीक्षित) का विवरण राज्य सरकार को उसी समय प्रस्तुत कर दें जैसे ही वे कॉलेज / स्कूल से उपलब्ध हो जाए सभी सत्रों द्वारा व्यय के लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करना एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय / राज्य हिस्से के अनुदानों की सुचारू प्राप्ति के लिए अन्तयंत महत्वपूर्ण है।

18. अनुवर्ती कार्रवाई

शिविर आयोजित करना अपने आप में उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि शिविर का समापन हो स्थानीय समुदाय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सृजित

संपत्तियों का रख-रखाव स्थानीय प्राधिकारियों और / या समुदाय द्वारा किया जाएगा। वृक्षारोपण के मामले में लगाए गए वृक्षों को पोषण और रख-रखाव स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। गोद लिए गांव / मलिन बस्ती में शिविरों में आगे का कार्य संबंधित संस्थान की एनएसएस यूनिट के नियमित कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप के रूप में किया जाना चाहिए। यह शिविरों की उपलब्धियों को समेकित करने और समुदाय में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है। इसका यह भी निहितार्थ है कि परियोजना क्षेत्र गोद लिया गांव / मलिन बस्ती होना चाहिए जो कॉलेजों से ज्यादा दूर न हो ताकि आगे का कार्य आसान और संभव हो जाए विश्वविद्यालय को शिविर की रिपोर्ट भेजते समय प्रत्येक कॉलेज को शिविर के दौरान किए एग कार्य के संबंध में एनएसएस यूनिट की आगे की योजना का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

19. मूल्यांकन

(क) राज्य, टीओसी समन्वयक और विश्वविद्यालय / + 2 एनएसएस समन्वयक को विद्यार्थियों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने तथा जहां कही आवश्यक हो, उनका मार्गदर्शन करने के लिए शिविरों को दौरा करना चाहिए। शिविर के दौरे के दौरान उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिविर के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ध्यान रखा गया है।

(ख) कार्यक्रम का मूल्यांकन स्वतंत्र संगठनों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को यथा समय संगठनों के नाम और पते की सूचना दी जाएगी। विश्वविद्यालय को उस संगठन को शिविर की योजना बनाने वाले कॉलेजों / + 2 के नामों (और अन्य विवरण) उसी समय सूचित करने चाहिए जैसे ही उन्हें प्रत्येक कॉलेज से मिले। इसके बाद नामित संगठन प्रत्येक कॉलेज /स्कूल को शिविरों के विभिन्न पहलुओं में सूचना प्राप्त करने के लिए शिविर शुरू होने से पर्याप्त समय पहले एक प्रश्नावली भेजेगा। कॉलेज / स्कूल शिविर समाप्त होते ही सीधे संगठन को विधिवत भरी प्रश्नावली लौटाएंगे ताकि वे जैसे-जैसे शिविर आगे बढ़े वे उसका मूल्यांकन कर सके।

अध्याय 3 विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु व्यय की वित्तीय पद्धति

1. वित्त

एनएसएस कार्यक्रम का वित्त भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चूंकि एनएसएस एक शिक्षा और सेवा आधारित योजना है, अत: व्यय के समय वित्तीय नियमों का पालन बहुत जरूरी है।

(क) इस योजना पर व्यय को केंद्रीय और राज्य सरकारों, जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके मामले में पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा गहन किया जाता है, के मामले को छोडकर 7: 5 के अनुपात में साझा किया जाता है। विशेष शिविर कार्यक्रम पर व्यय भी केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच उपरोक्त आधार पर साझा किया जाता है।

(ख) (i) इस समय दिनभरके शिविर के लिए अनुमत्य व्यय प्रति शिविर सहभागी 200/- रू. है। अत: खानपान, प्रवास, लाइट, पानी आदि और परिवहन पर व्यय प्रतिदिन 20/- रू. से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) खानपान और प्रवास तथा परिवहन, आकस्मिक व्यय आदि पर प्रति दिन प्रति शिविर 20 / - रु उच्चतम सीमा है और विशेष रूप से मितव्ययता की अवश्यकता को देखते हुए इस व्यय को कम रखे जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता बरतने के लिए शिविर का अयोजन कॉलेज / स्कूलों के निकट गांव / मलिन बस्ती में किया जाना चाहिए। इस प्रकार यात्रा पर व्यय कम से कम किया जाना चाहिए।

(iv) शिविर-पूर्व अनुकूलन, उपाय कुशल व्यक्तियों, कार्यकलापों की योजना, मूल्यांकन आदि पर व्यय जैसे अन्य व्ययों की पूर्ति एनएसएस नियमित निधियों से की जाए और इसे शिविर निधियों से नहीं लिया जाना चाहिए।

(v) विश्वविद्यालय आगे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर आयोजित कर सकते है। राज्य स्तरीय शिविरों का आयोजन राज्य में ही राज्य सलाहकार समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ग) शहरी मलिन बस्तियों में शिविरों के मामले में, जहां कही नितांत आवश्यक पाया जाए। दिन भर के शिविरों की अनुमति है। इन शिविरों में भोजन पर व्यय में काफी कमी आएगी क्योंकि विद्यार्थियों को केवल मध्याह्न भोजन और दोपहर बाद की चाय दी जा सकती है। अधिकतर माहनगरीय शहरों में बस सेवा या अन्य सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध है। छोटे शहरों में विद्यार्थी अपन साइकल का उपयोग कर सकते है। इस प्रकार विद्यार्थियों के प्रतिदिन शिविर में आने और वापिस जाने से परिवहन पर व्यय भी कम होगा। अत: यह महसूस किया गया है कि दिनभर के शिविर में भोजन, परिवहन, आकस्मिक स्थितियों आदि पर व्यय प्रतिदिन प्रति सहभागी 8 / -रू. से अधिक नहीं होगा। 10 दिनों में प्रति स्वयंसेवक व्यय 80/-रू. (केवल अस्सी रुपये) तक सीमित किया जाना चाहिए। ।

(घ) चूंकि कॉलेजों द्वारा संयुक्त शिविरों का आयोजन प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों के विरूद्ध है, अत: संयुक्त शिविरों पर किए गए व्यय की एनएसएस विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए निर्धारित अनुदानों से अनुमति नहीं होगी।

2. रिकॉर्डों की लेखा- परीक्षा और निरीक्षण

लेखे निरीक्षण और लेखा-परीक्षा के अधीन होंगे। अत: यह सलाह दी जाती है कि शिविर में व्यय के उचित रिकॉर्ड रखने का उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह उपयुक्त होगा यदि लेखे पारदर्शी हो। रिकॉर्ड और लेखाओं को जब कभी मांगा जाए निरीक्षण और लेखा-परीक्षा एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य एनएसएस सेल के अधिकारियों और संबंधित विश्वविद्यालयों तथा महालेखाकार के अधिकारियों या स्थानीय निधि प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग- IV

प्रशासनिक संरचना

अध्याय-1: राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक संरचना

राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे युवा कार्यक्रम के लिए इसकी सफल योजना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक संरचनाओं की आवश्यकता है। अतः केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय/+2 और कॉलेज स्तरों पर संगठनात्मक संरचनाओं की परिकल्पना की गई है। सभी स्तरों पर सहायता प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम और कार्यकलापों को अपेक्षित ध्यान मिले।

राष्ट्रीय स्तर

1. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग एनएसएस के लिए नोडल विभाग है और इसे एनएसएस कार्यक्रम की नीतिगत योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है, जिसकी देख-रेख जहां तक कार्यक्रम के प्रशासन और कार्यान्वयन का संबंध है संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. कार्यक्रम सलाहकार

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को कार्यक्रम सलाहकार पदनामित किया जाता है। कार्यक्रम सलाहकार और एनएसएस संगठन के प्रमुख के कार्य इस प्रकार हैं:-

(क) विभाग को सभी दृष्टि से एनएसएस कार्यक्रम के विकास के लिए सलाह देनाः

(ख) विभाग को एनएसएस कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने में सहायता करनाः

(ग) राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ संपर्क रखना, जो कार्यक्रम की संवृद्धि और विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकें:

(घ) टीओसी और टीओआरसी के माध्यम से मुख्य व्यक्तियों और कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनाः

(ङ) टीओआरसी या अन्य उपयुक्त एजेंसियों द्वारा समय-समय पर एनएसएस के मूल्यांकन की व्यवस्था करनाः

(च) एनएसएस के संबंध में अनुसंधान और प्रकाशन कार्य को प्रोत्साहित करनाः

(छ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार रिकार्ड के रखरखाव की देखरेख करनाः

(ज) विभाग द्वारा देश में विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में स्थापित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना।

3. कार्यक्रम सलाहकार का सेल

विभाग ने विभिन्न स्तरों पर एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार को सहायता करने हेतु कार्यक्रम सलाहकार का सेल गठित किया है। कार्यक्रम सलाहकार के सेल का अध्यक्ष उप कार्यक्रम सलाहकार है और इसमें मूल सहायता स्टाफ है। यह सेल राज्यों, विश्वविद्यालयों और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों से डाटा कें सग्रहण और संकलन के लिए कार्यक्रम निगरनी केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और इस सूचना के फीडबैक के रूप में विभाग को देता है। इस प्रकार सभी व्यवहारिक प्रयोजनों से कार्यक्रम सलाहकार का सेल एनएसएस मुख्यालय के रूप में कार्य करता है।

4. एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र

(क) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने एनएसएस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, +2 परिषदों तथा टीओसी/टीओआरसी के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए देश में 15 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों की सूची अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का एक अधीनस्थ फील्ड कार्यालय है और स्वयंसेवकों की संख्या और राज्य के आकार के आधार पर क्षेत्रीय केंद्र का अध्यक्ष, उप कार्यक्रम सलाहकार या सहायक कार्यक्रम सलाहकार होता है। उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार केंद्र सरकार सेवा के समूह-क ग्रेड का होता है।

(ग) क्षेत्रीय केंद्र के अध्यक्ष के रूप में उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार को सहायता हेतु मूल स्टाफ दिया जाता है।

5. एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों के कार्य

इसके अलावा एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, टीओसी/टीओआरसी और राज्य संपर्क सेलों के निरंतर समन्वय में कार्य करेंगे। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और टीओसी/टीओआरसी के संदर्भ में एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों के कार्य इस प्रकार हैं:-

(क) राज्य सरकार

(i) एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों को विभाग की नीतियां समझाना।

(ii) इस क्षेत्र में एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से सहित अनुदान समय पर पहुंचते हैं ताकि एनएसएस कार्यकलापों को समय अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित किया जा सके।

(iv) एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, जब कभी अपेक्षित हो, राज्य सरकारों को एनएसएस और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इनके विभिन्न पहलुओं में हाल के घटनाक्रमों की सूचना देता रहेगा।

(v) लेखाओं और अन्य रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के संपर्क में रहना।

(vi) एनएसएस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन और समय पर कार्रवाई के लिए राज्य संपर्क अधिकारी के साथ सहयोग करना।

(ख) विश्वविद्यालय

(i) विश्वविद्यालय समितियों में और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों और एनएसएस कार्यक्रम से जुड़े अन्य व्यक्तियों को मंत्रालय के विचारों, और यदि राज्य सरकारों द्वारा सलाह दी गई हो, तो राज्य सरकार के विचारों को प्रस्तुत करना।

(ii) नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप, विशेष शिविर कार्यक्रमों सहित एनएसएस कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना।

(iii) अपने-अपने कुलपतियों और +2 परिषदों के प्रमुखों को विश्वविद्यलयों और कॉलेज/संस्थानों में कार्यक्रम की स्थिति से अवगत कराना।

(iv) यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को निधियां समय पर जारी की जाती हैं।

(v) पर्यवेक्षण, परामर्शी सेवा, मार्गदर्शन आदि के लिए विभिन्न एनएसएस यूनिटों और शिविरों का दौरा करना।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि एनएसएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनएसएस मैनुअल और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। स्थापित नीतियों की कोई भी उपेक्षा करने के मामले को विभाग और कार्यक्रम सलाहकार की जानकारी में लाया जाए।

(ग) टीओसी/टीओआरसी तथा मूल्यांकन एजेंसियां

एनएसएस से जुड़े व्यक्तियों का अनुकूलन और प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और +2 स्कूलों में इसकी गतिशीलता को बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण जानकारी होने से यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाए, उन्हें समझा जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए। एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों को इस क्षेत्र में निम्नलिखित रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभानी हैः

(i) इन संस्थानों में अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलापों के आयोजन का पालन करना है;

(ii) जहां कहीं संभव हो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दौरा करना और नीतियों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में टीओसी/टीओआरसी को सलाह देना;

(iii) अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपाय कुशल व्यक्ति के रूप में कार्य करना;

(iv) नियमित और विशेष शिविर कार्यक्रम के मूल्यांकन में टीओसी/टीओआरसी की सहायता करना;

(v) प्रशिक्षण सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में टीओसी/टीओआरसी की प्रगति की रिपोर्ट करना।

(घ) अन्य युवा कार्यक्रम

राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों,+2 स्कूलों और टीओसी/टीओआरसी की तुलना में एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों की भूमिका के अलावा, उनकी विद्यार्थी/गैर-विद्यार्थी युवाओं के लिए लक्षित विभाग के विभिन्न अन्य युवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे कार्यक्रमों में स्वैछिक एजेंसियों द्वारा युवा कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा, नेहरू युवा केंद्र आदि शामिल हैं। इन कार्यालयों से आशा की जाती है कि वे परस्पर समझ और आदर के आधार पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्रों आदि के संबंधित पदधारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। यह भी जरूरी है कि वे अपने मुख्यालय से बाहर अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे करें। क्षेत्रीय अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले युवाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम दौरा अवधि एक तिमाही में 20 दिन है।

(ड.) सूचना आदान-प्रदान केंद्र

उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार, जो विभिन्न राज्यों में एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के अध्यक्ष होते हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में आते हैं। अतः वे एनएसएस कार्यक्रम और अन्य युवा कार्यक्रमों संबंधी सूचना प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार उन्हें राज्यों में कार्यक्रमों के हाल के घटनाक्रम के बारे में

कार्यक्रम सलाहकार को फीडबैक देने और उनसे फीडबैक लेने का अवसर होता है। इसी प्रकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों से आशा की जाती है कि वे सामान्यतः आम जनता और विशेष रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा एनएसएस कार्यक्रम और अन्य युवा कार्यक्रमों के बारे में पूछी गई जानकारी का जवाब दें।

6. जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व

(क) चूंकि एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र विभाग के अधिनस्थ फील्ड कार्यालय होते हैं, अतःभारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल और मार्गदर्शी सिद्धांतों की संपूर्ण भावना के अनुसार एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है।

(ख) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बिना किसी भय और पक्षपात के सरकारी नीतियों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को समझाना, विशेष रूप से उन्हें व्याख्या और स्पष्टिकरण प्रस्तुत करना क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुखों की ड्यूटी है। विश्वविद्यालयों और / या राज्य के दबाव में क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुख चुप नहीं रह सकते हैं।

अध्याय - 2 राज्य स्तर पर प्रशासनिक संरचना

चूंकि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित होती है, अतः राज्य में एनएसएस कार्यक्रम की उचित संवृद्धि और विकास के लिए राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर निम्नलिखित प्रशासनिक संरचना की परिकल्पना की गई है, जिसमें राज्य संपर्क सेल और राज्य सलाहकार समिति होगी।

राज्य एनएसएस सेल

1. राज्य स्तर पर एक राज्य एनएसएस सेल होगा जिसका अध्यक्ष राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) होगा। भारत सरकार राज्य एनएसएस सेल की स्थापना हेतु शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है।

1.1 राज्य एनएसएस सेल की स्टाफ पद्धति

भारत सरकार ने राज्य में एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या के आधार पर राज्य एनएसएस सेल के लिए स्टाफिंग पद्धति निर्धारित की है जो इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	आबंटित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	एनएसएस सेल के लिए अनुमत्य स्टाफ
1.	500-1000	मुख्यालय शहर/ कस्बा राजधानी के वरिष्ठ एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी को देखरेख करने के लिए 250 रु. प्रति माह के मानदेय के साथ संपर्क अधिकारी पदनामित किया जा सकता है।
2.	1001-3000	1. व्याख्याता के वेतनमान में सहायक निदेशक एक 2. एलडीसी/टाइपिस्ट एक
3.	3001-10000	1. रीडर के वेतनमान में संपर्क अधिकारी एक 2. यूडीसी/लेखाकार एक 3. एलडीसी/टाइपिस्ट एक 4. चपरासी एक
4.	10001-30000	1. रीडर के वेतनमान में संपर्क अधिकारी एक 2. सांख्यिकी सहायक एक 3. यूडीसी/लेखाकार एक 4. एलडीसी/टाइपिस्ट एक 5. चपरासी एक
5.	30001-80000	1. रीडर के वेतनमान में संपर्क अधिकारी एक

		2. आशुलिपिक	एक
		3. लेखाकार	एक
		4. सांख्यिकी सहायक	एक
		5. यूडीसी	एक
		6. एलडीसी/टाइपिस्ट	एक
		7. चपरासी	एक
6.	80000 और इससे अधिक	1. रीडर के वेतनमान में संपर्क अधिकारी	एक
		2. आशुलिपिक	एक
		3. लेखाकार	एक
		4. सांख्यिकी सहायक	एक
		5. यूडीसी	दो
		6. एलडीसी/टाइपिस्ट	दो
		7. चपरासी	एक

1.2 राज्य एनएसएस सेल के कार्य

राज्य एनएसएस सेल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि राज्य के बजट में एनएसएस कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं:

(ख) राज्य में संबंधित विश्वविद्यालयों को समय पर एनएसएस संख्या का आबंटन करना:

(ग) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों/+2 परिषदों को समय पर अनुदान जारी करना:

(घ) भारत सरकार को लेखा, विवरण तथा कार्यक्रम रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

(ङ) समय-समय पर राज्य एनएसएस सलाहकार समिति की बैठकें बुलाना:

(च) विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों के माध्यम से और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के परामर्श से कार्यक्रम की निगरानी करना:

(छ) राज्य में एनएसएस कार्यक्रम विकास के लिए विकास एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करना:

1.3 राज्य संपर्क अधिकारी

राज्य संपर्क अधिकारी राज्य सचिवालय में स्थापित राज्य एनएसएस सेल का प्रमुख होगा। राज्य संपर्क अधिकारी यथा उपरोक्त उल्लिखित सेल के कार्यों की देखरेख करेगा और एनएसएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करवाएगा तथा उचित स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई करवाएगा।

1.4 राज्य संपर्क अधिकारी का चयन

राज्य संपर्क अधिकारी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नानुसार किया जाएगाः-

(क) पद के बारे में सूचना विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परिचालित की जाएगी और आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(ख) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।।

(ग) समिति राज्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करेगी।

1.5 चयन समिति की संरचना

(क)	एनएसएस से संबंधित नोडल विभाग का सचिव	अध्यक्ष
(ख)	उच्च शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम का आयुक्त / निदेशक	सदस्य
(ग)	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का नामिती	सदस्य

1.6 राज्य संपर्क अधिकारी के पद हेतु अर्हताएं

(क) उसने लगातार कम से कम 4 वर्ष विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक या कॉलेज में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवा दी हो।

(ख) उसके पास युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(ग) उसकी विशेष रूप से युवा कार्य और सामान्यतः सामाजिक कार्य में रूचि होनी चाहिए।

1.7 राज्य संपर्क अधिकारी का कार्यकाल

राज्य संपर्क अधिकारी कोप्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि और 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है बशर्ते की राज्य संपर्क अधिकारी के रूप में उसका काम संतोषजनक हो।

1.8 राज्य संपर्क अधिकारी के कार्य

(क) राज्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वर्ष वित्तीय पद्धति के अनुसार राज्य सरकार के बजट में पर्याप्त समय रहते पर्याप्त बजट प्रावधान किए गए हैं ताकि एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों से आवश्यक निधियां उपलब्ध हों।

(ख) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालयों/+2 स्तर को अनुदान समय पर जारी किए जाते हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय/+2 स्तर कॉलेजों और स्कूलों को समय पर अनुदान जारी करते हैं।

(ग) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय/+2 स्तर द्वारा अनुदानों का उपयोग भारत सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(घ) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुदानों का उपयोग कही और न करके एनएसएस कार्यकलापों के लिए किया गया है। एनएसएस निधियों के दुरुपयोग की स्थिति में वह आवश्यक जांच भी करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ युवा कार्यक्रमों और खेल विभाग, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ङ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों ने एनएसएस अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे हैं और वह विधिवत लेख-परीक्षित लेखाओं को समय पर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार को जारी अनुदानों के समेकित लेखाओं की विधिवत लेखा परीक्षा की गई है और उन्हें उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ समय पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को भेजा गया है। इससे विभाग को आगे और अनुदान समय पर जारी करने में सहायता मिलेगी।

(च) राज्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार द्वारा आबंटित एनएसएस स्वयं सेवकों की संख्या आगे विश्वविद्यालयों और +2 परिषदों को समय पर पुनः आबंटित की गई है। वह वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों के कार्यनिष्पादन के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों द्वारा एनएसएस संख्या की मांग का मूल्यांकन करने के लिए +2 परिषदों के कार्यक्रम समन्वयकों और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख की बैठक भी बुलाएगा। वह प्रत्येक वर्ष 30 मई तक एनएसएस संख्या के आबंटन के संबंध में आवश्यक कार्यालय आदेश भी जारी करेगा।

(छ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग द्वारा यथा निर्धारित समय-समय पर राज्य एनएसएस सलाहकार समिति की बैठकें बुलाई जाती हैं। राज्य सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में दो बार होनी चाहिए। राज्य सलाहकार समिति की बैठक न होने पर वह यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के दौरान एनएसएस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य एनएसएस समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है।

(ज) वह एनएसएस कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न राज्य सरकार के विभागों का अंत-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्रीय केंद्रों, कार्यक्रम समन्वयकों और टीओसी/टीओआरसी के बीच निरंतर समन्वय बनाया गया है। वह एनएसएस

क्षेत्रीय केंद्र के कार्यालय प्रमुखों, विश्वविद्यालयों/+2 स्तर और टीओसी/टीओआरसी के कार्यक्रम अधिकारियों, कार्यक्रम समन्वयकों को आमंत्रित करके राज्य में एनएसएस कार्यकलापों की योजना, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए बैठक बुलाएगा। वह आगे कार्यक्रम सलाहकार को फीडबैक देगा।

(झ) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों में कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार समय पर की गई है और किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्यवय का कोई भी पद लंबे समय तक खाली न रहे।

(ञ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि कॉलेजों/+2 स्कूलों में एनएसएस यूनिटों के लिए कार्यक्रम अधिकारियों का चयन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम अधिकारियों के रूप में चुने गए शिक्षकों को टीओसी/टीओआरसी द्वारा समय-समय पर आयोजित उनके प्रशिक्षण और अनुकूलन के लिए संस्थानों द्वारा कार्यभार मुक्त किया गया है।

(ट) वह कार्यशाला, सम्मेलन, राज्य युवा पुरस्कार, जैसे राज्य स्तरीय/अंतरविश्वविद्यालय कार्यक्रमों राष्ट्रीय समारोह आदि के लिए चुने गए स्वयं सेवकों के राज्य दल के शिविर पूर्व प्रशिक्षण आदि में उचित समन्वय सुनिश्चित करेगा।

(ठ) वह विभिन्न विश्वविद्यालयों/+2 स्तर से एनएसएस कार्यकलापों की प्राप्त रिपोर्टों पर कार्रवाई करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित कार्यकलापों, विशेष शिविर कार्यक्रम, गांवों/मलिन बस्तीयों को गोद लेने और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के संबंध में कार्यक्रम सलाहकार और विभाग को निर्धारित प्रपत्र में डाटा और आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है (अनुबंध-III देखें)।

(ड) वह आवधिक रूप से उपयुक्त एनएसएस साहित्य भी प्रकाशित करेगा और अपने राज्य में आयोजित एनएसएस कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(ढ) वह एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक तिमाही में अधिकतम 15 दिन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों का दौरा करेगा।

राज्य एनएसएस सेल और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क सेल के बीच भूमिका के दोहरेपन के संबंध में कुछ असमंजस के बारे में विभाग की जानकारी में कुछ मामले आए हैं। परिणामस्वरूप, एनएसएस कार्यक्रम को उन राज्यों में

काफी कठिनाई आई है। यदि कुछ मूलभूत तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए तो ऐसे असमंजस से बचा जा सकता है।

(क) एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क सेल एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विकास के लिए स्थापित किए गए हैं।

(ख) क्षेत्रीय केंद्रों और राज्य सेल पर व्यय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) क्षेत्रीय केंद्र मूलतः फील्ड कार्यालय होते हैं जिनका अध्यक्ष उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार होता है, जिसे अपनी ड्यूटी के स्वरूप के अनुसार कार्यक्रम के विकास में आवश्यक मार्गदर्शन और सेवा देनी होती है। दूसरी और, राज्य सेलों में ऐसा स्टाफ होता है जिनकी ड्यूटी सचिवालय स्वरूप की होती है।

(घ) राज्य सेल की मुख्य जिम्मेदारी लालफीताशाही को कम करके राज्य सरकार में मामलों पर त्वरित कार्रवाई करना है ताकि कार्यक्रम की निधियां समय पर स्वीकृत हों और बिना किसी विलंब के उचित स्तरों पर पहुंचे।

(ङ) अतः, क्षेत्रीय केंद्र और राज्य सेलों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित है और यह आशा की जाती है कि वे घनिष्ठ समन्वय से काम करें और एक दूसरे को सहयोग करें।

अध्याय- 3: विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक संरचना

राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को शामिल करती है। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा की प्रशासनिक संरचनाओं की जिम्मेदारी कॉलेज/स्कूल/विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस और इसके कार्यान्वयन की देखरेख करना जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस सेल के सफल कार्यकरण से यूनिट स्तर में एनएसएस के उचित कार्यान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा।

1. एनएसएस विश्वविद्यालय सेल

प्रत्येक विश्वविद्यालय में इससे संबद्ध कॉलेजों में एनएसएस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए एक एनएसएस सेल होना चाहिए।

1.1 10000 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों वाले विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कार्यक्रम समन्वयक होने चाहिए। 10000 से कम एनएसएस स्वयंसेवकों वाले विश्वविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम समन्यवक हो सकते हैं।

1.2 चूंकि एनएसएस एक शैक्षिक विस्तार कार्यक्रम है, अतः विश्वविद्यालय, सेल के सुचारू कार्यकरण के लिए टेलीफोन, कार्यालय और कार्यालय-उपस्कर तथा सचिवालय सहायता जैसा आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

1.3 यह सेल कुलपति के अधीन कार्य करेगा और कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस सेल का प्रभारी होगा और वह मुख्य कार्यकारी पदधारी होगा।

2. कार्यक्रम समन्वयक

जहां तक एनएसएस का संबंध है, कार्यक्रम समन्वयक मुख्य पदधारी है। अतः समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस कार्यकलापों की उचित परिप्रेक्ष्य में योजना, निष्पादन और मूल्यांकन कर सकता है। कार्यक्रम समन्वयक सरकार के सभी प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों, राज्य सलाहकार समिति और विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के निर्णयों को निष्पादित करेगा। एनएसएस कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आलोक में तैयार किया जाएगा।

2.1 **कार्यक्रम समन्वयक का चयन**

कार्यक्रम समन्वयक का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति द्वारा किया जाएगाः-

(क) पद की रिक्ति का विज्ञापन स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिया जाएगा।

(ख) समिति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों को सूची में रखा जाएगा।

(ग) अभ्यर्थी का चयन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2 **चयन समिति की संरचना**

(क)	कुलपति/संस्थान का प्रमुख	अध्यक्ष
(ख)	एनएसएस से संबंधित विभाग का सचिव/उसका नामिती	सदस्य
(ग)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख जो उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार से नीचे स्तर का न हो	सदस्य
(घ)	विश्वविद्यालय का कुल सचिव	सदस्य-सचिव

2.3 **कार्यक्रम समन्वयक की अर्हताएं**

(क) विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेज में रीडर/वरिष्ठ व्याख्याता।

(ख) एनएसएस पृष्ठभूमि के साथ रीडर के स्तर का संबद्ध कॉलेज का प्रिंसिपल।

(ग) कम से कम 3 वर्षों तक कार्यक्रम अधिकारी (एनएसएस) रहा हो।

(घ) किसी टीओसी/टीओआरसी में एनएसएस अनुकूलन पाठ्यक्रम किया हो।

(ङ) समन्वयक के रूप में चयन के समय 50 वर्ष से अधिक का न हो।

2.4 **कार्यक्रम समन्वयक का कार्यकाल**

कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर की जाएगी, जिसे और आगे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किसी भी कार्यक्रम समन्वयक को स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

2.5 **कार्यक्रम समन्वयक के कार्य**

(क) कॉलेज स्तर पर एनएसएस कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एनएसएस यूनिट को सहायता करना और मार्गदर्शन देना।

(ख) एनएसएस नेताओं के लिए शिविर, प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करना।

(ग) निगरानी और मूल्यांकन के लिए एनएसएस यूनिटों का दौरा करना।

(घ) एनएसएस नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रमों का कार्यान्यवन सुनिश्चित करना।

(ङ) कॉलेजों को समय पर अनुदान जारी करना सुनिश्चित करना।

(च) कार्यक्रम सलाहकार, क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और टीओसी/टीओआरसी को रिपोर्ट और विवरणिका प्रस्तुत करना।

(छ) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नए कार्यक्रम अधिकारियों का चयन सुनिश्चित करना और निर्धारित अवधि के भीतर उनका अनुकूलन सुनिश्चित करना।

(ज) भारत सरकार, क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी को छमाही रिपोर्ट और अपेक्षित अन्य सूचना प्रस्तुत करना।

(झ) एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी और टीओसी/टीओआरसी के साथ संपर्क रखना।

(ञ) एनएसएस की उपलब्धियों पर दस्तावेज और रिपोर्ट प्रकाशित करना।

3. विश्वविद्यालय स्तर पर व्यय की पद्धति

(क) कार्यक्रम समन्वयक इस मैनुअल में "वित्त और लेखा" से संबंधित भाग (viii) में दिए अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय व्यय की पद्धति के अनुसार एनएसएस सेल पर व्यय कर सकता है।

(ख) कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस के संबंध में विश्वविद्यालय सलाहकार समिति से बजट अनुमोदित करवाएगा।

(ग) जैसाकि व्यय की वित्तीय पद्धति प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों की श्रेणी में आती है, अतः विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इसका पूर्णतः पालन करें।

4. सहायक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति

यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने एनएसएस सेलों में पूर्णकालिक सहायक कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किए हैं। पूर्णकालिक सहायक कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति, एनएसएस पर व्यय संबंधी प्रशासनिक और वित्तीय निर्देशों का उलंघन है। प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों के तहत प्राधिकृत स्टाफ को छोड़कर अन्य स्टाफ की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है।

अध्याय-4: +2स्तर पर प्रशासनिक संरचना

+2 स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना

7वीं योजना के दौरान कई राज्य सरकारों ने +2 स्तर पर भी राष्ट्रीय सेवा योजना लागू करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार से बात की। प्रारंभ में एनएसएस को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा में प्रायोगिक आधार पर +2 स्तर पर शुरू किया गया था। समय के साथ-साथ कई अन्य राज्यों ने भी +2 स्तर पर एनएसएस शुरू किया है। +2 स्तर पर एनएसएस स्वयंस्वकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष 1992-93 के अंत तक +2 में लगभग 1,20,000 स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया गया है। इस समय एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में निम्नलिखित बुनियादी ढ़ांचा स्थापित किया गया हैः-

1. +2 स्तर पर एनएसएस सेल

(क) उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल स्तर पर एनएसएस के तहत शामिल स्कूलों में एनएसएस कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा/माध्यमिक स्कूल शिक्षा निदेशालय में +2 स्तर पर एनएसएस सेल स्थापित किए जाएंगें। केवल +2 स्तर अर्थात 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी एनएसएस में भाग लेने के पात्र हैं।

(ख) शिक्षा विभाग, वरिष्ठ शिक्षा/स्कूल शिक्षा निदेशालय/+2 परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पूर्णकालिक कार्यक्रम समन्वयक उपलब्ध कराया गया है जहां +2 स्तर पर एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 10000 से अधिक है। तथापि, यदि एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 10000 से कम है, तो कोई नियमित अधिकारी अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक का कार्य कर सकता है।

(ग) पूर्णकालिक समन्वयक से 10000 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों की देखरेख करने की आशा है। यदि एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 15000 से अधिक होती है, तो एनएसएस कार्यक्रम के प्रभावी पर्यवेक्षण, समन्वय और कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए अन्य कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया जा सकता है।

1.2 शिक्षा विभाग, वरिष्ठ शिक्षा/माध्यमिक स्कूल शिक्षा निदेशालय/+2 परिषद एनएसएस सेल के सुचारू कार्यकरण हेतु आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा और टेलीफोन, कार्यालय स्थल, कार्यालय उपस्कर और सचिवालय सहायता जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

1.3 एनएसएस सेल वरिष्ठ शिक्षा/स्कूल शिक्षा निदेशालय/+2 परिषद के तहत कार्य करेंगे। कार्यक्रम समन्वयक सेल का प्रभारी होगा।

1.4 कार्यक्रम समन्वयक को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए एनएसएस सलाहकार समिति गठित की जाएगी। +2 स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति का ब्यौरा इस भाग के अध्याय 5 में दिया गया है।

2. कार्यक्रम समन्वयक

जहां तक एनएसएस का संबंध है, कार्यक्रम समन्वयक मुख्य पदधारी है। युवा कार्य में पर्याप्त अनुभव प्राप्त समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यक्रम समन्वयक ही उचित परिप्रेक्ष्य में एनएसएस कार्यकलापों की योजना, निष्पादन और मूल्यांकन कर सकता है।

कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों, राज्य सलाहकार समिति, +2 सलाहकार समिति के निर्णयों को निष्पादित करेगा। एनएसएस कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आलोक में तैयार किया गया था।

2.1 कार्यक्रम समन्वयक का चयन

+2 स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगाः

(क) पद की रिक्ति का विज्ञापन स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिया जाएगा।

(ख) समिति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। कम से कम 5 व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थी का चयन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2 चयन समिति की संरचना

+2 स्तर पर कार्यक्रम समन्यवक के पद संबंधी चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

(क)	शिक्षा सचिव	अध्यक्ष
(ख)	एनएसएस राज्य संपर्क अधिकारी	सदस्य
(ग)	संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
(घ)	वरिष्ठ शिक्षा/स्कूल शिक्षा/+2 परिषद का निदेशक	सदस्य

2.3 **+2 स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु अर्हताएं**

(क) उच्च माध्यमिक स्कूल का प्रिंसिपल जो जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो।

या

शिक्षा विभाग का अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो।

(ख) उसने कम से कम 3 वर्ष तक किसी स्कूल या कॉलेज में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवा की हो।

(ग) उसने टीओसी/टीओआरसी में एनएसएस अनुकूलन पाठ्यक्रम किया हो।

(घ) कार्यक्रम समन्वयक के रूप में चयन के समय 50 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

2.4 **कार्यक्रम समन्वयक का कार्यकाल**

कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर की जाएगी। इसे संतोषजनक कार्यनिष्पादन के आधार पर 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

2.5 **कार्यक्रम समन्वयक के कार्य**

(क) +2 स्तर पर एनएसएस कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एनएसएस यूनिट को सहायता करना और मार्गदर्शन देना।

(ख) एनएसएस समूह नेताओं और कार्यक्रम अधिकारियों के लिए शिविर, प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करना।

(ग) निगरानी और मूल्यांकन के लिए एनएसएस यूनिटों का दौरा करना।

(घ) एनएसएस नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रमों का कार्यान्यवन सुनिश्चित करना।

(ङ) समय पर अनुदान जारी करना सुनिश्चित करना।

(च) कार्यक्रम सलाहकार, क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क सेल को रिपोर्ट और विवरणिका प्रस्तुत करना।

(छ) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नए कार्यक्रम अधिकारियों का चयन करना और निर्धारित अवधि के भीतर उनका अनुकूलन सुनिश्चित करना।

(ज) भारत सरकार, क्षेत्रीय केंद्र,राज्य संपर्क अधिकारी और टीओसी को भारत सरकार द्वारा यथा वांछित समय-समय पर छमाही रिपोर्ट और अपेक्षित अन्य सूचना प्रस्तुत करना।

(झ) एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय केंद्र,राज्य संपर्क अधिकारी और टीओसी/टीओआरसी के साथ संपर्क रखना।

(ञ) उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रकाशन और रिपोर्ट प्रकाशित करना।

3. +2 स्तर पर व्यय की पद्धति

(घ) कार्यक्रम समन्वयक इस मैनुअल में "वित्त और लेखा" से संबंधित भाग (ix) में दिए अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय व्यय की पद्धति के अनुसार एनएसएस सेल पर व्यय कर सकता है।

(ङ) कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस सलाहकार समिति से बजट अनुमोदित करवाएगा।

(च) जैसा कि व्यय की वित्तीय पद्धति प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों की श्रेणी में आती है, अतः +2 सेलों से अनुरोध है कि वे इसका पूर्णतः पालन करें।

4. +2 स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति

(क) शिक्षा विभाग या +2 शिक्षा हेतु इसका स्कंध इस भाग के अध्याय 6 के पैरा 1 में यथा उल्लिखित एनएसएस सलाहकार समिति गठित करेगा। यह सलाहकार समिति एनएसएस के तहत स्कूलों में एनएसएस कार्यक्रमों और परियोजनाओं की योजना बनाने और विकसित करने में कार्यक्रम समन्वयक को सलाह देगी। यह गत वर्षों के दौरान किए गए एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा भी करेगी। यह एनएसएस विद्यार्थियों की संख्या का आबंटन और स्कूलों को अनुदान जारी करना भी सुनिश्चित करेगी।

(ख) सलाहकार समिति +2 स्तर पर एनएसएस के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष निकाय है। कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस कार्यकलापों और एनएसएस सेल पर स्थापना व्यय शामिल करते हुए एनएसएस बजट के अनुमोदन हेतु समिति के पास जाएंगे।

(ग) एनएसएस सलाहकार समिति की संरचना और बैठकों के अंतराल तथा सीमाओं संबंधी और अधिक जानकारी के लिए सलाहकार समितियों से संबंधित इस भाग के अध्याय 6 के पैरा 5.2 और 5.3 का संदर्भ लिया जा सकता है।

5. यूनिट का संघटन और प्रशासन

एनएसएस यूनिट के संघटन और प्रशासन संबंधी प्रावधान भाग- VI में एनएसएस यूनिट से संबंधित अध्याय में दिए गए हैं।ये सभी प्रावधान +2 स्तर के तहत स्कूल में एनएसएस यूनिट पर लागू होंगे।

6. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका पर भाग VI के अध्याय 2 में कार्यक्रम अधिकारी से संबंधित अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। नीचे दिए प्रावधानों को छोड़कर ये सभी प्रावधान +2 स्तर के स्कूलों में कार्यक्रम अधिकारियों पर लागू होंगेः

(क) कार्यक्रम अधिकारियों की अर्हताएं:

(i) वह शिक्षण संकाय का सदस्य होना चाहिए।

(ii) उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

(iii) वह कार्यक्रम अधिकारी के रूप में चयन के समय 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(iv) शारीरिक शिक्षा शिक्षक, और उन शिक्षकों को एनएसएस अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो एनसीसी अधिकारी हैं।

(ख) उपरोक्त खण्डों में उल्लिखित प्रावधान +2 स्तर पर एनएसएस सेल, कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस सलाहकार समिति और कार्यक्रम अधिकारियों पर विशेष प्रावधानों के रूप में लागू होंगे। एनएसएस मैनुअल के अन्य सभी प्रावधान +2 स्तर पर एनएसएस के लिए भी लागू होंगे, जहां कोई अपवाद नहीं किया गया है।

अध्याय-5: एनएसएस सलाहकार समितियां

एनएसएस कार्यक्रम, सहभागी कार्रवाई, आत्मनिर्भरता और जीवन के स्व-अनुशासित तरीके के सिद्धांतों पर आधारित है। सलाहकार समिति का संस्था ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनएसएस कार्यक्रम के साथ जोड़ने, उनके अनुभव और विवेक को साझा करने के लिए मशीनरी उपलब्ध कराता है। उसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर एनएसएस कार्यक्रम का संस्थानीकरण करना है।

सलाहकार समिति, एनएसएस से जुड़े पदधारियों, संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों और सामाजिक और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा एनएसएस कार्यक्रम पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने का मंच देती है। शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक कार्य, युवा आन्दोलनों के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्रों में इन व्यक्तियों के अनुभवों और सुझावों से योजना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में एनएसएस कार्यक्रम समृद्ध हुआ है।

एनएसएस कार्यक्रम में सभी स्तरों पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेज और +2 स्तरों पर सलाहकार समिति की परिकल्पना की गई है।

1. राज्य सलाहकार समिति

राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में एनएसएस सलाहकार समिति गठित करने की आशा की जाती है। समिति निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगीः-

(क) राज्य में एनएसएस कार्यक्रम के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामले।

(ख) विश्वविद्यालयों और +2 परिषदों को एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या का आबंटन।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एनएसएस बजट का अनुमोदन।

(घ) एनएसएस कार्यक्रम चलाने के लिए कॉलेजों और +2 स्कूलों का चयन।

(ङ) विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता और समन्वय प्राप्त करना।

(च) विश्वविद्यालयों और +2 परिषदों को अनुदानों का आबंटन।

(छ) राज्य स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय, समीक्षा और मूल्यांकन।

1.1 राज्य सलाहकार समिति की संरचना

(क) राज्य में शिक्षा/युवा सेवा मंत्री — अध्यक्ष

(ख) मुख्य सचिव — सदस्य

(ग) एनएसएस कार्यक्रम चलाने वाले राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और +2 परिषदों के प्रमुख — सदस्य

(घ) ग्रामीण विकास/पंचायती राज, जन संपर्क और जन संचार आदि सहित शिक्षा, युवा सेवा और संबद्ध विभागों के सचिव, प्रमुख — सदस्य

(ङ) एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, भारत सरकार का प्रमुख — सदस्य

(च) राहत आयुक्त — सदस्य

(छ) टीओसी/टीओआरसी समन्वयक — सदस्य

(ज) सामान्यतः विकास कार्य और विशेष रूप से युवा कार्य में कार्यरत स्वैछिक संगठनों के 2 प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे — सदस्य

(झ) कार्यक्रम सलाहकार, एनएसएस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रिती के रूप में ऐसी बैठक में भाग ले सकता है।

(ञ) कार्यक्रम समन्वयक विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग ले सकते हैं।

(ट) राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस — सदस्य-सचिव

1.2 बैठकों का अंतराल

राज्य सलाहकार समिति को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए। पहली बैठक अप्रैल/मई माह के दौरान और दूसरी बैठक दिसंबर माह में होनी चाहिए।

प्रथम बैठक में गत वर्ष के दौरान एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा करने और चालू वर्ष के लिए एनएसएस कार्यकलापों की योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है। एनएसएस कार्यकलापों में की गई प्रगति पर विचार किया जा सकता है और दिसंबर में होने वाली बैठक में कार्यकलापों में सुधार करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश की जा सकती है।

1.3 परामर्शों का दायरा

(क) जहां तक एनएसएस कार्यक्रम का संबंध है, राज्य सलाहकार समिति से एनएसएस मार्गदर्शी सिद्धांतों के आलोक में कार्य किए जाने की आशा की जाती है। राज्य सलाहकार समिति एनएसएस कार्यकलापों के सुधार में आवश्यक सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र है। जहां तक प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों का संबंध है, सलाहकार समिति एक तरफा कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

(ख) ऐसे मामले जानकारी में आए हैं जब कुछ विश्वविद्यालयों ने वित्तीय व्यय की सीमा को राज्य/विश्वविद्यालय सलाहकार समितियोंसे बढ़वा लिया है। इसी प्रकार कार्यक्रम समन्वयकों के लिए उच्चतर वेतनमान अनुमोदित नहीं किए गए हैं। भारत सरकार ऐसे

निर्णयों पर सहमत नहीं होती है। यह ज्यादा सुविधाजनक होगा यदि ऐसे निर्णय लेने से पहले इन मामलों को युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली को भेजा जाए।

2. राज्य समन्वय समिति

यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में एनएसएस राज्य सलाहकार समिति कतिपय अप्रत्याशित परिस्थितियों और कतिपय बाधाओं के कारण लंबे समय तक बैठक नहीं कर पाती है। इस प्रकर परामर्श प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय रूक जाता है। अतः यह सुझाव है कि विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य कार्पोरेट निकायों के बीच समन्वय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति के माध्यम से बनाया जाए। इस समिति को राज्य समन्वय समिति कहा जाए।

2.1 राज्य समन्वय समिति की संरचना

क)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
ख)	शिक्षा सचिव/एनएसएस से संबंधित युवा कार्यक्रम विभाग का सचिव	सदस्य
ग)	निदेशक उच्चतर शिक्षा	सदस्य
घ)	निदेशक स्कूल शिक्षा	सदस्य
ङ)	निदेशक युवा सेवा	सदस्य
च)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
छ)	टीओसी/टीओआरसी समन्वयक	सदस्य
ज)	एनएसएस/सामाजिक कार्य से संबद्ध विभाग का प्रमुख	सदस्य
झ)	सामाजिक सेवा / युवा कार्य के क्षेत्र से 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य
ञ)	राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस	सदस्य-सचिव

3. विश्वविद्यालय सलाहकार समिति- एनएसएस

प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति की अध्यक्षता में कार्यक्रम की योजना और विकास के संबंध में सलाह देने के लिए एक एनएसएस सलाहकार समिति गठित करनी होती है। यह समिति विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा करेगी और एनएसएस विद्यार्थियों की संख्या का आबंटन और इसके कॉलेजों को अनुदान जारी करना सुनिश्चित करेगी।

3.1 विश्वविद्यालय सलाहकार समिति- एनएसएस की संरचना

(क)	कुलपति	अध्यक्ष
(ख)	प्रशासिक प्रभाग का आयुक्त या उसका नामिती	सदस्य
(ग)	कुल सचिव	सदस्य
(घ)	शिक्षा/युवा सेवा का सचिव/निदेशक	सदस्य
(ङ)	संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
(च)	टीओसी/टीओआरसी समन्वयक	सदस्य
(छ)	तीन संकाय सदस्य	सदस्य
(ज)	कॉलेजों के 4 प्रिंसिपल	सदस्य
(झ)	एनएसएस विद्यार्थियों का एक या दो प्रतिनिधि	सदस्य
(ञ)	एक या दो कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
(ट)	राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस	सदस्य
(ठ)	मंडल/जिला स्तर पर युवा कार्यक्रमों/सामाजिक कार्य/ग्रामीण विकास कार्य में कार्यरत संबंधित सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के 5 प्रतिनिधि (जैसे एनवाईके, स्काउट एण्ड गाइड, एनसीसी, एनजीओ आदि)	सदस्य
(ड)	वित्त अधिकारी	सदस्य
(ढ)	कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस	सदस्य-सचिव

3.2 जहां तक विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस के कार्यान्वयन का संबंध है, विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति शीर्ष निकाय होगा। कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस कार्यकलापों और एनएसएस सेल पर स्थापना व्यय, और साथ ही वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम कार्यकलापों को शामिल करते हुए एनएसएस बजट के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के पास जाएगा।

3.3 **बैठकों का अंतराल**

विश्वविद्यालय सलाहकार समिति को एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा, योजना और निगारनी के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए।

3.4 **सीमाएं**

विश्वविद्यालय एनएसएस सलाहकार समिति भारत सरकार द्वारा जारी और एनएसएस मैनुअल में विहित प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों के अनुसार वित्तीय और स्थापना प्रस्तावों पर विचार करेगी। इन निर्देशों के विरूद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं होंगे।

जहां तक एनएसएस कार्यक्रमों और कार्यकलापों का संबंध है, इन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार चुना जा सकता है।

4. कॉलेज और+2 स्कूल स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति

कॉलेजों और +2 स्कूलों को प्रिंसिपल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की योजना और विकास के संबंध में सलाह देने के लिए एक एनएसएस सलाहकार समिति गठित करनी होती है। यह समिति कॉलेज और स्कूल स्तर पर एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा करेगी।

4.1 कॉलेज/+2 स्तर पर सलाहकार समिति की संरचना

(क)	प्रिंसिपल	अध्यक्ष
(ख)	सामाजिक कार्य की पृष्ठभूमि वाले 2 स्टाफ सदस्य	सदस्य
(ग)	विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	गोद लिए गांव/ मलिन बस्ती/ कल्याण एजेंसी का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	दो एनएसएस विद्यार्थी नेता	सदस्य
(च)	कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस	सदस्य-सचिव

4.2 बैठकों का अंतराल

कॉलेज/+2 स्तर की सलाहकार समिति को वर्ष के दौरान कम से कम 4 बार अर्थात प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करनी चाहिए। आवधिक बैठकें आयोजित करने का उद्देश्य संस्थान में एनएसएस कार्यक्रम के विकास का मूल्यांकन करना और समुदाय कार्य के लिए स्टाफ सदस्यों, आम जनता और विद्यार्थियों में सहभागिता का बोध बढ़ाना है।

4.3 सीमाएं

कॉलेज/+2 स्तर की सलाहकार समिति प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करेगी। कॉलेज सलाहकार समिति द्वारा वित्तीय व्यय की पद्धति में कोई प्रशासनिक और वित्तीय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, सलाहकार समिति एनएसएस मैनुअल में सुझाए अनुसार और राज्य स्तर पर शामिल किए कार्यकलापों में से अपने क्षेत्र और लोगों के लिए उपयुक्त कार्यकलापों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

5. +2 स्तर पर सलाहकार समिति (एनएसएस)

एनएसएस कार्यक्रम के कार्यक्रम की योजना और विकास के संबंध में +2 स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक को सलाह देने के लिए +2 स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति गठित की जाएगी। यह समिति राज्य में +2 स्तर के तहत शामिल स्कूलों मे एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा करेगी और एनएसएस विद्यार्थियों की संख्या का आबंटन और स्कूलों को अनुदान जारी करना सुनिश्चित करेगी।

5.1 **+2 स्तर पर सलाहकार समिति की संरचना**

(क)	शिक्षा निदेशक (+2 का प्रभारी)	अध्यक्ष
(ख)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
(ग)	राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस	सदस्य
(घ)	समन्वयक (प्रशिक्षण), टीओआरसी/टीओसी	सदस्य
(ङ)	एनएसएस के तहत शामिल स्कूलों से 2 प्रिंसिपल	सदस्य
(च)	2 कार्यक्रम अधिकारी जिनका राष्ट्रीय सेवा में रिकार्ड उत्कृष्ट हो	सदस्य
(छ)	जिला, राज्य प्रशासन विभाग के 3 अधिकारी जो समुदाय सेवा के क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू करने के लिए एनएसएस के लिए सहायक हों	सदस्य
(ज)	स्कूलों के 3 जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(झ)	स्वैछिक संगठनों के 3 उत्कृष्ट व्यक्ति जो समुदाय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं	सदस्य
(ञ)	+2 स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक	सदस्य-सचिव

नोटः राज्य/जिला प्रशासन में अधिकारियों, जो समुदाय विकास और अन्य विकास एजेंसियों से जुड़े हों, को सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जा सकता है या ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

5.2 **बैठकों का अंतराल**

+2 स्तर पर सलाहकार समिति को एनएसएस कार्यकलापों की समीक्षा, योजना और निगरनी के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए।

5.3 **सीमाएं**

पैरा 3.4 में विश्वविद्यालय स्तर की सलाहकार समिति के तहत चर्चा की गई सीमाओं के सभी प्रावधान +2 स्तर पर भी एनएसएस सलाहकार समिति पर लागू होंगे।

भाग- V

<u>कार्यक्रम / कार्यकलापों की योजना</u>

अध्याय-**1 :** राज्य स्तर पर योजना

किसी भी कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में योजना बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे राष्ट्र के किसी भी पुनर्निर्माण कार्य में उचित तरीके से लोगों को सहभागी बनाने में और उनके प्रशिक्षण के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और युवा तथा समुदाय जैसी विभिन्न एजेंसियां शामिल होती हैं, जैसे कार्यक्रम में मूल लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित योजना बनाना और इन विभिन्न एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय अनिवार्य है। चूंकि राज्य सरकार एनएसएस कार्यकलापों के लिए निधियों की व्यवस्था और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है, अतः राज्य स्तर पर योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

1. **राज्य सलाहकार समिति की बैठक**

राज्य सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में बुलाई जाना चाहिए। निम्नलिखित कार्यसूची तय की जाएः-

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएसएस कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा और यदि गत वर्षों में उसके कार्यकलापों की समीक्षा नहीं की गई तो उनकी भी समीक्षाः

(ख) नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रम, राष्ट्रीय अखण्डता, चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों का संवर्धन आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों के संबंध में आगामी वित्त वर्ष के लिए योजनाएं तैयार करनाः

(ग) चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों को एनएसएस की संख्या का अनंतिम आबंटनः

(घ) एनएसएस कार्यक्रम और अन्य संबद्ध परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकनः

2. **कार्यक्रम समन्वयक**, **राज्य संपर्क अधिकारी**, **क्षेत्रीय केंद्र**, **टीओआरसी**, **टीओसी की बैठक।**

एनएसएस सलाहकार समिति से निधियों की व्यवस्था और एनएसएस की संख्या और आगामी वर्ष के दौरान की जाने वाली एनएसएस परियोजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित करने के बाद राज्य संपर्क अधिकारी को कार्यक्रम समन्वयकों, क्षेत्रीय केंद्र, समन्वयक (प्रशिक्षण), टीओआरसी/टीओसी की बैठक बुलानी चाहिए। यह बैठक एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के परामर्श से बुलाई जानी चाहिए। इस बैठक में विचार हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को लिया जाना चाहिएः

(क) चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों में एनएसएस कार्यक्रम/कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा;

(ख) एनएसएस कार्यक्रमों और युवा कार्यक्रमों की चालू वर्ष की योजनाएं तैयार करना। विश्वविद्यालयों को एनएसएस की संख्या का भी निर्धारण किया जाना चाहिए;

(ग) एनएसएस कार्यकलापों की प्रगति में बाधा के लिए जिम्मेदार समस्याओं और अड़चनों पर भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और व्यवहार्य उपचारात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए;

(घ) लेखाओं को अंतिम रूप से तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने पर भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों ने निधियों का सही ढ़ंग से उपयोग किया है और वे लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए विभाग को लेखा-परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं;

(ङ) इस बैठक में अन्य कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जा सकता है जिससे एनएसएस के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता हो। यह बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में आयोजित किया जाना ज्यादा अच्छा होगा;

(च) जहां तक संभव हो इस बैठक की अध्यक्षता एनएसएस से संबंधित सचिव शिक्षा/युवा द्वारा की जानी चाहिए।

3. **संचार का मुद्दा**

राज्य संपर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को संख्या के आबंटन, संबंधित संस्थानों को अनुदान और मार्गदर्शी सिद्धांत आदि जारी करने के संबंध में शासकीय पत्र समय पर जारी किए जाएं। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष मई माह तक या जून के पूर्वार्ध तक पूरी की जानी चाहिए।

4. **निधियां जारी करना**

राज्य संपर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को नियमित अनुदान जुलाई माह तक उपलब्ध कराए गए हैं। पहली बार में कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान जारी किया जाना चाहिए। शेष अनुदान गत वर्ष के लेखाओं की प्राप्ति पर जारी किया जा सकता है। विशेष शिविर के लिए अनुदान वास्तव में शिविर शुरू होने से एक माह पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. **राज्य सलाहकार समिति की दूसरी बैठक**

राज्य सलाहकार समिति की दूसरी बैठक दिसंबर माह के दौरान आयोजित की जानी चाहिए। इसमें एनएसएस कार्यकलापों की प्रगति और वर्ष के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का जायजा लिया जाना चाहिए। समिति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों का सुझाव दे सकती है।

अध्याय-2: विश्वविद्यालयस्तर पर योजना

विश्वविद्यालय और +2 स्तर पर एनएसएस सेल राष्ट्रीय सेवा योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस कॉलेज/स्कूल स्तर पर यूनिटों का संचालन करने वाले एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों से सीधे जुड़े होते हैं। चूंकि एनएसएस यूनिटें एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, परियोजनाओं के अनुमोदन और निधियों को जारी करने के लिए प्रशासनिक निर्देशों, मार्गदर्शी सिद्धांतों हेतु कार्यक्रम समन्वयक पर निर्भर होती हैं, अतः विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस सेल, यूनिटों के लिए एनएसएस कार्यकलापों की सही ढ़ंग से योजना बनाकर एनएसएस कार्यक्रम के विकास और संवृद्धि के लिए सही दिशा दे सकता है। चालू वर्ष के लिए एनएसएस कार्यकलापों की योजना बनाते समय गत वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों, बाधाओं, यदि कोई हो और परिणामों संबंधी फीडबैक चालू योजनाओं के निर्धारण के लिए गाइड का काम कर सकती है। उचित योजना के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्रवाइयों का सुझाव दिया गया है।

1. प्रिंसिपलों और कार्यक्रम अधिकारियों का सेमीनार/कार्यशाला

(क) विगत अनुभव और समस्याओं से सीखने के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यक्रम समन्वयक को प्रिंसिपलों और कार्यक्रम अधिकारियों से सही फीडबैक प्राप्त करनी चाहिए जहां एनएसएस का कार्यान्वयन किया जा रहा हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह सुझाव है कि वित्त वर्ष की ठीक समाप्ति के बाद प्रिंसिपलों का सेमीनार/कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। इस कार्यशाला में गत वर्ष के दौरान किए गए एनएसएस कार्यकलापों और चालू वर्ष के दौरान की जाने वाली परियोजना संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कार्यक्रम अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए दो दिन रखे जाएं। यह उपयोगी होगा यदि कार्यशाला या बैठक में ही उत्कृष्ट परियोजनाओं और विशेष शिविरों तथा अन्य विशेष कार्यकलापों के स्वरूप का निर्धारण कर लिया जाए।

(ख) कार्यशाला/बैठक के अवसर का उपयोग चालू वर्ष के कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए किया जाना चाहिए। विशेष शिविर कार्यक्रम, पीएमएफएल, यूटीए, नियमित एनएसएस कार्यकलापों के तहत की जाने वाली विशेष परियोजनाओं संबंधी एनएसएस कार्यकलापों का भी निर्धारण किया जाए।

(ग) एनएसएस यूनिटों के कार्यनिष्पादन के आलोक में विभिन्न एनएसएस यूनिटों को किए गए आबंटन, पंजीकरण का भी पुनः मूल्यांकन किया जाए।

(घ) गत वर्ष के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों को पेश आई समस्याओं और कठिनाईयों पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया जाए। कार्यक्रम अधिकारी को कार्यों की तथ्यात्मक और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जानकारी में लाई गई समस्याओं को, एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम सलाहकार के सेल को उनकी सूचना तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संप्रेषित किया जाए। इनमें से कुछ समस्याओं पर विश्वविद्यालय/+2 सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया जाए।

(ङ) एक दिन का उपयोग कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रमों की स्थिति को समझने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपलों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर का उपयोग एनएसएस कार्यक्रम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय का कुलपति प्रिंसिपलों के संस्थानों में एनएसएस कार्यक्रम के विकास के लिए पहल करने हेतु उन्हें प्रेरित करे।

(च) वास्तव में कॉलेज/स्कूल स्तर पर एनएसएस यूनिटों के विगत अनुभव और कार्यनिष्पादन के आलोक में उसके सेमीनार और कार्यशाला से विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस के संबंध में योजनाएं तैयार करने हेतु आवश्यक सूचना और डाटा उपलब्ध होगा।

(छ) कार्यक्रम समन्वयकों को टीओसी/टीओआरसी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यक्रम अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2. **विश्वविद्यालय और +2 सलाहकार समिति की बैठक**

जहां तक एनएसएस का संबंध है विश्वविद्यालय और +2 एनएसएस सलाहकार समिति शीर्ष निकाय है। गत वर्ष के कार्यनिष्पादन से प्राप्त अनुभव को प्रस्तुत करके सलाहकार समिति की सलाह और मार्गदर्शन लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अतः इस समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान एकाग्रचित करना चाहिएः-

(क) गत वर्ष के दौरान एनएसएस की समीक्षा और प्रगति;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले एनएसएस कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ग) चालू वर्ष के दौरान एनएसएस यूनिटों को किए जाने वाले आबंटन का अनुमोदन;

(घ) विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों पर स्थापना और कार्यक्रम व्यय सहित विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस सेल के बजट का अनुमोदन;

(ङ) वर्ष के दौरान की जाने वाली विशेष परियोजनाओं का अनुमोदन;

(च) कार्यक्रम समन्वयक भारत सरकार को आबंटन संख्या की स्वीकृति संप्रेषित करेगा, जिसकी सूचना एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी को भी दी जाएगी। वह अपने क्षेत्राधिकार के तहत कॉलेजों/स्कूलों को संख्या का पुनः आबंटन करेगा।

3. **चुने गए एनएसएस समूह नेताओं का अनुकूलन**

चूंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य एनएसएस स्वयंसेवकों में नेतृत्व के गुण विकसित करना है, अतः चुने गए एनएसएस नेताओं का अनुकूलन करना और उन्हें सक्षम बनाना आवश्यक है ताकि वे एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और प्रभावी ढ़ंग से अपनी भूमिका निभा सकें। उन्हें उत्तम नेता, आयोजक और प्रबंधक के गुण विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय/+2 परिषदें चुने गए एनएसएस नेताओं के लिए विश्वविद्यालय/+2 स्तर पर 1-2 दिनों का अनुकूलन आयोजित करे। एनएसएस नेताओं के अनुकूलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जा सकता हैः

(क) एनएसएस नेताओं में एनएसएस की अवधारणा और चिन्तन को आत्मसात कराया जाना चाहिए। एनएसएस कार्यक्रमों/कार्यकलापों पर चिन्तन के वर्तमान समय संबंधी सूचना एनएसएस नेताओं को समझाई जानी चाहिए। चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यकलापों की योजना बनाने में उनकी सहायता की जानी चाहिए;

(ख) वर्तमान प्रशासनिक और नीतिगत निर्देश तथा मार्गदर्शी सिद्धांत एनएसएस स्वयंसेवकों की जानकारी में लाए जाने चाहिए। उन्हें चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली स्कीमों और कार्यक्रमों के बारें में पूरी और स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी भय और पक्षपात के अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;

(ग) विद्यार्थी-नेताओं को गत वर्ष के दौरान किए गए एनएसएस कार्यकलापों के संबंध में अपने विचार और मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।इस अवसर का उपयोग एनएसएस स्वयंसेवकों से फीडबैक प्राप्त करने और की गई एनएसएस परियोजनाओं से सफलता की कहानियां तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए;

(घ) एनएसएस दल नेताओं को नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर के तहत विशेष परियोजना के कार्यान्वयन में अपने योगदानों के बारे में अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए ताकि एनएसएस के संबंध में सरकारी नीतियों की मूल भावना को एनएसएस स्वयंसेवकों को और उनके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को संप्रेषित किया जा सके।

4. **कार्यकलापों का कैलेण्डर**

कार्यक्रम समन्वयक को विश्वविद्यालय/+2 परिषद के क्षेत्राधिकार के तहत एनएसएस यूनिटों के मार्गदर्शन के लिए चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यकलापों का एक कैलेण्डर तैयार करना चाहिए। कार्यक्रम सलाहकार के सेल (एनएसएस), युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली द्वारा कार्यकालपों का एक सांकेतिक कैलेण्डर तैयार किया गया है। समन्वयक अपना ही कैलेण्डर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन हेतु कार्यकलापों के कैलेण्डर का संदर्भ ले सकते हैं। तदनुसार, एनएसएस यूनिटों को अपनी यूनिटों के लिए भी कार्यकलापों का एक कैलेण्डर तैयार करने के लिए कहा जाए। कार्यकलापों का कैलेण्डर इस भाग के अध्याय 4 में दिया गया है।

5. अन्य युवा कार्यक्रम में सहभागिता

भारत सरकार ने समुदाय सेवा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एनएसएस स्वयंसेवको की भूमिका के महत्व को समझा है। तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए कतिपय युवा कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखण्डता शिविर, युवाओ में साहसपूर्ण कार्यों का संवर्धन, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना आदि शामिल हैं। विश्वविद्यालय/+2 परिषदें, योजनाएं तैयार करके और उन्हें एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को समय पर प्रस्तुत करके एनएसएस स्वयंसेवकों के लाभार्थ इन स्कीमों का उपयोग कर सकते हैं। अतः यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय एनएसएस स्वयंसेवकों के हित के लिए इन अवसरों का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए राज्य के एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

6. वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करना

पैरा 1-5 में यथा उल्लिखित कार्रवाइयां शुरू करके विश्वविद्यालय/+2 परिषद एनएसएस सेल में कार्यक्रम कार्यान्वयक के पास अपनी योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। उसे चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले विश्वविद्यालय/+2 परिषद एनएसएस कार्यकलापों की योजना एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी, समन्वयक(प्रशिक्षण), टीओआरसी/टीओसी को अग्रेषित करनी चाहिए और इसकी सूचना कार्यक्रम सलाहकार के सेल को भी दी जानी चाहिए।

7. अनुदान जारी करना

यदि एनएसएस यूनिटों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है तो पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। सामान्यतः भारत सरकार एनएसएस के लिए समय पर अनुदान जारी करती है। राज्य सरकार से आशा है कि वह विश्वविद्यालयों को 30 जून तक अर्थात नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले नियमित अनुदान जारी कर दे। तथापि, विशेष शिविर अनुदान, शिविर शुरू होने से पर्याप्त समय पहले जारी किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय और +2 परिषदें यह सुनिश्चित करेंगी कि एनएसएस यूनिटों को अनुदान समय पर भेजा गया है ताकि वे यथा प्रस्तावित और अनुमोदित नियमित कार्यकलाप और विशेष शिविर कार्यक्रम शुरू कर सकें।

अध्याय- 3 : संस्थान स्तर पर योजना

प्रत्येक संस्थान को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार एनएसएस यूनिटों की कतिपय संख्या आबंटित की जाती है। प्रत्येक यूनिट में 100 एनएसएस स्वयंसेवक होते हैं और वह शिक्षण संकाय के एक सदस्य के तहत काम करती है, जिसे कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। जहां तक उसकी यूनिट का संबंध है, यह कार्यक्रम अधिकारी किसी कॉलेज/संस्थान में एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पंजीकरण के बाद एनएसएस स्वयंसेवक समुदाय के सदस्यों के संपर्क में आते हैं, जो गांव या शहरी मलिन बस्तीयों में रहते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, समुदाय, शिक्षण संकाय और प्रशासन के बीच परस्पर निरंतर बातचीत होती है। इस बातचीत से एनएसएस स्वयंसेवक के व्यक्तित्व पर काफी हद तक प्रभाव पड़ सकता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस कार्यकलापों की इस तरह योजना बनाए कि समुदाय के विभिन्न वर्गों का परस्पर मेलजोल अनुकूल, उत्साहवर्धक और संतुष्टिपूर्ण हो।

इसके अलावा, 100 एनएसएस स्वयंसेवक, शिक्षण संकाय के सदस्य और प्रशासन के अधिकारी तथा समुदाय के सदस्य भी कार्यक्रम अधिकारी की ओर देखते हैं। उसकी सफलता या विफलता से इन सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस कार्यकलापों की उचित ढ़ंग से योजना बनाए ताकि उसकी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हों और एनएसएस कार्यक्रम के साथ-साथ उसकी छवि में भी सुधार हो। इस प्रकार वह 100 एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन जाएगा।

1. यूनिट का विभाजन

कार्यक्रम अधिकारियों को एनएसएस यूनिटों को समूह और दलों में बांटना चाहिए। प्रत्येक समूह और दल को विशिष्ट परियोजनाएं/कार्यकलाप दिए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को उनके अंतर्निहित रुझानों और क्षमताओं के अनुसार एक समूह में रखा गया है। प्रत्येक समूह/दल की भूमिका को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस समूह को कार्यकलापों या परियोजनाओं के सभी पहलू खुलकर समझाए जाने चाहिए ताकि एनएसएस स्वयंसेवक स्वयं को पूरे मन से इन परियोजनाओं से जोड़ सकें।

2. परियोजनाओं का चयन

परियोजनाओं/कार्यकलापों का चयनइनके सफल समापन हेतु एनएसएस स्वयंसेवकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी से किया जाना चाहिए।

(क) प्रत्येक परियोजना के पैरामीटरों का अग्रिम रूप से विस्तृत निर्धारण किया जाना चाहिए। परियोजनाओं का चयन, इसके समापन हेतु समाज की आवश्यकताओं, संसाधनों, कच्चे माल की उपलब्धता और प्रशिक्षित कार्मिकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

(ख) सुधारात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सभी सीमाओं के बारे में पहले ही सोच-विचार किया जाना चाहिए जिनसे इस कार्यक्रम में बाधाएं आ सकती हैं।

(ग) लाभार्थियों के दायरे और स्वरूप का अग्रिम रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए। यह बेहतर होगा यदि विशिष्ट परियोजनाएं किसी विशिष्ट समूह या समुदाय के लिए शुरू की जाएं।

(घ) परियोजना का चयन करने का आदर्श नियम यह होना चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति में होने चाहिए। ऐसे बहुत लोग होंगे जो यश लेना चाहेंगे परंतु कुछ ही लोग होते हैं जो विफलता की पीड़ा को साझा करना चाहेंगे। परियोजना का चयन करते समय इस आदर्श नियम को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3. **एनएसएस सलाहकार समिति की बैठक**

कार्यक्रम अधिकारियों को चालू वर्ष की योजनाएं तैयार करने के लिए शैक्षिक सत्र के शुरू में कॉलेज एनएसएस सलाहकार समिति की बैठक बुलानी चाहिए। सलाहकार समिति की पहली बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना हैः

(क) गत शैक्षिक वर्ष के दौरान किए गए एनएसएस कार्यकलापों/परियोजनाओं की समीक्षा;

(ख) चालू वर्ष के लिए एनएसएस कार्यकलापों/परियोजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करना;

(ग) एनएसएस यूनिटों के बजट का अनुमोदन;

(घ) यूनिट के एनएसएस स्वयंसेवकों के उत्कृष्ट कार्य का विशेष प्रमाण-पत्र देकर सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे स्वयंसेवकों का कार्य विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक की जानकारी में लाया जाना चाहिए और संबंधित क्षेत्र के एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

4. भारत सरकार ने विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थी युवाओं के लाभार्थ कई युवा कार्यक्रम शुरू किए हैं। समुदाय सेवा और राष्ट्र के पुनर्निमाण में एनएसएस स्वयंसेवकों के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने इन कार्यक्रम के लाभ को एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए भी लागू किया है। राष्ट्रीय अखण्डता शिविरों, युवाओं में चुनौतीपूर्ण कार्यों के संवर्धन, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना को एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए लागू किया गया है। ऐसी विशेष परियोजनाएं अनन्य रूप से एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए हैं। कार्यक्रम अधिकारी को विश्वविद्यालय के

कार्यक्रम समन्वयक से संपर्क करके ऐसे कार्यक्रमों, विशेष रूप से राष्ट्रीय अखण्डता शिविरों में अपने उत्कृष्ट स्वयंसेवकों की सहभागिता की योजना बनानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी उसकी सहायता के लिए कार्यक्रम समन्वयक और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख से संपर्क कर सकता है।

5. कार्यक्रम अधिकारियों को, कार्यकलापों के मॉडल कैलेण्डर के आलोक में वर्ष के लिए एनएसएस यूनिट के कार्यकलापों का कैलेण्डर तैयार करना चाहिए और उसकी प्रतिलिपि कार्यक्रम समन्वयक और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी तथा टीओआरसी/टीओसी को अग्रेषित करनी चाहिए। यदि कुछ विशेष परियोजनाओं/कार्यकलापों को चुना गया है तो ऐसे कार्यकलापों की योजना कार्यक्रम समन्वयक और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को अग्रेषित की जानी चाहिए।

अध्याय- 4: एनएसएस कार्यक्रमों की योजना

कार्यकलापों का कैलेण्डर

बहुत ही व्यवस्थित तरीके से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना बनाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे सौंपे गए कार्य की सतत् फीडबैक, उचित निगरानी और निष्पादन की संभावना बनती है। योजना बनाने के मूल सिद्धांत से न केवल दिए गए कार्यों, जिन्हें शुरू किया जाना है, को न केवल समय मिलता है बल्कि इससे कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन भी मिलता है। वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रीय सेवा योजना ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां यह गहन रूप से महसूस किया गया है कि सौंपे गए लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए ठीक मूल स्तर से ही एनएसएस कार्यकलापों की योजना बनाना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थानों में बार-बार व्यवधानों और पाठ्यचर्या में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, एनएसएस में उचित योजना का बहुत अधिक महत्व हो गया है।

1. माह-वार सुझाई गई कार्रवाई

कार्यक्रम सलाहकार के सेल, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने मॉडल कार्य योजना तैयार की है इस मॉडल कार्रवाई से कार्यक्रम समन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों को अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए सहायता मिलेगी। मॉडल कार्य-योजना इस प्रकार हैः

1.1 जुलाई

(क) तिमाही रिपोर्ट

अप्रैल से जून की अवधि के लिए एमपीएफएल और अन्य परियोजनाओं तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के संबंध में तिमाही रिपोर्ट को एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करना (एनएसएस यूनिटों द्वारा 07 जुलाई)। कार्यक्रम समन्वयकों को इसे (संकलन के बाद) 15 जुलाई तक राज्य संपर्क अधिकारी और क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होता है। सभी तिमाही रिपोर्टों के लिए यही पद्धति है।

(ख) पंजीकरण

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को पंजीकरण अभियान शुरू करना होता है। निष्ठावान और सेवा की भावना वाले विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक उपाय कर सकते हैं, जैसेः-

(i) नए विद्यार्थियों को एनएसएस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वरिष्ठ स्वयंसेवकों/विद्यार्थियों को शामिल करना;

(ii) विद्यार्थियों में लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले पोस्टर, इस्तहार और पर्चे बांटे जा सकते हैं और इन्हें कॉलेज पुस्तकालय, नोटिस बोर्ड आदि पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

(iii) कार्यक्रम अधिकारी ऑडिटोरियम/कॉमनहॉल में एक या दो सामान्य बैठकें कर सकते हैं जिनमें नए विद्यार्थियों को एनएसएस का चिन्तन, लक्ष्य और उद्देश्य समझाए जा सकते हैं और उन्हें एनएसएस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ग) 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह

परिसर और गोद लिए गांवों/क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण और मौजूदा वृक्षों का रखरखाव किया जाना चाहिए। यदि पंजीकरण शुरू नहीं किया गया है या पूरा नहीं किया गया है, तो वरिष्ठ एनएसएस स्वयंसेवकों और सामान्य विद्यार्थियों को शामिल करके कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। पौधों के लिए वन/बागवानी/मृदा संरक्षण विभागों से संपर्क किया जा सकता है। तथापि, वृक्षारोपण केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां संरक्षण और उत्तरजीवितता सुनिश्चित हो।

1.2 **अगस्त**

(क) **पंजीकरण का समापन**

कार्यक्रम अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष अगस्त में पंजीकरण (प्रवेशों के आधार पर) को पूरा करना है और उसके बाद विश्वविद्यालय/+2 स्तर के संबंधित एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को विस्तृत पंजीकरण डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) **कॉलेज/+2 स्तर की एनएसएस सलाहकार समिति का गठन**

यदि पहले कॉलेज/+2 स्तर की एनएसएस सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है, तो प्रिंसिपल को अध्यक्ष और कार्यक्रम अधिकारी को सदस्य-सचिव के साथ इसका गठन किया जाए। सामाजिक सेवा और युवा कार्यकलापों के प्रति रुझान रखने वाले व्याख्याताओं/रीडरों/संकाय सदस्यों, स्थानीय सेवा एजेंसियों/संगठनों के प्रतिनिधियों, कुछ वर्तमान और भूतपूर्व स्वयंसेवकों को सदस्य के रूप में लिया जा सकता है। गोद लिए गांवों/मलिन बस्ती क्षेत्र के संपर्क व्यक्तियों/इच्छुक सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय विकास एजेंसियों को जोड़ा जा सकता है।

(ग) **एनएसएस सलाहकार समिति**

यह अपनी पहली बैठक आयोजित कर सकती है और नियमित और विशेष शिविर कार्यकलापों तथा अन्य समुदाय विकास कार्यक्रमों के लिए वार्षिय योजना तैयार कर सकती है। एनएसएस कार्यकलाप

आयोजित करने के लिए कॉलेज/स्कूल के निकट कम विकसित क्षेत्र (गांव समूह/मलिन बस्ती) को गोद लिया जाना है। कार्यक्रम समन्वयक को वार्षिक योजना (नियमित और विशेष शिविर कार्यकलाप शामिल करते हुए) प्रस्तुत की जा सकती है, जो विश्वविद्यालय स्तर की वार्षिक योजना तैयार करेगा और इसे राज्य संपर्क अधिकारी और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत करेगा। राज्य संपर्क सेल, एनएसएस, राज्य स्तरीय वार्षिक योजना को एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के परामर्श से तैयार करेगा और इसे संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से कार्यक्रम सलाहकार के सेल को प्रस्तुत करेगा ताकि पीए सेल, नई दिल्ली एनएसएस कार्यकलापों के संबंध में राष्ट्रीय स्तरीय वार्षिक योजना तैयार कर सके।

(घ) **नियमित कार्यकलापों की शुरूआत**

नियमित कार्यकलापों की शीघ्र शुरूआत कम से कम 15 अगस्त तक की जा सकती है यदि इस तारीख तक पंजीकरण नहीं होता है, तो कार्यकलापों को वरिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया जा सकता है।

(ङ) **अनुकूलन**

शैक्षिक सत्र की शुरूआत में एनएसएस स्वयंसेवकों के पंजीकरण के ठीक बाद नए भर्ती एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए समुदाय सेवा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुएएनएसएस पर तीन दिन का अनुकूलन आयोजित किया जा सकता है, जिन्हें विभिन्न प्रकार के एनएसएस कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जाएगा। साक्षरता में युवाओं की भूमिका, पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण, नशीली दवाओं के सेवन, स्वास्थ्य, एड्स रोकथाम, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण, सामाजिक सेवा कार्यक्रमों, महिला और बाल विकास आदि जैसे विषयों को शामिल किया जा सकता है।

(च) **पर्यावरण संवर्धन और वृक्षारोपण**

कुछ संस्थान लंबी छुट्टियों के लिए बंद रहते हैं और इसलिए वे "वन महोत्सव" आयोजित नहीं कर पाते हैं। अतः मानसून के आधार पर एनएसएस यूनिटें कॉलेज परिसर, सार्वजनिक संस्थानों, गोद लिए गांवों/मलिन बस्ती क्षेत्रों, और तिमाही के नियमित कार्यकलापों के एक कार्यकलाप के रूप में बंजर भूमि (लगाए गए वृक्षों के सुनिश्चित संरक्षण के साथ) में वृक्षारोपण कर सकते हैं।

(छ) **आपदा प्रबंधन**

एनएसएस यूनिटों को बाढ़, चक्रवात आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों को अपनी उपलब्ध सहायता देने के लिए तैयार रखा जाए। संबंधित एजेंसियों / स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग सेराहत और बजाव कार्य, टीकाकरण, दवाईयों, आवश्यक माल का वितरण किया जा सकता है।

(ज) **गोद लिए गए गांव**

गोद लिए गए गांवों के साथ संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और कॉलेज सलाहकार समिति के निर्णयों के अनुसार कार्यकलाप किए जा सकते हैं। अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता से कार्यक्रम अधिकारी साक्षरता संवर्धन और पेय जल, पक्का/कच्चा रोड, स्कूल शेड/भवन, सहकारी/स्व रोजगार स्कीम आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का लक्ष्य रख सकता है और उनकी योजनाएं बना सकता है। ऐसी परियोजनाओं को कॉलेज और गांव के बीच परामर्श की प्रक्रिया से शुरू किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ शहरों में मलिन बस्तियों या कम विकसित क्षेत्रों को गोद लिया जा सकता है। इन क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित करते समय एनएसएस स्वयंसेवकों को लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में जन सहभागिता की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। एक से अधिक एनएसएस यूनिट वाले कॉलेजों/स्कूलों में प्रत्येक एनएसएस यूनिट को एक क्षेत्र गोद लेना है या एक संस्थान की सभी एनएसएस यूनिटों को मिलकर एक गांव/मलिन बस्ती समूह गोद लेना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज को गोद लिए गए गांवों/क्षेत्रों के बारे में प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र की शुरूआत में संबंधित एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

(झ) **पूर्ण साक्षरता**

किए गए कार्य की समीक्षा की जाए। कॉलेज/+2 यूनिट दो या तीन वर्ष की औचित्यपूर्ण अवधि के भीतर अपने अपनाए गए गांव/मलिन बस्ती क्षेत्रों में शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखे और इसे प्राप्त करे। जहां पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है वहां अन्य विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

(ञ) **स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता**

महिला कॉलेज यूनिटें और सहशिक्षा कॉलेज यूनिटों के महिला स्वयंसेवक, प्रमुख कार्यकालपों में से एक कार्यकलाप के रूप में स्वास्थ्य सेवा/अस्पताल सेवा कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। वे निम्नलिखित से भी जुड़ सकते हैं:-

(i) एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम

(ii) स्वास्थ्य शिक्षा

(iii) कन्या और उसकी शिक्षा पर विशेष बल के साथ स्वस्थ शिशु और मातृ प्रतिस्पर्धा

(iv) महिला सदस्यों से मिलने के लिए पारिवारिक मुलाकातें- पारिवारिक ढ़ांचे में माता/महिला की भूमिका समझाना

(v) अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना

(vi) एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम।

1.3 **सितंबर**

(क) जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए एमपीएफएल और विशेष शिविर कार्यक्रम पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना (7 अक्तूबर तक)।

(ख) जुलाई और अगस्त के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कुछ और नए कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं।

(ग) विभाग के दिनांक 18 मई, 1994 के पत्र संख्या एफ.16-7/95-वाईएस.III,जो अनुबंध IVमें दिया गया है, द्वारा 1994से 24 सितंबर को एनएसएस दिवस मनाया जाना।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और सप्ताह (8 सितंबर)

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और सप्ताह के समारोह में एनएसएस की सहभागिता हेतु कार्यसूचीः

(i) एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा 8 सितंबर को शपथ लेना जिसे प्रिंसिपल/कार्यक्रम अधिकारी/किसी प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिलाया जाना है (यह सुनिश्चित किया जाए कि शपथ समारोह एक औपचारिकता न बन कर रह जाए बल्कि यह प्रेरणास्वरूप होना चाहिए)।

(ii) गोद लिए गांव/मलिन बस्ती का दौरा, संवाद के आयोजन और साक्षरता के महत्व पर विचार-विमर्श।

(iii) आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और परिसर में प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग और बैनर लगाना।

1.4 **अक्तूबर**

(क) **पंजीकरण रिपोर्ट**

कार्यक्रम समन्वयकों को अनिवार्यतः 30 सितंबर तक पंजीकरण के अंतिम रूप से तैयार ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ख) **छमाही रिपोर्ट**

अप्रैल से सितंबर की अवधि की छमाही रिपोर्ट तैयार की जाए और इसे कार्यक्रम समन्वयकों को प्रस्तुत किया जाए।

(ग) **पतझड़ शिविर का आयोजन**

सितंबर/अक्तूबर के अवकाश के दिनों में एक विशेष शिविर आयोजित करने पर चर्चा करने और इसका निर्णय करने के लिए सलाहकार समिति की बैठक आजोजित की जा सकती है। चुने गए स्वयंसेवकों को विशेष शिविर परियोजना के विषय पर अग्रिम अनुकूलन प्रदान किया जा सकता है। जिससे स्वयंसेवक की सहभागिता ज्यादा प्रभावी होगी। 1995 से विशेष शिविर कार्यक्रम के दौरान मुख्य बल वाटरशेड प्रबंधन और बंजर भूमि विकास पर विशेष बल के साथ "सतत् विकास हेतु युवा" पर होगा। विशेष शिविर के विषय का निर्णय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।

(घ) **गांधी जयन्ती (2 अक्तूबर)**

साम्प्रदायिक सदभावना दिवस

1.5 **नवंबर**

19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाए। निम्नलिखित दिवस सप्ताह के दौरान मनाए जाने हैं:

(क) 19 नवंबरः **राष्ट्रीय साक्षरता दिवसः** धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता रोधी और अहिंसा के विषयों पर बल देने के लिए बैठकें संगोष्ठी, सेमीनार आदि आयोजित किए जाने हैं। राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिज्ञा 19 नवंबर को ली जाएगी। यह मातृ दिवस समारोह का भी भाग हो सकता है।

(ख) 20 नवंबर : **अल्पसंख्यक कल्याण दिवसः** अल्पसंख्याकों के लिए कल्याण कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान के साथ शुरू किए जाएं। दंगा संभावित क्षेत्रों में शांति मार्च और विशेष भाईचारा जुलूस निकाले जाएं।

(ग) 21 और 22 नवंबर : **कमजोर वर्ग दिवसः** विशेष समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि प्रत्येक क्षेत्र के लोग भारत के अन्य भागों की विरासत को समझ सकें।

(घ) 23 नवंबर : **सांस्कृतिक एकता दिवसः** सांस्कृतिक एकता का संवर्धन करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

(ङ) 24 नवंबर : **महिला दिवसः** हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका पर बल देने के लिए महिला शिक्षा, रोजगार आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

(च) 25 नवंबर : **संरक्षण दिवसः** पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

तथापि यदि 'सप्ताह' और परीक्षा की अनुसूची का समय एक ही हो तो सप्ताह के सभी पहलुओं के घटकों के साथ केवल एक दिन का आयोजन रखा जाए।

1.6 **दिसंबर**

(क) 1 दिसंबरः विश्व एड्स दिवस

हाल के सर्वेक्षणों/अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि हमारे देश में एड्स का अप्रत्यक्ष विस्फोट होने का जोखिम है। कुछ सर्वेक्षणों में यह अनुमान लगाया गया है कि आगामी 10 वर्षों में भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या एड्स से पीड़ित हो सकती है। अतः यह राष्ट्र के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। एनएसएस को एचआईवी/एड्स के संबंध में स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों में जागरूकता सृजन और उसके रोकथाम के उपायों में भाग लेना चाहिए। यह संदेश उनके कॉलेजों और अपनाए गए गांवों में व्याख्यान, आम चर्चा, फिल्म शौ, रेली और नुक्कड़ नाटक आयोजित करके फैलाया जा सकता है। कॉलेज इस विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता और प्रदर्शनियां आयोजित कर सकता है।

(ख) शीतकालीन शिविर का आयोजन

शीतकालीन शिविरों पर विचार-विमर्श करने और उसका निर्णय करने के लिए यूनिट स्तर की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाए। इस अवधि के दौरान एनएसएस यूनिट के लिए निर्धारित परंतु अपूर्ण विशेष शिविर लक्ष्य को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। चुने गए स्वयंसेवकों के अग्रिम अनुकूलन का प्रबंध किया जाए। शिविर के ठीक बाद रिपोर्ट तैयार की जाए और इसे कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जाए।

1.7 **जनवरी**

(क) अक्तूबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए एमपीएफएल और विशेष शिविर कार्यक्रम पर तिमाही रिपोर्ट (प्रगामी) प्रस्तुत करना (7 जनवरी तक)।

(ख) **राष्ट्रीय युवा सप्ताह** 12-19 जनवरी तक उचित तरीके से मनाया जाना है। यह नोट किया जाए कि 12 जनवरी युवा सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। यदि अन्य शैक्षिक कार्यकलापों के कारण सभी दिवसों को मनाना कठिन महसूस किया जाए तो कम से कम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाए।

(ग) **12 जनवरीः राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती)**

(i) युवा पुरस्कार की प्रस्तुति

(ii) भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, पं.जवाहर लाल नेहरू और अन्य राष्ट्रीय विभूतियों के चिन्तन और शिक्षाओं पर व्याख्यान/संगोष्ठी

(iii) चरित्र निर्माण के विशेष संदर्भ में समकालीन स्थिति में युवाओं की भूमिका पर वाद-विवाद

(iv) राष्ट्रीय विभूतियों, विशेष रूप से पं. जवाहर लाल नेहरु/ महात्मा गांधी के चिन्तन और शिक्षाओं पर युवाओं में निबंध/ड्राइंग प्रतियोगिताएं

(घ) गणतंत्र दिवस

यह अवसर उचित तरीके से मनाया जाए। यदि अधिकतर स्वयंसेवक कार्य के 240/120 घंटे पूरे करते हैं तो उन्हें इसकी सूचना दी जाए और उन स्वयंसेवकों को फरवरी और मार्च में अपेक्षित सेवा पूरी करने के लिए कहा जाए, जो कार्य के 240/120 घंटे पूरे नहीं कर सके।

1.8 **फरवरी और मार्च**

(क) ऐसे वरिष्ठ स्वयंसेवकों की सूची तैयार की जाए जिन्होंने अपेक्षित 240 सेवा घंटे पूरे किए हैं। योग्य स्वयंसेवकों को सामान्य और विशेष शिविर प्रमाण-पत्र दिए जाएं ताकि स्वयंसेवक उच्च कक्षाओं में प्रवेश/रोजगार, जहां कहीं ऐसा वेटेज दिया जाता हो, पाने के लिए उनका उपयोग कर सकें। साक्षरता उत्तरदायित्व का कार्य पूरा करने वाले स्वयंसेवकों को ग्रेड आधारित प्रमाण-पत्र देने के उपाय शुरू किए जाएं।

(ख) महिला दिवस (8 मार्च)

(i) 1991-2000की अवधि **कन्या के लिए सार्क दशक** के रूप में मनाई जा रही है।

(ii) महिलाओं और साथ ही कन्याओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएं। समाज में महिलाओं की स्थिति और महिला के साथ न्याय की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर विशेष प्रकाश डाला जाए।

(ग) एनएसएस यूनिटों द्वारा अपनाए गए नए गांव/मलिन बस्ती क्षेत्र को चिन्हित करने का कार्य शुरू किया जाए, यदि वर्तमान अपनाए गए क्षेत्रों में कार्य पूरा कर लिया गया हो।

(घ) एमपीएफएल

साक्षरता अभियान हेतु सभी अग्रिम तैयारियां अनिवार्य रूप से इसी माह शुरू होनी चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी कम से कम 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों के लिए किट की व्यवस्था करे और उन्हें किट की आपूर्ति करे ताकि वे अंतिम परीक्षा के ठीक बाद ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में साक्षरता कार्यक्रम शुरू कर सकें। इसके बाद एमपीएफएल के प्रति एनएसएस का दृष्टिकोण इस प्रकार का होगाः-

(i) व्यक्ति-दर-व्यक्ति आधार (सीखे और सिखाएं)

(ii) 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए **आधारित क्षेत्र** का पूरा बल एनएसएस द्वारा गोद लिए गांवों और शहरी मलिन बस्तियों पर दिया जाना है। तथापि, क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पड़ोस पर बल होना चाहिए। संस्थान के समग्र साक्षरता अभियान का समन्वय प्रिंसिपल और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी को यूनिट स्तर पर क्षेत्र की संपूर्ण साक्षरता के लिए चरण-वार कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इसे संबंधित कार्यक्रम समन्वयक को भेजना चाहिए।

(ड.) सलाहकार समिति की बैठक

समिति वर्ष के कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए बैठक कर सकती है और ग्रीष्मकालीन अवकाश में आयोजित किए जाने वाले विशेष शिविर के लिए योजना बनाई जा सकती है।

1.9 **अप्रैल**

लेखे, तिमाही रिपोर्ट (जनवरी से मार्च), छमाही रिपोर्ट (अक्तूबर से मार्च), आदि तैयार की जाएं और 07 अप्रैल तक कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जाएं। विकास एजेंसियों आदि से संपर्क करके ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कार्यक्रम की योजना बनाई जाए।

1.10 **मई और जून**

साक्षरता अभियान जारी रखना

(क) वाटरशेड प्रबंधन और वाटरशेड विकास पर फोकस के साथ 'सतत् विकास हेतु युवा' विषय पर विशेष शिविरों का आयोजन

(ख) साक्षरता, शिविर आदि पर प्रगति रिपोर्ट की प्रथम तिमाही रिपोर्ट, जिसमें गोद लिए गांवों/मलिन बस्ती क्षेत्रों, स्वयंसेवकों और शिक्षुओं के पंजीकरण का उल्लेख हो,तैयार करके इसे 30 जून तक एनएसएस यूनिटों द्वारा संबंधित कार्यक्रम समन्वयकों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना है। दूसरी, **तीसरी** और चौथी तिमाही रिपोर्टों में 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की गई संचयी प्रगति का उल्लेख होगा।

(ग) विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)

गोद लिए गांव/मलिन बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कार्यक्रम अधिकारी/प्रिंसिपल बंजर भूमि विकास, सामाजिक वानिकी, बागवानी, मृदा संरक्षण के लिए कार्यरत एजेंसियों के संपर्क करे। सुनिश्चित संरक्षण के साथ चिन्हित परियोजनाओं में वृक्षारोपण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन खत्म होने, मृदा, जल

और वायु प्रदूषण आदि के बारे में जन जागरुकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि लोगों में समझ पैदा जा सकें।

भाग-VI

एनएसएस कार्यकलापों का कार्यान्वयन

अध्याय-1 : संस्थान स्तर पर एनएसएस- एनएसएस यूनिट का संघटन और प्रशासन

कॉलेज/+2 स्तर पर यूनिट, एनएसएस में मूल स्तर की यूनिट है। संगठन इस यूनिट के माध्यम से ही समुदाय, प्रशासन, विद्यार्थी युवा और शिक्षण संकाय के साथ संपर्क में रहता है। अतः एनएसएस यूनिट का संघटन और प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

1. एनएसएस यूनिट

किसी संस्थान को एनएसएस यूनिटें विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आबंटित की जाएंगी। यूनिटों की संख्या संस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी के परामर्श से कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आबंटित की जाएगी। यह आशा है कि संस्थान एनएसएस यूनिट के सफल संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा क्योंकि यह संस्थान अर्थात कॉलेज या स्कूल का भाग होती है।

1.1 सामान्यतः किसी यूनिट की संख्या 100 एनएसएस स्वयंसेवक होगी। एनएसएस यूनिट की संख्या ऐसे अपवादस्वरूप मामलों, जहां सीमाओं के कारण दूसरी यूनिट स्थापित नहीं की जा सकती, में 120 स्वयंसेवक तक बढ़ाई जा सकती है। ये हमेशा उपयुक्त होता है कि ज्यादा एनएसएस स्वयंसेवकों का पंजीकरण करने के बजाय एक अलग यूनिट शुरू की जाए।

1.2 ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में, जहां पंजीकृत किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या बहुत कम है, तो 75 एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या के साथ अपेक्षाकृत छोटी एनएसएस यूनिट शुरू की जा सकती है।

2. एनएसएस स्वयंसेवकों का पंजीकरण

कॉलेज स्तर पर एनएसएस स्वयंसेवकों का पंजीकरण प्रथम और द्वितीय वर्ष के डिग्री स्तर के विद्यार्थियों से किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए जिन्होंने +2 स्तर पर भी एनएसएस स्वयंसेवकों के रूप में कार्य किया है।

2.1 अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एनएसएस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां अधिक से अधिक विद्यार्थी एनएसएस में शामिल होना चाहते हैं उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

2.2 सह-शिक्षा कॉलेजों में कन्याओं को एनएसएस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2.3 भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्रों को भी एनएसएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और समुदाय कार्य के अनुभवों को साझा कर सकें।

2.4 एनएसएस कैडेटों को एनएसएस में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार एनएसएस स्वयंसेवक जब तक एनएसएस में रहेंगे, वे एनसीसी या अन्य किसी युवा संगठन में भाग नहीं लेंगे। यही प्रतिबंध एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों पर भी लागू होगा।

3. कार्यक्रम अधिकारी

एक कार्यक्रर्म अधिकारी केवल एक यूनिट का प्रभारी होगा।

3.1 केवल शिक्षण संकाय के अधिकारियों को ही कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

3.2 कार्यक्रर्म अधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख के पर्यवेक्षण और निर्देशन के तहत एनएसएस यूनिट के संघटन, एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

3.3 कार्यक्रर्म अधिकारी, एनएसएस मैनुअल, कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्देशों के अनुसार एनएसएस कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और राज्य समपर्क अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.4 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र या राज्य संपर्क अधिकारी या कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी निर्देशों के बीच कोई टक्कराव नहीं होगा क्योंकि ये निर्देश एनएसएस मैनुअल / कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों या भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक या नीतिगत निर्देशों पर आधारित किए जाने हैं।

3.5 कार्यक्रम अधिकारियों के संबंध में अन्य ब्यौरा इस भाग के अध्याय 2 में दिए गए हैं।

4. दृष्टिकोण

एनएसएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनएसएस स्वयंसेवकों को लोकतांत्रिक, स्व-अनुशासित और आत्मनिर्भर तरीक से जीना सिखाने के तैयार करना है। अत: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है एनएसएस यूनिटें लोकतांत्रिक तर्ज पर संघटित की जाएं और संचालित की जाएं। विद्यार्थी नेताओं, एनएसएस नेताओं, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्टाफ के अन्य सदस्यों, और समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इसके साथ जोड़ा जाना है। उन्हें एनएसएस कार्यक्रम की योजना, निष्पादन और मूल्यांकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. **भौतिक सुविधाएं: कार्यालय और भण्डारण**

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना के बढ़ते महत्व से, कतिपय भौतिक सुविधाएं अनिवार्य हो गई हैं। अत: यह आशा है कि कॉलेज / स्कूल प्राधिकारी एनएसएस यूनिट के लिए फर्नीचर और अन्य सेवाओं युक्त एक अलग कमरा उपलब्ध कराएंगे।

(ख) इसी प्रकार कॉलेज / स्कूल एनएसएस सामग्री और उपकरणों के भंडारण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए, निम्नलिखित बातों का ध्यान किया जाना होगा: -

(i) एनएसएस निधियों से खरीदी गई वस्तुओं / सामग्रियों को अलग रखा जाएगा और इन्हें केवल एनएसएस प्रयोजन से प्रयोग में लाया जाएगा।

(ii) भण्डारों और उपकरण की स्टॉक रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियों पर सामान्य वित्तीय नियमों के तहत यथा अपेक्षित संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iii) कार्यक्रम अधिकारी के बदलने के समय, संस्थान का प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि कि जावक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एनएसएस भण्डारों और सामग्रियों का प्रभार नए कार्यक्रम अधिकारी को समुचित रूप से सौंपा जाएगा। प्रभार के अन्तरण के आवश्यक प्रमाणपत्र पर स्टॉक रजिस्टर में संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6. रिकॉर्ड और रजिस्टर

एनएसएस कार्यक्रम का वित्त पोषण सार्वजनिक निधियों से किया जाता है। अत: संस्थान को वित्तीय नियमों के तहत यथा अपेक्षित वित्तीय रिकॉर्ड और रजिस्टर रखने चाहिए और इन्हें कभी भी निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.1 जावक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रिकॉर्डों और रजिस्ट्रारों को नव नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी को समुचित रूप से सौंपा जाएगा।

6.2 निम्नलिखित रिकॉर्ड / रजिस्टर को कॉलेज स्तर पर एनएसएस यूनिट में रखा जाना है: -

(क) **पंजीकरण रजिस्टर**

एनएसएस में पंजीकृत विद्यार्थियों के संपूर्ण विवरण और जीवनवृत का एक रजिस्टर यूनि-वार रखा जाना चाहिए। इस रजिस्टर में एनएसएस के नाम, लिंग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, और एनएसएस विद्यार्थियों की कक्षा, उनकी रूचि, और एनएसएस में उनके अनुभव और अन्य सेवा कार्यकलापों के बारे में सूचना होनी चाहिए।

(ख) **परियोजना रजिस्टर**

यह रजिस्टर विद्यार्थियों की सहायता से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रखा जाना है। इसमें प्रत्येक परियोजना संबंधी पूरी सूचना के साथ वर्ष के दौरान की गई परियोजनाओं की एक सूची होनी चाहिए, जैसे परियोजना विशेष के लिए स्थान / क्षेत्र / संस्थान, लक्षित समूह, कार्यकलाप विशेष में शामिल विद्यार्थियों (नाम सहित) की संख्या और वित्तीय आवंटन, यदि कोई हो। इस परियोजना रजिस्टर में गोद लिए क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे, गांव की रूपरेखा या संस्थान का विवरण और साथ ही समय-समय पर परियोजना विशेष का परिणाम। उदाहरण के लिए, यदि परियोजना स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हो तो गांव टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चों की संख्या के ब्यौरे का उल्लेख किया जा सकता है। समय के साथ-साथ इस रिकॉर्ड से परियोजना विशेष की सफलता या अफलता का पता चलाना चाहिए।

(ग) **स्टॉक रजिस्टर**

एक स्टॉक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें उपभोज्य और गैर-उपभोज्य मदों का अलग-अलग उल्लेख हो। इसके अलावा, सत्यापन और आवधिक रूप से भण्डार की जांच करने के उद्देश्य से निर्गम / प्रेषण रजिस्टर रखा जाना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियों पर संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(घ) **उपस्थिति का रिकॉर्ड**

एनएसएस के विभिन्न सत्रों / शिविरों में विद्यार्थी स्वयंसेवकों की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और उनके हस्ताक्षर भी लिए जाने चाहिए।

(ड.) **कार्यवृत्त पुस्तक**

कार्यक्रम अधिकारी को सलाहकार समिति और समय-समय पर आयोजित अन्य बैठकों का कार्यवृत्त दर्ज करना चाहिए। इससे उसे उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

(च) **कार्यक्रम अधिकारी की व्यक्तिगति कार्य-डायरी**

कार्यकारी अधिकारी के लिए व्यक्तिगत कार्य-डायरी रखना उपयोगी होगा जिसमें वह परियोजना का ब्यौरा, परियोजना में पेश आई कठिनाईयों, एनएसएस के लिए लगाए गए घण्टों की संख्या और भावी कार्य योजना को नोट करता है।

(छ) **एनएसएस स्वयंसेवक की कार्य-डायरी**

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, कार्यक्षेत्र का ब्यौरा, लक्षित समूहों, किए गए कार्यकलापों, बिताए गए समय, समस्याओं और आगे की कार्रवाई की योजनाओं को नोट करने के लिए एक कार्य-डायरी रखना उपयोगी होगा। विभिन्न परियोजनाओं के एनएसएस विद्यार्थी नेता कार्यकलाप और कार्यक्रमों, बिताए गए अतिरिक्त समय सदस्यों (स्वयंसेवकों) और लक्षित समूहों की उपस्थिति का ब्यौरा दे सकते हैं।

7. वित्तीय रिकॉर्ड

जबकि कॉलेज / स्कूल कार्यालय एनएसएस के लिए अलग से लेखे रखने और उनकी लेखा-परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के पास व्यय की प्रगति के बारे में हर समय सूचना होनी चाहिए और उसे संस्थान के कार्यालय द्वारा अपनाई गई लेखाकरण प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। उसे विश्वविद्यालय / राज्य सरकार को व्यय विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। एक से अधिक एनएसएस यूनिट वाले कॉलेज / स्कूल लेखाओं, रिकॉर्डों, रिपोर्टों और विवरणिकाओं आदि की देखरेख करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी का चयन सकते हैं।

7.1 एनएसएस अनुदानों की प्राप्ति और उनके उपयोग संबंधी लेखे वित्तीय मानदण्डों के अनुसार रखे जाएंगे। लेखा परीक्षा दल, एनएसएस संगठन के अधिकारी, राज्य संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम समन्वक कभी भी इन लेखाओं का निरीक्षण कर सकेंगे।

7.2 एनएसएस लेखे अलग से रखे जाएंगे। इन्हें संस्थान के अन्य लेखाओं के साथ समेकित नहीं किया जाएगा।

7.3 कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को निर्धारित प्रपत्र में आवधिक रिपोर्टें भेजेगा। ऐसी रिपोर्टों की प्रतिलिपियां एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी को भी प्रेषित की जाएंगी।

7.4 एनएसएस यूनिटों द्वारा की गई विशेष शिविर परियोजनाओं की रिपोर्ट भी कार्यक्रम समन्वयक को भेजी जाए और इसकी प्रतिलिपि उचित स्तर पर सूचना और अनुमान हेतु एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और राज्य संपर्क अधिकारी को प्रेषित की जाए।

8. वित्तीय व्यय

8.1 एनएसएस यूनिट के लिए आकस्मिक व्यय

प्रारंभिक रूप से एनएसएस को केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त एनएसएस अनुदानों से सहायता मिलती है। कार्यक्रम समन्वयक उचित समय पर संबंधित कॉलेजों को अनुदान जारी करता है जो कतिपय शर्तों के अधीन होता है। ऐसे अनुदानों और उपयोग के मानदंडों का विवरण

संस्थान स्तर पर व्यय के तहत वित्तीय लेखाओं से संबंधित भाग-**II** के अध्याय 2 में दिया गया है।

8.2 **आंतरिक संसाधन जुटाना**

कुछ विश्वविद्यालयों से चालू स्थापना व्यय की पूर्ति करने के लिए आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में, कृपया इस अध्याय के पैरा 5 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का संदर्भ लिया जा सकता है जिनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्तर और यूनिट स्तर पर एनएसएस सेल के सूचारू कार्यकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सचिवालय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करना विश्वविद्यालय / संस्थान की जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय, खेल, युवा कल्याण और अन्य पाठ्यचर्या इतर कार्यक्रमों के संबंध में अतिरिक्त बजट प्रावधान करके या अपनाई जा रही पद्धति में आन्तरिक रूप से संसाधन जुटाकर यह सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में, विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय या कॉलेज / स्कूल /विद्यार्थी / एनएसएस स्वयंसेवक से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी अधिकतम 5/-रू. का सामान्य शुल्क लिया जाए। इस प्रकार, एकत्र शुल्क से कॉलेज/ +2 स्कूल, एनएसएस यूनिट स्तर पर स्थापना व्यय पूरा करने के लिए 2/-रू. (केवल 2/-रू.) का शुल्क बनाए रख सकते हैं।

8.3 दिनांक 16.03.1992 के पत्र संख्या.2-1/91-वाईएस.**III (**अनुबंध **- V)** द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि एनएसएस के खातों में जमा एनएसएस अनुदानों से प्राप्त बैंक ब्याज का उपयोग संबंधित संस्थान द्वारा कार्यक्रम विकास से प्रयोजन के अनिवार्य उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है।

अध्याय 2: कार्यक्रम अधिकारी - नियुक्ति, कर्तव्य और कार्यों

कार्यक्रम अधिकारी से विद्यार्थी युवाओं को प्रेरित करने की आशा कि जाती है ताकि वे एनएसएस के मूल्यांन और चिंतन को समझ सकें। कार्यक्रम अधिकारी का समग्र कार्य, विद्यार्थियों को अपने प्रभार के तहत एनएसएस के कार्यकलापों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करना और विद्यार्थी स्वयंसेवकों को उचित मार्गदर्शन और निदेश देना है।

1. एनएसएस कार्यक्रम के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी अपने संस्थान में एनएसएस कार्यक्रम की गुणवता और आकार बढाने के लिए एक आयोजक, शिक्षक, समन्वयक, पर्यवेक्षक, प्रशासक, और जन संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाता है। उसके कार्यों को उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है: -

(क) **आयोजक के रूप में**

(i) विद्यार्थियों और कॉलेज समुदाय के अन्य सदस्यों को योजना के बारे में समझाना और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(ii) एनएसएस कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, भर्ती करना और चयन करना;

(iii) समुदाय एजेंसियों, सरकारी विभागों और गैर-सरकारी एजेंसियों का सहयोग और समन्वय प्राप्त करना; तथा

(iv) उपयोगिता और व्यवहार्यता के आधार पर सेवा परियोजनाओं का चयन करना;

(ख) **शिक्षक के रूप में**

(i) एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम तैयार करना, सामाजिक सेवा की अवधारणा के बारे में उन्हें समझाना और स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपेक्षित तरीके और कौशल सिखाना;

(ii) बैठकों, वार्ताओं, न्यूज बूलटेनों, विचार-विमर्श आदि के माध्यम से समुदाय शिक्षा का संवर्धन करना; और

(iii) एनएसएस कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना जिसका शैक्षिक पाठ्यचर्याओं के साथ सीधा संबंध होगा;

(ग) **समन्वय के रूप में**

(**i**) विद्यार्थी की योग्यता और समुदाय की मांगों के अनुरूप एनएसएस कार्यकलापों का समन्वय करना;

(**ii**) योजना के कार्यान्वयन में विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढाने के लिए शिक्षकों की शिक्षण विशेषज्ञता के रूप में उपलब्ध आन्तरिक संसाधनों का समन्वय करना;

(**iii**) एनएसएस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकारी सेवाओं, कल्याण एजेंसियों और स्वैच्छिक निकायों के रूप में उपलब्ध विभिन्न बाह्य संसाधनों का समन्वय करना;

(घ) **पर्यवेक्षक के रूप में**

(**i**) विद्यार्थियों को यह सिखाने में सहायता करना कि वे अपना कार्य कैसे करें। उसके पर्यवेक्षकीय और परामशी कौशल से विद्यार्थियों को व्यवहारिक लक्ष्य तय करने और समस्याओं को चुनौतियों के रूप में लेने और उनका समाधान करने के लिए उचित उपाय करने में सहायता मिलनी चाहिए।

(**ii**) मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्य में सहायता करना

(ड.) **प्रशासक के रूप में**

(**i**) प्रिंसिपल, कॉलेज सलाहकार समिति और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वक को यूनिट के कार्यकलापों की सूचना देते रहना;

(**ii**) कार्यक्रम का दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चलाना;

(**iii**) नियमित रूप से पत्र व्यवहार करना;

(**iv**) विद्यार्थियों की सहभागिता और किए गए कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना;

(**v**) कॉलेज / स्कूल और विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने हेतु आवधिक रूप से प्रगति रिपोर्ट तैयार करना;

(**vi**). लेखा और स्टॉक को निर्धारित रूप में रखना; और

(**vii**). किए जाने वाले कार्यकलापों का वार्षिक कलैण्डर तैयार करना।

(च) **जन संपर्क अधिकारी के रूप में**

(**i**) प्रेस रिपोर्टों, रेडियों और दूरदर्शन कार्यक्रमों, इश्तहारों, सेमिनारों और वक्ता मंचों के माध्यम से समुदाय को योजना के बारे में सूचित करना।

(ii) विद्यार्थियों और समुदाय को प्रेरित करने के उद्देश्य से एनएसएस की छवि संवर्धन हेतु आईईसी अभियान को शुरू करना।

2. **कार्यक्रम अधिकारी का चयन**

कार्यक्रम अधिकारी का चयन संबंधित विश्वविद्यालय / +2 स्तर के कार्यक्रम समन्वयक के परामर्श से संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा।

2.1 **अर्हताएं**

(i) कार्यक्रम अधिकारी का चयन केवल शिक्षण संकाय के सदस्यों में से किया जाएगा।

(ii) एनसीसी अधिकारियों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों को एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) महिला कॉलेज / कन्या विद्यालयों में किसी महिला शिक्षक को कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। तथापि, पुरूष सदस्य महिला कार्यक्रम अधिकारी की सहायता कर सकते हैं।

(iv) समुदाय कार्य के लिए उच्च स्तर की प्रेरणा, रूचि और क्षमता और इनसे भी ज्यादा विद्यार्थियों के साथ बहुत उत्तम घनिष्ठता रखने वाले शिक्षक को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में वरीयता दी जानी चाहिए।

2.2 **कार्यकाल**

किसी शिक्षक को पहली बार अधिकतम 3 वर्षों के लिए कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तथापि, यह अवधि प्रिंसिपल और कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के आधार पर चौथे वर्ष तक बढाई जा सकती है।

3. **प्रशिक्षण / अनुकूलन**

कार्यक्रम अधिकारी को उसके चयन के 3 माह के भीतर अनुकूलन पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा। यदि अनुकूलन को 3 माह की निर्धारित अवधि में आयोजित नहीं किया जाता है, तो कार्यक्रम अधिकारी को उसके चयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अनुकूलन प्रशिक्षण करना होगा।

3.1 संस्थान का प्रिंसिपल संबंधित कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और टीओआरसी / टीओसी को कार्यक्रम अधिकारी के चयन और चुने गए कार्यक्रम अधिकारी के अनुकूलन की आवश्यक व्यवस्था के बारे में सूचित करेगा। प्रिंसिपल यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम अधिकारी को टीओआरसी / टीओसी द्वारा आयोजित अनुकूलन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए

कार्यभार मुक्त किया गया है। इसी प्रकार, कार्यक्रम अधिकारी से प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की आशा की जाती है और इस प्ररियोजन से कार्यक्रम अधिकारी को कार्यभार मुक्त करना संस्थान के प्रमुख का दायित्व है।

3.2 यदि चयनित कार्यक्रम अधिकारी अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किसी भी कारण से अनुकूलन प्रशिक्षण नहीं करता है, तो वह कार्यक्रम अधिकारी के रूप में काम करना बंद कर देगा और अन्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा और उसे समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना अनुकूलन के कोई कार्यक्रम अधिकारी अपने पद पर कार्य करना जारी नहीं रखेगा, यदि उसे निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।

4. **कार्यक्रम अधिकारी के कार्य**

कार्यक्रम अधिकारी निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा :-

(क) वह भारत सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी कार्यक्रम मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एनएसएस नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रम की योजना बनाएगा।

(ख) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एनएसएस स्वयंसेवक अपेक्षाओं के अनुसार नियमित कार्यकलापों में निर्धारित समय पूरा करते हैं और विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। एनएसएस स्वयंसेवकों का अनुकूलन उपयुक्त तरीके आयोजित किया जाएगा और एनएसएस स्वयंसेवक का अनुकूलन करने के लिए 20 घण्टे का समय दिया जाएगा।

(ग) वह एनएसएस यूनिट को विभिन्न समूहों में बांटेगा और प्रत्येक समूह को निश्चित कार्य और लक्ष्य तथा परियोजनाएं सौंपेगा।

(घ) वह एनएसएस स्वयंसेवकों के कार्यकरण की देखरेख करेगा।

(ड) वह यह सुनिश्चित करेगा कि एनएसएस के मूल उद्देश्य अर्थात एनएसएस स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व विकास, समाज के विभिन्न वर्गों का आपसी मेलजोल सदभावनापूर्ण तरीके से पूरे हुए हैं और एनएसएस स्वयंसेवकों तथा समुदाय को एनएसएस यूनिट के कार्यकलापों से लाभ हुआ है।

(च) वह भारत सरकार और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित आवश्यक विकास और रजिस्टर रखेगा।

(छ) वह एनएसएस निधियों से खरीदे गए उपकरणों और भण्डारों के लिए जिम्मेदार होगा। वह अपने कार्यकाल के अंत में अपने उत्तराधिकारी को एनएसएस उपकरणों और भण्डारों का प्रभार सौंपेगा।

(ज) वह भारत सरकार और एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के प्रशासनिक और वित्तीय निदेशों के अनुसार एनएसएस अनुदान खर्च करेगा।

(झ) वह, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रयोजित राष्ट्रीय अखण्डता शिविर, चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस परेड जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्य समारोह में भाग लेने के लिए एनएसएस स्वयंसेवकों को भेजेगा।

(य) वह एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र, कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस राज्य समपर्क अधिकारी टीओआरसी/टीओसी को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ट) वह लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। लेखाओं और उपयोग प्रमाणपत्र को किसी सनादी लेखाकार या विभागीय लेखा-परीक्षक से लेखा-परीक्षित कराया जाए।

(ठ) वह एनएसएस परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क करेगा। वह सामान्यत: समुदाय विकास और विशेष रूप से युवा कार्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय भी करेगा।

(ढ) वह एनएसएस मैनुअल में यथा निर्धारित संस्थान के प्रिंसिपल के परामर्श से कॉलेज सलाहकार समिति की बैठक बुलाएंगा।

5. **जेब खर्च भत्ता**

कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस, एनएसएस कार्यकलाप आयोजित करता है और उनकी देखरेख करता है और इसके लिए उसे लोगों से मिलने, विद्यार्थियों के स्थापन और नगरपालिक सीमाओं तथा गोद लिए गांवों के भीतर यात्रा करने पर व्यय करना होता है। इस व्यय का भुगतान जेब खर्च भत्ते से किया जाता है। कार्यक्रम अधिकारियों को प्रारंभ में इस प्रयोजनार्थ प्रति माह 75/-रू. अदा किया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली ने 100 एनएसएस स्वयंसेवकों की संपूर्ण यूनिट के मामले में वित्त वर्ष 1991-92 से संशोधन करके जेब खर्च भत्ते को प्रति माह 200/-रू. कर दिया है। 75 स्वयंसेवकों की लधु यूनिटों के मामले में कार्यक्रम अधिकारी को स्वीकार्य जेब खर्च भत्ता प्रति माह 150/-रू. होगा।

कार्यक्रम अधिकारी को स्वीकार्य जेब खर्च भत्ता दिनांक 27.07.1997 के परिपत्र संख्या.1-12/77-एसवाई के अनुसार आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है। इस पत्र की प्रति अनुबंध **VI** के रूप में संलग्न है

6. **वित्तीय पद्धति**

प्रत्येक यूनिट को एनएसएस नियमित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय / + 2 परिषद के कार्यक्रम समन्वयक से 120/-रू. के नियमित अनुदान से प्रति वर्ष प्रति स्वयंसेवक 95/- रू. या 100/-रू. मिलने चाहिए अर्थात 10000 स्वयंसेवकों की एनएसएस संख्या वाला विश्वविद्यालय / + 2 परिषद प्रति स्वयंसेवक प्रशासनिक व्यय के लिए 25/-रू. की कटौती करेगा। जबकि 10001 और इससे अधिक स्वयंसेवकों की संख्या वाला विश्वविद्यालय / + 2 परिषद प्रति स्वयंसेवक 20/-रू. की कटौती करेगा। इस अनुदान में से 100 एनएसएस स्वयंसेवकों की यूनिट के लिए से प्रति वर्ष प्रति स्वयंसेवक 30/-रू. का व्यय कॉलेज / स्कूल स्तर के व्यय पर किया जाएगा। कॉलेज / स्कूल स्तर पर स्थापना व्यय के लिए निम्नानुसार सुझाव है: -

(क) कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्च भत्ता 1400/- रू.

(ख) स्टेशनरी/ डाक प्रभार तथा लिपिकीय सहायता आदि 600/- रू.

(ग) **कार्यक्रम विकास**

शेष निधि अर्थात प्रति वर्ष प्रति स्वयंसेवक 70/-रू. या 65/- रू. का उपयोग, कार्यक्रम / शिविर के दौरान स्वयंसेवकों को जलपान, सार्वजनिक परिवहन द्वारा स्वयंसेवकों के शिविर /समुदाय दौरे के व्यय, कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अनिवार्य कार्य औजारों, शिविर उपस्कर आदि की खरीद, आधिकारिक बैठक / प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के लिए कार्यक्रम अधिकारियों के यात्रा व्यय, आदि जैसी मदों पर एनएसएस यूनिटों द्वारा कार्यक्रम विकास पर किया जाएगा। तकनीकी संस्थान के लिए राज्य सलाहकार समिति औजारों और उपकरणों के स्वरूप का निर्धारण करेगी। अधिक जानकारी के लिए भाग **IX** के अध्याय 2 में 'वित्तीय व्यय की पद्धति' का संदर्भ लिया जा सकता है।

6.1 एनएसएस क्षेत्रीय विशेष शिविर कार्यक्रम की वित्तीय पद्धति

वार्षिक विशेष शिविर कार्यक्रम पर स्वीकार्य व्यय प्रति शिविर सहभागी 200/-रू. होगा। इस व्यय का ब्यौरा भाग -III विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत दिया गया है। नियमित और विशेष शिविर अनुदान की दर अवधिक रूप से बढ जाती है जिसके लिए भारत सरकार व्यय संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है।

7. प्रोत्साहन

समुदाय सेवा और युवा सेवा करने का इच्छुक शिक्षक, कार्यक्रम अधिकारी के रूप में एनएसएस में शामिल होता है। कार्यक्रम अधिकारी में वह अपने साथियों, एनएसएस स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों और समग्र रूप से समुदाय के सदस्यों के संपर्क में आता है। चूंकि वह अपना समय और ऊर्जा समुदाय कार्य, एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रेरित करने और समुदाय की सेवा करने में लगाता है, अत: यह उपयुक्त है कि उसकी सेवाओं का समुदाय और संस्थान द्वारा सम्मान किया जाए। अत: राष्ट्रीय सेवा के हित में है

कि सर्वोच्च उत्कृष्ट एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को उनके समर्पण और वचनवद्धता के लिए प्रोत्साहन दिए जाए। निम्नलिखित प्रोत्साहनों की सिफारिश की जाती है:-

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसएस को समुदाय विस्तार सेवा कार्य माना है। अत: एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्य को नियंत्रक अधिकारी द्वारा उसकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। 3 वर्षों तक एनएसएस में उत्कृष्ट योगदान को अनुसंधान के बराबर मानना वाछंनीय भी है क्योंकि एनएसएस को पहले ही नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा प्रणाली का वास्तविक तीसरा आयाम माना गया है। इस मामले में सभी विश्वविद्यालयों और +2 परिषद को उचित पहल करनी चाहिए।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार ने सर्वोत्तम एनएसएस यूनिट के कार्यक्रम समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किया शुरू है। एनएसएस पुरस्कार का ब्यौरा अनुबंध - **VII** में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारें ऐसे कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एनएसएस पुरस्कार शुरू कर सकती हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समुदाय विकास और युवा कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर दिए जा सकते हैं। राज्य स्तर पर पुरस्कारों की शर्तें राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(घ) विश्वविद्यालय भी ऐसे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों को पुरस्कार देने के तौर - तरीकें विकसित कर सकते हैं, जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय में समुदाय सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कार की शर्तें विश्वविद्यालय सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

अध्याय 3: राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक

चूंकि राष्ट्रीय सेवा का उद्देश्य समुदाय सेवा के माध्यम से एनएसएस स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व का विकास करना है, अत: सभी एनएसएस कार्यकलापों से एनएसएस स्वयंसेवकों को समुदाय सेवा में स्वयं को भागीदार बनाने का अवसर मिलता है।

1. एनएसएस कार्यक्रम / प्रशिक्षण में सहभागिता

एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत विद्यार्थी को दो वर्षों तक एक वर्ष में समुदाय कार्य के लिए 120 घण्टे देने होंगे। उसके एनएसएस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भाग लेने की संभावना है। एनएसएस कार्यकलापों पर 120 घण्टों का वितरण इस प्रकार हैं:-

(क) अनुकूलन

(i) एनएसएस में शामिल होने वाला प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक 120 घण्टों में से 20 घंटों के लिए एनएसएस कार्यक्रम का अनुकूलन करेगा। अनुकूलन के लिए निर्धारित 20 घण्टों को आगे सामान्य अनुकूलन- 2 घंटे; विशेष अनुकूलन - 8 घंटे और कार्यक्रम कौशल शिक्षण - 10 घंटे में बांटा जाएगा। सामान्य अनुकूलन के दौरान एनएसएस स्वयंसेवक, एनएसएस कार्यक्रम का इतिहास और विकास, एनएसएस के लक्ष्यों और उद्देश्य तथा इसकी अन्य मूल अवधारणाओं को जानेंगे।

(ii) सामान्य अनुकूलन समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों का विशेष अनुकूलन किया जाएगा जिसमें उन्हें समुदाय से संबंधित जीवन की वास्तविकताओं और इसकी समस्याओं के बारे में सूचना दी जाएगी। स्वयंसेवकों को गांव / मलिन बस्तियों की समस्याओं के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और योजनाओं के लिए उनका अनुकूलन किया जाएगा, जिन्हें समुदाय सेवा के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

(iii) अनुकूलन के तीसरे चरण में कार्यक्रम कौशल का विकास शामिल होगा, जो समुदाय कार्य और एनएसएस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। अनुकूलन के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों को निम्नलिखित के बारे सूचना दी जानी चाहिए :-

1. परियोजना क्षेत्र में लोगों के साथ घनिष्टता बनाना;
2. समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों को चिन्हित करना;
3. कार्यक्रमों की योजना बनाना और योजनाओं को कार्यान्वित करना;
4. चिन्हित समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में सीख और अनुभव को समझना; तथा

5. कार्य-डायरी में कार्यकलापों को व्यवस्थित ढ़ंग से दर्ज करना और आवधिक रूप से प्रगति का मूल्यांकन करना और जब कभी आवश्यक हो, परिवर्तन करना।

(ख) **परिसर परियोजनाएं**

एनएसएस स्वयंसेवकों को अधिकतम 20 घंटों की परिसर परियोजनाओं में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। परिसर परियोजना को उद्देश्य एनएसएस स्वयंसेवकों को हाथ से कार्य करने के लिए प्रेरित करना और उनमें श्रम की मर्यादा की भावना पैदा करना है।

(ग) **सामुदायिक कार्य**

एनएसएस ने परिसर को समुदाय के साथ जोड़ने के प्रयास किए हैं। अत: शेष 80 घंटे समुदाय कार्य को समर्पित किए जाएंगे। एनएसएस स्वयंसेवक से समुदाय कार्य के लिए कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तैयार परियोजनाओं में भाग लेने की आशा है। ऐसी परियोजनाओं का लक्ष्य एनएसएस स्वयंसेवकों का जीवन की वास्तविकताओं और सामुदाय की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से सामना करवाना है। एनएसएस स्वयंसेवक से आशा है कि वे अपनी समस्याओं को साझा करके समुदाय के साथ घनिष्ठता बनाए और उन्हें अपनी कठिनाईयों से निपटने में सहायता करे। समुदाय की वास्तविकताओं की प्रत्यक्ष जानकारी से स्वयंसेवक के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता मिलती है।

2. **डायरी का रखरखाव**

प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दी गई अपनी कार्य-डायरी में अपने परियोजना कार्य दर्ज करेगा। कार्य-डायरी का प्रपत्र अनुबंध - **VIII** में दिया गया है।

3. **प्रमाण-पत्र**

ऐसे एनएसएस स्वयंसेवकों, जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि में नियमित कार्यकलापों के 240 घंटे पूरे किए हैं और एक वार्षिक विशेष शिविर में भाग लिया है, को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा एनएसएस प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

यदि स्वयंसेवक उपरोक्त शर्त पूरी नहीं करता है और उसे विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है, तो कॉलेज प्राधिकारी एनएसएस स्वयंसेवक को प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं। एनएसएस स्वयंसेवक को जारी किया जाने वाला मॉडल प्रमाण पत्र अनुबंध - **IX** में दिया गया है।

4. **प्रोत्साहन**

(क) एनएसएस स्वयंसेवकों को उचित अधिमान मिलना चाहिए, यदि वह एनएसएस में 2 वर्ष पूरे कर लेता है और उसे विश्वविद्यालय के कुलपति / +2 परिषद के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र मिलता है। विश्वविद्यालय ऐसे स्वयंसेवकों को प्रवेश, पदोन्नति और

उनके द्वारा यथा निर्धारित अन्य विशेषाधिकारों के मामले में एनएसएस स्वयंसेवक को वरीयता दे सकता है।

(ख) एनएसएस स्वयंसेवकों को एनएसएस में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसे प्रोत्साहनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर सकते हैं।

(ग) राज्य उत्कृष्ट एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय पुरस्कार भी शुरू कर सकते हैं।

अध्याय 4: एनएसएस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन और प्रशासनिक समर्थन राज्य, विश्वविद्यालय और +2 काउंसिल स्तर पर

मूल स्तरों पर एनएसएस यूनिटों और एनएसएस स्वयंसेवकों का सफल कार्यकरण राज्य, विश्वविद्यालय और +2 परिषद स्तरों पर शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। ऐसी प्रशासनिक कार्रवाइयों में थोडे विलम्ब से विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम के सुचारू कार्यकरण में बाधा आ सकती है। समय पर प्रशासनिक कार्रवाई से सभी स्तरों पर एनएसएस कार्यक्रम सुदृढ़ होगा और इस कार्यक्रम की साख बढेगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य, विश्वविद्यालय और +2 परिषद स्तरों पर प्रशासनिक कार्रवाइयां उचित समय पर शुरू की जाएं। सफल एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एनएसएस स्वयंसेवकों का आवंटन, समय सीमा के भीतर पंजीकरण को पूरा करना और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों / स्कूलों को निधियां जारी करना हैं।

1. एनएसएस स्वयंसेवकों का आवंटन

1.1 केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष सितंबर / अक्तूमबर माह में विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएस विद्यार्थियों की संख्या का आवंटन करेगी ताकि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आगामी वित्त वर्ष में एनएसएस कार्यक्रम पर व्यय के अपने हिस्से की पूर्ति हेतु अपने बजट में आवश्यक प्रावधान करने की स्थिति में हों।

1.2 भारत सरकार से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एनएसएस विद्यार्थियों की संख्या का आवंटन प्राप्त होने के ठीक बाद उन्हें आगामी वित्त वर्ष में एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपने बजट में बराबरी की पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान करना चाहिए और इस प्रकार प्रावधान की गई निधियों की राशि की सूचना विभाग को देनी चाहिए।

1.3 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित विभाग के सचिव को, एनएसएस विद्यार्थी संख्या के आवंटन के ठीक बाद विश्वविद्यालय / +2 स्तर पर एनएसएस के कार्यक्रम समन्यवकों और क्षेत्रीय केन्द्रों के एनएसएस अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए और विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के वितरण पर निर्णय लेना चाहिए। यह बैठक प्रत्येक वर्ष मार्च में बुलाई जानी चाहिए क्योंकि भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की संख्या के आवंटन की सूचना बहुत पहले मिल जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालय / + 2 परिषदों को विद्यार्थियों की संख्या को बढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनमें एनएसएस के तहत अपेक्षाकृत कम विद्यार्थी संख्या है। पिछले वर्ष में प्राप्त पंजीकरण की तुलना में इस संख्या को प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढाने के प्रयास किए जाएं।

1.4 इसके बाद प्रत्येक कार्यक्रम समन्यक कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक बुलाएगा और विभिन्न कॉलेजों में आवंटन का निर्णय करेगा। इस बैठक में ही कॉलेजों में नए यूनिट खोलने के निर्णय लिए जाने चाहिए जिनमें अभी तक एनएसएस शुरू नहीं हुआ है और साथ ही उन कॉलेजों में भी जहां पहले से एनएसएस है।

2. एनएसएस स्वयंसेवकों का वास्तविक पंजीकरण

2.1 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को कॉलेज / +2 स्कूलों में नए विद्यार्थियों में एनएसएस कार्यक्रम और इसके कार्यकलापों का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सूचना पटों पर एनएसएस कार्यक्रम, और उपलब्धियों के संबंध में आलेख प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यह भी सुझाव है कि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी नए विद्यार्थियों की बैठक आयोजित करे और उन्हें एनएसएस कार्यक्रम और इसके कार्यकलापों तथा उपलब्धियों के बारे में बताए। इन सत्रों में एनएसएस समूह के नेता भी भाग ले सकते हैं। उन्हें नए विद्यार्थियों को अपने अनुभव बताने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे एनएसएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

2.2 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एनएसएस के तहत विद्यार्थियों का पंजीकरण संस्थान के खुलने के एक माह के भीतर या प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त, जो भी पहले हो, तक पूरा हो गया है।

2.3 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक वर्ष अनिवार्यत: 30 सितंबर से पहले विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक को वास्तव में पंजीकृत एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या की सूचना देगा। पंजीकृत एनएसएस स्वयंसेवकों तथा उनकी कक्षा, रोल नंबर, आवास पते की सूची कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और राज्य संपर्क अधिकारीका को उनके रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

2.4 विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसे संस्थानों, जिनमें किसी न किसी कारण शैक्षिक सत्र समय पर शुरू नहीं होता है, के मामले में पंजीकरण अनिवार्यत: 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर से पहले कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

2.5 राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रीय के परामर्श से प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम समन्यवकों, समन्वयकों (प्रशिक्षण) टीओआरसी/टीओसी तथा एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख की बैठक बुलाएगा। इस बैठक का उद्देश्य कार्यक्रम समन्वयकों से वास्तविक पंजीकरण के आकडें एकत्र करना और एनएसएस स्वयंसेवकों के वास्तविक पंजीकरण संबंधी अन्य ब्यौरों पर विचार-विमर्श करना होगा। इस बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं, और विशेष कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है ताकि एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी को उन महत्वपूर्ण एनएसएस कार्यकलापों की पूरी जानकारी मिल सके, जिन्हें शैक्षिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा शुरू किया जाना है।

2.6 राज्य संपर्क अधिकारी और क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंत तक भारत सरकार को पंजीकरण के वास्तविक आंकड़ों की सूचना दी जाएगी।

2.7 कार्यक्रम समन्वयक, अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले कॉलेजों के वास्तविक पंजीकरण के संबंध में राज्य संपर्क अधिकारी और एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रों को सूचना सम्प्रेषित करेगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, कृपया विश्वविद्यालय / +2 परिषद की छमाही रिपोर्ट का प्रपत्र देंखे जो अनुबंध -**X** में दिया गया है।

3. अनुदान जारी करना

एनएसएस कार्यक्रम तभी सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकता है जब विभिन्न स्तरों पर निधियां समय प्राप्त हो ताकि एनएसएस यूनिटों द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रमों को समय पर शुरू किया जा सकें। कई बार, कार्यक्रम अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान (केंद्रीय के हिस्से सहित) जारी न किए जाने के कारण कठिनाई होती है जिससे विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों को निधियां जारी करने में विलम्ब होता है। निधियां समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित प्रबंध किए जाने चाहिए: -

3.1 विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी करना

(क) विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए अनुदान के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त उस वित्त वर्ष से पहले जनवरी में जारी की जाएगी जिसमें शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकारें

वित्त वर्ष से पहले 15 मार्च तक विश्वविद्यालयों को (अपने बराबर के हिस्से के साथ) अनुदान जारी करेंगी। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेजों को निधियां उस वित्त वर्ष के 15 अप्रैल तक जारी की जाएंगी जिसमें शिविर आयोजित किए जाने हैं।

(ख) चूंकि विशेष शिविर अनुदानों में से कोई कटौती नहीं की जानी है, अत: राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय 15 अप्रैल तक या इससे भी पहले कॉलेजों को विशेष शिविर अनुदान जारी करेंगे।

(ग) एनएसएस का कार्यक्रम समन्वयक, राज्य सरकार, संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और युवा विभाग को इस आशय का प्रमाण पत्र भेजगा कि संस्थानों को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से निर्धारित समय के भीतर सभी अनुदान (केन्द्र और राज्य, दोनों का हिस्सा) जारी कर दिए गए हैं।

(घ) अनुदान की दूसरी किस्त राज्य सरकार से ऐसा समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर और साथ ही गत दो वर्ष तक स्वीकृत अनुदानों के लेखे प्राप्त होने पर ही जारी की जाएगी।

(ड.) विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए जारी अनुदान का अलग से लेखा रखा जाएगा।

3.2 **नियमित कार्यकलापों के लिए अनुदान जारी करना**

(क) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नियमित एनएसएस कार्यक्रम के लिए पहली किश्त उस वित्त वर्ष से पहले जनवरी या फरवरी में जारी करेगी, जिसमें कार्यकलाप किए जाने हैं। किसी भी स्थिति में प्रथम किश्त संबंधित वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जारी की जाएगी।

(ख) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा विश्वविद्यालयों / कॉलेजों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया अनिवार्यत: 30 मई तक पूरी की गई है। चूंकि राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित राज्य संपर्क सेल स्थापित किए गए है, राज्य, विश्वविद्यालयों / + 2 परिषदों को प्रशासनिक व्यय के कारण कोई कटौती के बिना विश्वविद्यालय / +2 परिषदों को अनुदान जारी करेंगे। राज्यों, जहां राज्य संपर्क सेल स्थापित नहीं किए गए है, के मामले में अनुमोदित दर पर प्रशासिक व्यय में कटौती की जा सकती है।

(ग) विश्वविद्यालय / + 2 परिषद संबंधित संस्थानों को प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु प्रति स्वयंसेवक 30/-रू. की कटौती करने के बाद संबंधित संस्थानों को निश्चित रूप से 30 जून तक अनुदान जारी करेगी, ताकि एनएसएस यूनिटें कॉलेजों के दोबारा खुलने के ठीक बाद नियमित कार्यकलापों के लिए निधियों का उपयोग कर सकें।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा नियमित कार्यकलापों की दूसरी किस्त निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होने पर जारी की जाएगी: -

(i) इस आशय का प्रमाण पत्र कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों / + 2 परिषदों को और विश्वविद्यालयों / + 2 परिषदों द्वारा कॉलेजों / स्कूलों को सभी अनुदान (केंद्रीय और राज्य, दोनों का हिस्सा) जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई राशि वितरित नहीं की गई है, तो इसे जारी न करने के कारणों सहित प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाएगा।

(ii) उस वर्ष, जिसमें दूसरी किश्त जारी की जानी है, से दो वर्ष पहले तक स्वीकृत अनुदानों के संबंध में लेखे। चूंकि दूसरी किश्त वास्तविक पंजीकरण के आधार पर जारी की जाएगी, अत: एक विवरण भी आवश्यक होगा, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों / कॉलेजों द्वारा राज्य में 30 सितंबर तक किए गए वास्तविक आवंटन का उल्लेख हो। इस विवरण में उन विश्वविद्यालयों के नामों का उल्लेख होगा जिन्होंने राज्य सरकार को यह सूचना प्रस्तुत नहीं की है, ताकि समानुपातिक कटौती की जा सकें और कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपचरात्मक सुधार किए जा सकें।

(iii) विश्वविद्यालय / + 2 परिषदें चूककर्ता कॉलेजों / स्कूलों को छोडकर राज्य सरकार को लेखे भेज सकती हैं, ताकि केवल एक या दो चूककर्ता कॉलेजों / स्कूलों के कारण सक्रिय कॉलेज / स्कूल में एनएसएस कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। ऐसे लेखे प्राप्त होने पर राज्य सरकारें इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करते हुए चूककर्ता कॉलेजों /स्कूलों के संबंध में लेखाओं को छोडकर आगे केंद्र सरकार को ऐसे लेखे भेज सकती है। इन लेखाओं के प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार चूककर्ता कॉलेजों / स्कूलों को स्वीकार्य अनुदान की समानुपातिक कटौती करने के बाद राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लेखाओं के आधार पर उसे अनुदान जारी करेगी। ऐसे चूककर्ता कॉलेजों / स्कूलों को और आगे अनुदान तभी मिलेगा जब वे लेखे प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय 5: पर्यवेक्षण और निगरानी

प्रमुख नीतियों की परिकल्पना की जाती है और योजना बनाई जाती है और फिर वे अनेक चैनलों से गुजरती हैं। अत: इस बात की संभावना होती है कि इन चैनलों के माध्यम से प्रशासनिक, नीतिगत निर्णयों और कार्यक्रम मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रभाव कमजोर हो जाए। इस बात कि भी आशंका होती है कि स्थानीय प्रभावों और दबावों के कारण एनएसएस कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्वरूप बदल जाए। अत: यह

सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल विशेषताओं को यथा परिकल्पित यथावत सुरक्षित रखने के लिए इसका उचित रूप से पर्यवेक्षण हो और प्रभावी तरीके से निगरानी हो।

1. पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण की पारंपरिक अवधारणा में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इससे पहले, पर्यवेक्षकों के दौरों को केवल दोष ढूंढने का अवसर माना जाता था। इस समय, पर्यवेक्षण अधिकारियों से एनएसएस कार्यकलापों को आगे बढाने के लिए समग्र रूप में स्थिति का जायजा लेने, कार्यक्रम अधिकारियों को सलाह और मार्गदर्शन देने की आशा की जाती है।

1.1 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्रों के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, विश्वविद्यालय और +2 स्तर में एनएसएस कार्यक्रम समन्वयकों को नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रम, दोनों के रूप में जितने ज्यादा हो सके कार्यक्रमों का दौरा करना चाहिए। एनएसएस के तहत कॉलेजों और स्कूलों के पिंसिपलों को भी उनके स्तर पर विश्वविद्यालयों / + 2 परिषदों द्वारा की जाने वाली विशेष परियोजनाओं का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

1.2 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारी प्रत्येक तिमाही में 20 से 25 दिनों तक दौरे पर रहेंगे। वे जितना ज्यादा हो सके एनएसएस यूनिटों और गोद लिए गांवों का दौरा करेंगे ताकि विभाग को कार्यों की वास्तविक स्थिति की फीडबैक दी जा सके। ऐसे दौरों के अवसर का उपयोग कार्यक्रम अधिकारियों और प्रिंसिपलों के साथ यूनिट स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम पर कार्यान्वयन, विशेष परियोजनाओं के समापन पर विचार-विमर्श करने के लिए किया जाना चाहिए। विशेष शिविर कार्यक्रम के दौरान उन्हें अधिकतम संख्या में शिविरों का दौरा भी करना चाहिए।

1.3 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख को भी युवा अधिकारियों, युवा सहायक ग्रेड - **I** और ग्रेड - **II** की सेवाओं का उपयोग एनएसएस स्वयंसेवकों की विशेष शिविर कार्यक्रम मे सहभागिता और इससे जुडी सूचना के संबंध में डाटा एकत्र करने के लिए करना चाहिए।

1.4 राज्य संपर्क अधिकारी एनएसएस यूनिटों, विशेष परियोजनाओं और विशेष शिविर कार्यक्रम के फील्ड दौरे भी करेगा। फील्ड दौरों के कारण मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति एक तिमाही में 15 दिन से अधिक नहीं होगी।

1.5 एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे एक शैक्षिक वर्ष के दौरान कम से कम एक संस्थान का दौरा करते हैं। इसी प्रकार, वे अपने विश्वविद्यालय / + परिषद में एनएसएस यूनिटों द्वारा आयोजित अधिक से अधिक संख्या में विशेष शिविरों का दौरा करने के आवश्यक प्रबंध करेंगे।

1.6 विशेष शिविर सत्र के दौरान टीओआरसी / टीओसी के समन्वयक भी शिविरों का दौरा करेंगे। वह अपनी रिपोर्ट एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक को अग्रेषित करेंगे, जिसकी सूचना कार्यक्रम सलाहकार को भी दी जाएगी। इसी प्रकार, कॉलेजों और विशेष परियोजनाओं के दौरे की रिपोर्ट भी उपरोक्त अधिकारियों को अग्रेषित की जाएगी।

1.7 सिद्धांत के रूप में, एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस यूनिटों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इसी प्रकार उसे परियोजनाओं को चिंहित करना है और ऐसी परियोजनाओं में एनएसएस यूनिटों को तैनात करना है जिसकी सूचना एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र और राज्य संपर्क अधिकारी को दी जाएगी। पर्यवेक्षण अधिकारी उन्हें लक्ष्यों की प्रगति और उपलब्धियां तथा शुरू की गई विशेष परियोजनाओं के पूरे होने के बारे में सूचित करता रहेगा।

1.8 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को विशेष परियोजना की प्रगति से अवगत करवाता रहेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार को राज्य सरकार के भीतर एनएसएस कार्यक्रम के विकास और संबद्ध की निरंतर सूचना दी जाती है।

1.9 सभी पर्यवेक्षण अधिकारी एनएसएस यूनिट कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रम के सुधार और विकास के लिए किए गए उपायों के संबंध में कार्यक्रम सलाहकार के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को सूचित करने की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वे अपने सुझाव आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यक्रम सलाहकार को अग्रेषित भी कर सकते हैं।

1.10 राज्य संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक अपने नियंत्रक अधिकारियों के साथ ऐसे सुझावों पर विचार-विमर्श करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय नियंता निकायों को ऐसे सुझावों के बारे में सूचना दी जाती रहती है।

1.11 असमंजस से बचने के लिए, राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख और कार्यक्रम समन्वयक को अपने पर्यवेक्षी दौरों की समुचित योजना बनानी चाहिए। क्षेत्रीय केंद्र और राज्य संपर्क अधिकारी की रिपोर्टों पर कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. निगरानी

एनएसएस की समुचित संवृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करना बहुत अनिवार्य है। समुचित निगरानी से यह सुनिश्चित होता है कि सभी स्तरों पर गलत निर्णयों या लापवाही से हुई किसी भी क्षति को ठीक करने के लिए समुचित समय पर और समुचित स्तर पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। निगरानी से लक्ष्यों की प्राप्ति पर निगरानी रखने और फील्ड में वास्तविक अनुभव के आलोक में योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करने में सहायता भी मिलती है।

2.1 एनएसएस कार्यक्रम की क्षेत्र के दौरों और मुख्य पदधारियों से मुलाकतों और आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सतत रूप से निगरानी की जा सकती है।

2.2 फील्ड दौरों पर संस्थानों के प्रमुख के साथ विस्तृत विचार- विमर्श किया जाना होगा। एनएसएस के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रत्येक दौरे को उपयोगी बनाया जाए, तो यह एनएसएस कार्यक्रम के हित में होगा।

2.3 प्रमुख पदधारियों की बैठक समुचित निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत:, यह आवश्यक है कि एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस के कार्यान्वयन और पेश आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बार-बार बैठक करें।

2.4 राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, कार्यक्रम समन्वयकों और समन्वयक (प्रशिक्षण), टीओआरसी / टीओसी की त्रैमासिक बैठक बुलाएगा। विभिन्न स्तरों पर एनएसएस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए ऐसी बैठकें जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित की जानी चाहिए।

2.5 वर्ष की दूसरी और चौथी तिमाही में आयोजित एनएसएस मुख्य पदधारियों की तिमाही विभाग शिक्षा सचिव / राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होनी चाहिए। सचिव की अध्यक्षता में इन दो बैठकों का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारों में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं, को एनएसएस कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति की फीडबैक जानकारी दी जाए। अत: शिक्षा सचिव / एनएसएस से संबंधित विभाग के सचिव को जोडने से कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उचित स्तर पर समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू करने में भी सहायता मिलेगी। ऐसी बैठक का कार्यवृत्त कार्यक्रम सलाहकार को भी अग्रेषित किया जाना है।

2.6 कार्यक्रम समन्वयक योजना से संबंधित भाग में दिए गए सुझाव के अनुसार, वर्ष के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों की एक या दो बैठकों की व्यवस्था भी करेगा। ऐसी बैठकों से कार्यक्रम की कमियां कार्यक्रम समन्वयक की जानकारी में आएंगी और उसे आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने में सहायता मिलेगा।

2.7 एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख आपात स्थिति में कार्यक्रम समन्वयकों और राज्य संपर्क अधिकारी की बैठक भी बुलाएगा। सामान्यत: यह बैठक एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख के परामर्श से राज्य संपर्क अधिकारी द्वारा बुलाई जानी चाहिए।

2.8 राज्य संपर्क अधिकारी के परामर्श से एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख ऐसी किसी विशिष्ट परियोजना, जिसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रयोजित किया गया हो, के लिए कार्यक्रम समन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक बुला सकता है।

2.9 यह परिकल्पना की गई है कि श्रृंखलाबद्ध ऐसी बैठकों से एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और एनएसएस कार्यक्रम समन्वयकों / कार्यक्रम अधिकारियों, जो एनएसएस कार्यक्रम के मुख्य पदधारी हैं, के बीच सौहार्दपूर्ण धनिष्ठता स्थापित होगी।

3. रिपोर्ट करना

रिपोर्ट करने की प्रणाली का उद्देश्य प्रशासन के प्रमुख को फील्ड के बारे में नियमित रूप से आवश्यक फ़ीडबैक देना है। ऐसी फील्डबैक से प्रशासन के प्रमुख को योजनाओं के निष्पादन पर निगरानी रखने और उन्हें आबंटित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने हेतु आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

3.1 कॉलेज / स्कूल स्तर पर रिपोर्ट

क) कॉलेज / स्कूल, संबंधित विश्वविद्यालय / + 2 परिषदों के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयकों को कार्यकलापों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ये रिपोर्ट एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को 15 अक्तूबर, 15 जनवरी, 15 अप्रैल और 15 जुलाई तक मिल जानी चाहिए।

ख) कॉलेज / स्कूल विशेष शिविर कार्यक्रमों की तिथियों, स्थल और उसमें भाग लेने वाले एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या के बारे में एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करेंगे। एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और समन्वयक (प्रशिक्षण), टीओआरसी / टीओसी को यह सूचना शिविर प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिन पहले मिल जानी चाहिए। शिविर के दूसरे दिन, कार्यक्रम अधिकारी कार्यक्रम समन्वयक को शिविर सहभागियों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचित करेगा।

ग) शिविर समाप्त होने के बाद एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी शिविर में सहभागिता, परियोजनाओं के समापन और कार्यक्रम समन्वयक द्वारा यथा निर्धारित वित्तीय व्यय के संबंध में एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

घ) यदि एनएसएस यूनिट द्वारा कोई भी विशेष परियोजना शुरू की जाती है, तो एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय केंद्र, राज्य संपर्क अधिकारी और टीओआरसी / टीओसी को उनकी सूचना हेतु परियोजना की पूरी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

ड.) एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस यूनिटों को एक प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे जिसमें उन्हें एनएसएस यूनिटों द्वारा विशेष शिविरों के संबंध में नियमित कार्यकलापों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

3.2 टीओआरसी / टीओसी स्तर पर रिपोर्ट

समन्वयक (प्रशिक्षण), टीओआरसी / टीओसी, क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख को तिमाही के दौरान किए गए अपने टीओआरसी / टीओसी कार्यकलापों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना राज्य संपर्क अधिकारी को भी दी जाएगी। ये तिमाही रिपोर्टें 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्तूबर और 15 जनवरी तक एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को मिल जानी चाहिए।

3.3 विश्वविद्यालय / + 2 परिषद स्तर पर रिपोर्ट

क) एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक छः माह के बाद वर्ष में दो रिपोर्ट भेजेगा। 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त अवधि की छमाही रिपोर्ट उक्त अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर भेजी जानी है। उदाहरण के लिए, 30 सितंबर को समाप्त अवधि की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक और 31 मार्च को समाप्त अवधि की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मिल जानी चाहिए।

ख) एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक सभी कॉलेज / स्कूलों को अग्रिम रूप से उक्त प्रपत्र उपलब्ध कराएगा ताकि कॉलेज / स्कूल, कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक सूचना भेजने की स्थिति में हों जिससे कार्यक्रम समन्वयक विभाग को 31 अक्तूबर और 30 अप्रैल तक भेजे जाने हेतु छमाही रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई कर सकेगा।

ग) छमाही रिपोर्ट का प्रपत्र अनुबंध - **X** में दिया गया है। अत: रिपोर्ट केवल इसी प्रपत्र में भेजी जानी चाहिए और किसी अन्य प्रपत्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

घ) छमाही रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त सूचना को दर्ज करने के लिए इसे कम्प्यूटर में रखा जाएगा और विभाग प्रत्येक वर्ष एनएसएस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। अत: यह आवश्यक है कि प्रपत्र में दी गई सूचना सभी दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए।

ड.) छमाही रिपोर्ट निम्नलिखित अधिकारियों को भेजी जाएगी: (**i)** कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली; **(ii)** संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख; **(iii)** राज्य / संघ राज्य स्तर पर राज्य संपर्क अधिकारी और (**iv)** संबंधित समन्वयक (प्रशिक्षण) टीओआरसी / टीओसी।

भाग - VII

प्रशिक्षण, अनुकूलन, अनुसंधान और मूल्यांकन

अध्याय 1: प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र

प्रशिक्षित मुख्य व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: यह स्वीकार किया गया है कि सुप्रशिक्षित राज्य संपर्क अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं।

प्रशिक्षण / अनुकूलन देने और एनएसएस के चिंतन के बारे में सही सोच, दृष्टिकोण तथा समझ विकसित करने के उद्देश्य से 14 संस्थानों को प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र नामित किया गया है जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना के चिंतन के बारे में सही सोच और दृष्टिकोण, नेतृत्व, प्रतिबद्धता, और समझ पैदा हो सकेगी। इनके अलावा, चार प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों की सूची इस भाग के अंत में दी गई है।

1. टीओसी के कार्य

प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेंगे:

क) कार्यक्रम अधिकारियों के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम और अन्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना;

ख) विशेष शिविर कार्यक्रम की योजना बनाने और उनके संचालन में विश्वविद्यालयों और +2 परिषदों को सहायता देना;

ग) कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात योजना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों / स्कूलों के लिए परामर्श सेवाएं विकसित करना और उन्हें प्रदान करना। ऐसी परामर्श सेवाएं समूह चर्चाओं, सेमीनारों, विषयगत पेपरों की तैयारी और आपूर्ति, विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के दौरे के दौरान विचार- विमर्शों, विशिष्ट बिंदुओं पर पत्रचार के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं;

घ) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रयोग हेतु और आगे अनुभव विकसित करने उद्देश्य से इंटर-कॉलिजिएट आधार पर एनएसएस के तहत प्रदर्शन परियोजनाएं विकसित करना;

ड.) एनएसएस के संबंध में सूचना आदान-प्रदान केन्द्र के रूप में कार्य करना;

च) शिविरों आदि में व्यक्तिगत दौरों के माध्यम विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मौके पर मार्गदर्शन देना।

2. प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्रों की संरचना

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्रों की स्थापना के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देता है इस केन्द्र में निम्नलिखित स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा:

क) विश्वविद्यालय के रीडर के वेतनमान में समन्वयक (प्रशिक्षण) एक पद

ख) कॉलेज / विश्वविद्यालय में व्याख्याता के वेतनमान में व्याख्याता एक पद

ग) पद के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित वेतनमान में आशुलिपिक एक पद

3. समन्वयक (प्रशिक्षण) और व्याख्याता का चयन

समन्वयक (प्रशिक्षण) और व्याख्याता का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो इस प्रकार है:-

क) समन्वयक (प्रशिक्षण) / व्याख्याता के पदों हेतु आवेदन स्थानीय / समाचार पत्रों / समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आमंत्रित किया जाएंगे;

ख) समन्वयक (प्रशिक्षण) / व्याख्याता के पद हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। कम से कम तीन व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा;

ग) चयन समिति योग्यता के अनुसार चुने गए अभ्यर्थियों के नाम आगे भेजेंगी।

4. चयन समिति की संरचना

चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क) कुलपति / संस्थान का प्रमुख अध्यक्ष

ख) सचिव, शिक्षा/ युवा सेवा विभाग, राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र या उसका नामांकित जो संयुक्त सचिव / निदेशक / एसएलओ के स्तर से नीचे का न हो सदस्य

ग) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार का नामिती सदस्य

घ) विश्वविद्यालय / संस्थान का कुलसचिव रजिस्ट्रार सदस्य

5. समन्वयक (प्रशिक्षण) के पद हेतु अर्हताएं

क) विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार रीडर की नियुक्ति हेतु यथा अपेक्षित मूल अर्हता;

ख) एनएसएस / युवा कार्यक्रम के संगठन में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का अनुभव;

ग) एनएसएस पदधारियों को प्रशिक्षण देने का मूल कौशल हो;

घ) युवा कार्य में प्रशिक्षक, और इस क्षेत्र में संगत प्रकाशन और / या अनुसंधान कार्य के रूप में अनुभव को अतिरिक्त अर्हता माना जाएगा;

ड.) आयु सीमा: इस प्रकार चयनित व्यक्ति चयन के समय 50 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

च) तथापि, चयन समिति, अपने विवेक पर, युवा कार्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अन्यथा अत्यन्त अर्हता प्राप्त और व्यापक अनुभव प्राप्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के मामले में उपरोक्त बिंदु संख्या (क) और (ड.) में दिए अनुसार शर्तों में ढील दे सकती है।

6. व्याख्याता के पद हेतु अर्हताएं

क) यह पद ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा जिनके पास वही अपेक्षित अर्हताएं हों जो विश्वविद्यालय/संबद्ध कॉलेज/संस्थान में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए हैं;

ख) व्यक्ति के पास एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रम आयोजित करने में कम से सम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

ग) युवा कार्य, समुदाय कार्य, प्रकाशन, अनुसंधान और प्रशिक्षण में अन्य किसी भी अतिरिक्त अर्हता और अनुभव को वांछित अर्हता माना जाएगा;

घ) इस प्रकार चयनित व्यक्ति चयन के समय 40 वर्ष से अधिक आयु का न हो;

ड.) तथापि, चयन समिति, अपने विवेक पर, युवा कार्य / समुदाय कार्यों, प्रशिक्षण में अन्यथा अत्यन्त अर्हता प्राप्त और व्यापक अनुभव प्राप्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के मामले में उपरोक्त बिंदु संख्या (क) और (घ) में दिए अनुसार शर्तों में ढील दे सकती है।

7. नियुक्ति का कार्यकाल और शर्तें

समन्वयक (प्रशिक्षण) के पद हेतु चुने गए व्यक्ति को प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि को और आगे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते की कार्य और ड्यूटियों का निर्वहन संतोषजनक हो।

7.1 टीओसी को समन्वयकों को स्थायी आधार पर नियुक्त करने या जा रहने देने की अनुमति नहीं है।

8. समन्वयक (प्रशिक्षण) के कार्य

(क) वह इस अध्याय के पैरा संख्या 1 द्वारा टीओसी के कार्यों में यथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाएगा और कार्रवाई करेगा;

(ख) वह वर्ष के दौरान कार्यक्रम अधिकारी के लिए आयोजित किए जाने हेतु अनुकूलन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए योजनाएं तैयार करेगा। वह वित्तीय सहायता के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा;

(ग) वह अनुकूलन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के दौरान प्रदर्शन हेतु एनएसएस कार्यकलापों को दर्शाते हुए एक मॉडल विकसित करेगा;

(घ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग को वित्तीय लेखे समय पर प्रस्तुत किए गए हैं;

(ङ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्राधिकारियों को आवधिक रिपोर्टें, और विवरणिकाएं समय पर प्रस्तुत की गई हैं;

(च) वह एनएसएस मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र को फील्ड में कार्यक्रम की स्थिति पर आवश्यक फीडबैक देगा;

(छ) वह मूल्यांकन के लिए विशेष शिविरों के दौरे करेगा। इसी प्रकार, वह कॉलेजों द्वारा की जा रही विशेष परियोजनाओं के दौरे करेगा;

(ज) वह टीओसी प्रशिक्षण सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा और जब भी अपेक्षित होगा इसकी बैठकें बुलाएगा। टीओसी सलाहकार समिति की अनिवार्यतः वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए;

(झ) वह सलाहकार समिति से प्रशिक्षण की वार्षिक योजनाएं और बजट अनुमोदित करवाएगा;

(ञ) वह राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के साथ निरंतर संपर्क बनाएगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम समुचित रूप से समय पर आयोजित किए जाते हैं;

(ट) वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य संपर्क अधिकारी के साथ संपर्क बनाएगा।

9. व्याख्याता के कार्य

क) वह टीओसी के कार्यों के निर्वहन में समन्वयक (प्रशिक्षण) की सहायता करेगा;

ख) वह अनुकूलन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन में समन्वयक (प्रशिक्षण) की सहायता करेगा;

ग) वह समन्वयक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण में एनएसएस के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों और मुख्य पदधारियों के लाभार्थ प्रदर्शनात्मक परियोजना विकसित करने में समन्वयक (प्रशिक्षण) की सहायता करेगा;

घ) वह समन्वयक (प्रशिक्षण) के परामर्श से विद्यार्थियों, समुदाय और संस्थानों पर एनएसएस के प्रभाव के संबंध में विषयगत अध्ययन कर सकता है;

ङ) टीओसी के कार्यों के निर्वहन में समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा आबंटित एनएसएस और टीओसी से संबंधित अन्य कोई भी ड्यूटी।

10. टीओसी को वित्तीय सहायता की पद्धति

प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्रों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार स्वीकार्य होगीः

क)	समन्वयक (प्रशिक्षण), व्याख्याता और स्टेनो टाइपिस्ट का वेतन	इन पदों हेतु निर्धारित वेतनमानों पर यथा स्वीकार्य आधार पर
ख)	आकस्मिक व्यय (प्रतिवर्ष)	18000/- रु.

11. टीओसी सलाहकार समिति

सलाहकार समिति सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम, और टीओसी द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यकलाप करने के लिए समन्वयक (प्रशिक्षण) को सलाह देगी। सलाहकार समिति टीओसी के कार्यों से संबंधित इस अध्याय के पैरा संख्या 1 के आलोक में टीओसी के कार्यकलापों की समीक्षा भी करेगी। सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

क)	विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति/संस्थान का प्रमुख जिसके तहत टीओसी कार्य कर रहा है।	अध्यक्ष
ख)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
ग)	संबंधित राज्य का राज्य संपर्क अधिकारी एनएसएस जिसके तहत टीओसी आता है	सदस्य
घ)	एनएसएस स्वयंसेवकों की अधिक संख्या वाले 3 कार्यक्रम समन्वयक	सदस्य
ङ)	संबंधित टीओसी का समन्वयक (प्रशिक्षण)	सदस्य-सचिव

11.1 सीमाएं

सलाहकार समिति युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों में आशोधन करने का या उनके विरूद्ध कोई निर्णय नहीं लेगी। सलाहकार समिति स्वयं को केवल टीओसी के कार्यकलापों तक सीमित रखेगी।

12. रिपोर्ट करना

समन्वयक (प्रशिक्षण) संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख को प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से मार्च और सितंबर को समाप्त अवधि के कार्यकलापों की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना इस विभाग को दी जाएगी। इस रिपोर्ट की प्रतियां कार्यक्रम सलाहकार के सेल, एनएसएस, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जाएंगी (कृपया प्रपत्र अनुबंध- XI में देखें)।

अध्याय 2: कार्यक्रम के अधिकारियों और प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण

समुदाय के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम लाभार्थी आर्थिक स्तर, आयु समूह, रहन-सहन के हालातों और शिक्षा के स्तर की दृष्टि से कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस स्वयंसेवकों और दूरदराज के गांव या मलिन बस्ती में रहने वाले साधारण ग्रामीणों के मामले में एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं। अत: कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले अन्य मुख्य व्यक्तियों का समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य है ताकि समाज के विभिन्न वर्ग कार्यक्रम के आयोजकों को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दे सकें। इसके अलावा, एनएसएस कार्यक्रम में विभिन्न ऐसी परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है जिनके लिए उनके कार्यान्वयन हेतु तकनीकी ज्ञान जरूरी है। अत: इसके मुख्य कार्मिकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

1. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों का अनुकूलन

यह अनिवार्य है कि प्रत्येक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अपने पद पर नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर प्रशिक्षण ले। वह निर्धारित अवधि के भीतर अनुकूलन / प्रशिक्षण किए बिना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी नहीं रखेगा। अत: जब उसे बुलाया जाए, तो उसे अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र को रिपोर्ट करनी होगी।

2. पाठ्यक्रम की अवधि

प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र दो प्रकार के पाठ्यक्रम अर्थात अनुकूलन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करता है।

क) अनुकूलन पाठ्यक्रम की अवधि 10 दिन होगी। 10 दिन ग्रामीण क्षेत्रों / मलिन बस्तियों / सामाजिक कार्य आदि में कार्यरत संस्थानों में कार्य करने के लिए रखे जाएंगे।

ख) तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 5 दिनों की अवधि के होंगे। ये पाठ्यक्रम इस तरह आयोजित किए जाएंगे कि प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी दो वर्ष में एक बार कम से कम एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले।

3. उद्देश्य

इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उद्देश्य एनएसएस कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आवश्यक ज्ञान देना, कौशल और प्रवृति विकसित करना है। इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों इस प्रकार हैं: -

क) शिक्षकों की प्रवृति और मूल्यों में सुधार लाना और उन्हें एनएसएस में नई भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना;

ख) उन्हें कॉलेज और समुदाय के बीच एक विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका निभाने और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना;

ग) उन्हें सेवा के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान से सज्जित करना;

घ) उन्हें व्यक्तियों, समूहों और समुदाय के साथ काम करने के कौशल प्रदान करना; तथा

ड.) उन्हें एनएसएस के लिए योजना, संगठन, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, प्रशासन, संचार और संसाधन संवर्धन में मूल कौशल सिखाना।

4. **विधियां**

स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए:-

क) प्रदर्शन और ऑडियो-विजुअल विधियां;

ख) फील्ड दौरे;

ग) किसी निकटवर्ती गांव में पर्यवेक्षित फील्ड कार्य का आबंटन;

घ) विषयगत विधियां;

ड.) व्याख्यान-सह-विचार-विमर्श;

च) समूह / पैनल चर्चा;

छ) कार्यशाला;

ज) व्याख्यानों के सार, ग्रंथसूची, प्रकाशनों आदि के रूप में सैद्धांतिक जानकारी, प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र द्वारा तैयार की जाएगी और इसे अग्रिम रूप से प्रशिक्षुओं को मेल किया जाएगा ताकि वे अनुकूलन पाठ्यक्रम में तैयार हो कर आएं जिसे समय बचता है।

5. **प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यविवरण**

क) **एनएसएस का इतिहास और चिंतन**

विषय-वस्तु : 1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एनएसएस;

2. एनएसएस प्रशासन के मूल घटक- केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज।

3. सामुदायिक शिक्षा में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भूमिका।

4. एनएसएस का पाठ्यचर्या में समेकन (दो सत्र)।

ख) **समाज और युवा**

विषय-वस्तु :

1. समसामयिक मुद्दे और सामाजिक समस्याएं, गरीबी, बीमार स्वास्थ्य, निरक्षरता, तेजी से बढती जनसंख्या, युवा रोजगार और रोजगार की कमी आदि।
2. सामाजिक विचलन, बाल अपराध और अपराध, भीख की प्रवृति, भ्रष्टाचार, मिलावट, धन जमा करना, लाभ की प्रवृति, दहेज की प्रथा आदि का स्वरूप।
3. शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों की समस्याएं।
4. सामाजिक / शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित जनजातियों की समस्याएं।
5. क्षेत्रीय या राष्ट्रीय महाविपत्तियों - अकाल, बाढ आदि से उत्पन्न समस्याएं।
6. ग्रामीण पुनर्निर्माण और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम।

(छह सत्र)

ग) **कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन**

विषय-वस्तु :

1. कार्यक्रम की योजना का महत्व;
2. कार्यक्रम योजना के सिद्धांत और विधियां;
3. एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए फील्ड स्थापना की खोज में शामिल कारक;
4. गांवों / शहरी मलिन बस्तियों को गोद लेने सहित समयबद्ध और लक्ष्य उन्मुख कार्यक्रमों का चयन।

(दो सत्र)

घ) **लोगों के साथ काम करने की विधियां और तकनीक**

विषय-वस्तु :

1. व्यक्तियों के साथ काम करना -समुदाय में एनएसएस स्वयंसेवकों और वयस्क नेताओं के साथ काम करने में अपेक्षित कौशल और तकनीक;

2. समूहों के साथ काम करना - समूह निर्माण, समूह विकास, समूह गतिशीलता, नेतृत्व विकास और एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ काम करना;

3. समुदायों के साथ काम करना - समुदायों और उनके संगठन का स्वरूप, मानव संबंधों और संचार में विधियां और तकनीक, अन्य एजेंसियों / सरकारी विभागों के साथ समन्वय।

(ड.) **एनएसएस का संगठन और प्रबंधन**

विषय-वस्तु

1. एनएसएस यूनिटों का संगठन और प्रशासन;
2. एनएसएस के तहत नियमित कार्यक्रम;
3. एनएसएस के तहत शिविर लगाना;
4. एनएसएस यूनिट का प्रबंधन - वित्तीय पद्धति लेखाकरण, रिकॉर्ड रखना, निधि जुटाना, रिपोर्ट करना, मूल्यांकन, कार्यक्रम का प्रचार, जनसंपर्क आदि
5. एनएसएस विद्यार्थी नेताओं के प्रशिक्षण की तकनीक।

(चार सत्र)

च) **पर्यवेक्षण**

विषय-वस्तु

1. एनएसएस में पर्यवेक्षण का स्वरूप और दायरा;
2. सहायक प्रक्रिया के रूप में पर्यवेक्षण;
3. पर्यवेक्षण की विधियां और साधन;
4. विद्यार्थी समूहों का पर्यवेक्षण।

(चार सत्र)

छ) **मूल्यांकन**

विषय-वस्तु

1. मूल्यांकन का महत्व और आवश्यकता;
2. मूल्यांकन की विधियां;
3. भावी कार्यक्रम की योजना के लिए मूल्यांकन का प्रयोग।

(एक सत्र)

ज) **सामाजिक सर्वेक्षण**

विषय-वस्तु :

1. एनएसएस में कार्रवाई उन्मुख सर्वेक्षणों की आवश्यकता;
2. जांच हेतु समुदाय की समस्या की पहचान और चयन;
3. सूचना संग्रहण करने की विधियां;
4. एकत्रित डाटा का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना;
5. समस्या समाधान की प्रक्रिया में सर्वेक्षण निष्कर्षों का प्रयोग।

झ) **सामाजिक कल्याण से संबंधित कानून और विधान**

विषय-वस्तु :

1. कानूनी आयु, विवाह, मताधिकार, शिक्षा, शिक्षुता और रोजगार संबंधी स्थानीय और राष्ट्रीय कानून;
2. अवैध बच्चों की देखभाल और संरक्षण, निराश्रय, अनाथों, बाल अपराधियों, पीड़ितों, बचाए गए व्यक्तियों, नशाखोरों आदि पर कानून;
3. निधियां जुटाने संबंधी विनियम;
4. मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा।

(दो सत्र)

(य) **एनएसएस के तहत ग्रामीण कार्य**

विषय-वस्तु :

1. ग्रामीण समाज का स्वरूप;
2. ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में समस्याएं:

(क) कृषि समस्याएं - कम उत्पादकता, काश्तकारी, बंधुआ मजदूरों की समस्याएं:

(ख) ग्रामीणों का कस्बों और शहरों में पलायन:

(ग) ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं - रोगों की रोकथाम, कूड़ें के निस्तारण से पर्यावरण की सफाई, सोख गड्ढों, नालों, सड़कों आदि का निर्माण और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था:

(घ) ग्राम कुटीरों के खराब संगठन के लिए सहायक व्यवसाय की आवश्यकता है:

(ड.) साक्षरता कार्यक्रमों और पुस्तकालयों की व्यवस्था करने में कठिनाईयां:

3. ग्रामीण युवा कार्यक्रम - युवा क्लब, युवा किसान क्लब और महिला मंडल का गठन।

4. एकीकृत ग्रामीण विकास की अवधारणा:

5. ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार एजेंसियों का ढांचा:

6. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं;

7. भूमि सुधार और काश्तकारी:

8. 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रम अर्थात अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजाति को वास स्थल का आबंटन, ग्रामीण गरीबों को कानूनी सहायता आदि:

9. कूडे का पुन: उपयोग और गोबर गैस प्लांटों का प्रयोग;

10. एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रम।

(ट) **परिवार और बाल देखभाल**

विषय-वस्तु : 1. **परिवार और बाल देखभाल कार्यक्रम का आयोजन**

(क) परिवार और बाल देखभाल कार्यक्रम का चिंतन

(ख) निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में परिवार और बाल देखभाल कार्यक्रम के विकास में सरकारी और स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका: -

(i) एकीकृत बाल विकास सेवा:

(ii) व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम

(iii) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

(iv) विशेष पोषण कार्यक्रम

2. **संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण:**

(क) संक्रामक रोग

(ख) जनसंचार

3. **प्रसूति और बाल देखभाल: -**

(क) गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान माता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख

(ख) गर्भधारण से परिपक्वता तक बाल विकास - बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सामाजिकीकरण में अभिभावकों, साथी समूहों, स्कूल समुदाय की भूमिका।

(ग) शिशुकाल और बाल्यकाल के सामान्य रोग, संक्रामक रोग, टीकाकरण, बूस्टर खुराक

4. **जनसंख्या गतिशीलता और परिवार नियोजन**

(क) जनसंख्या की समस्याएं, परिवार नियोजन के लक्ष्य;

(ख) परिवार नियोजन की विधियां

(ग) परिवार नियोजन में संचार की विधियां और माध्यम

(घ) जन शिक्षा और एनएसएस की भूमिका

5. **पोषण**

(क) शारीरिक विकास के चरणों के दौरान बच्चे की कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन की जरूरतें

(ख) संतुलित आहार

(ग) कुछ कमी के कारण रोगों की रोकथाम

(घ) पोषण शिक्षा

(चार सत्र)

(ठ) **वनीकरण और वृक्षारोपण**

विषय-वस्तु : 1. समुदाय में वृक्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना

2. मृदा क्षरण की रोकथाम

3. पौधशालाओं की स्थापना

4. वृक्ष लगाना और वृक्षों का परिरक्षण और रख-रखाव

5. खरपतवार नियंत्रण, कीट प्रबंधन, कृंतक नियंत्रण

(एक सत्र)

(ड) **एनएसएस के तहत शहरी कार्य**

विषय-वस्तु :

1. शहरी मलिन बस्तियों में एनएसएस कार्य - आवास परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं,

2. चिकित्सा सामाजिक सेवा कार्य और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम;

3. कल्याण संस्थाओं में एनएसएस कार्यक्रम;

4. प्राथमिक विद्यालयों में एनएसएस कार्यक्रम।

(दो सत्र)

ढ़) **स्मारकों का परिरक्षण और सौन्दर्यकरण**

(एक सत्र)

ण) **अनौपचारिक शिक्षा**

(एक सत्र)

त) **एनएसएस प्रैक्टिकल कार्य**

विषय-वस्तु :

1. एजेंसी के दौरे;

2. निकटवर्ती गांव / शहरी मलिन बस्ती में पर्यवेक्षित फील्ड कार्य आबंटन;

3. संस्थागत पर्यवेक्षित फील्ड कार्य;

4. प्रदर्शन अर्थात पोषण, आपातकाल और दुर्घटना में प्रथम उपचार, नागरिक रक्षा, रसोई बागवानी, वनस्पति खाद गड्ढें।

(12 सत्र)

6. **सत्र का समेकित विवरण**

दिनों की संख्या : 10 दिन

सत्रों की कुल संख्या : 54 (प्रत्येक सत्र 1 घंटे 20 मिनट की अवधि का होगा)

क्रम संख्या	विवरण	सत्रों की संख्या
1.	एनएसएस का इतिहास और चिंतन	2
2.	समाज और युवा	6
3.	कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन	2
4.	लोगों के साथ काम करने की विधियां और तकनीक	3
5.	एनएसएस का संगठन और प्रबंधन	4
6.	पर्यवेक्षण	4
7.	मूल्यांकन	1
8.	सामाजिक सर्वेक्षण	3
9.	सामाजिक कल्याण से संबंधित कानून और विधान	2
10.	एनएसएस कार्य के क्षेत्र	6
11.	परिवार और बाल देखभाल	4
12.	वनीकरण और वृक्षारोपण	1
13.	एनएसएस के तहत शहरी कार्य	2
14.	स्मारकों का परिरक्षण	1
15.	अनौपचारिक शिक्षा	1
16.	प्रैक्टिकल कार्य	12

7. **विविध**

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, कुलपति, एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारियों, कार्यक्रम समन्वयकों, विषय विशेषज्ञों, उपाय कुशल व्यक्तियो और विभिन्न एजेंसियों के अनुभवी

अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में अनुकूलन पाठ्यक्रम के लिए मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार एनएसएस कार्यक्रमों के विभिन्न पहलु शामिल हो सकते हैं।

8. **वित्त**

प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुकूलन और पाठ्यचर्या कार्यक्रम) से जुडे सभी व्यय की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्रों को अनुकूलन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रति दिन प्रति व्यक्ति क्रमश: 104/-रू. और 112/-रू. की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अध्याय-3: **अनुसंधान**, **मूल्यांकन और प्रकाशन**

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 4 प्रशिक्षण, अनुकूलन केंद्र स्थापित किए हैं जिसकी सूची इस भाग के अंत में दी गई है। मुख्य पदधारियों के लिए अनुकूलन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा, प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्र एनएसएस कार्यक्रमों के संबंध में मूल्यांकन, प्रकाशन और अनुसंधान भी करेंगे।

1. **प्रशिक्षण**, **अनुकूलन और अनुसंधान केंद्रों के कार्य**

इन टीओआरसी के कार्य इस प्रकार हैं:

क) कार्यक्रम अधिकारियों के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना;

ख) विशेष शिविर कार्यक्रम की योजना और आयोजन में विश्वविद्यालयों और +2 परिषदों को सहायता देना;

ग) कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात योजना, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए परामर्शी सेवाएं विकसित करना और उन्हें ये सेवाएं प्रदान करना। ये परामर्शी सेवाएं समूह चर्चाओं, सेमिनारों, विषयगत पेपरों की तैयारी और आपूर्ति, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के दौरों के दौरान व्यक्तिगत चर्चाओं, विशिष्ट बिंदुओं पर पत्राचार आदि के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं;

घ) विशिष्ट एनएसएस कार्यक्रमों पर अनुसंधान और मूल्यांकन करना;

ङ) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रयोग के लिए अनुभव को ओर आगे विकसित करने के उद्देश्य से इण्टर-कॉलिजिएट आधार पर एनएसएस के तहत प्रदर्शन परियोजनाएं विकसित करना;

च) कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर साहित्य तैयार करने, उसके प्रकाशन और परिचालन के माध्यम से एनएसएस के संबंध में सूचना आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य करना;

छ) शिविरों आदि में व्यक्तिगत दौरों के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मौके पर मार्गदर्शन देना।

2. अनुसंधान और मूल्यांकन

एनएसएस कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रकाशन महत्वपूर्ण घटक हैं। यह पता लगाने की मंशा है कि यह कार्यक्रम किस सीमा तक कार्यक्रम के प्रचालन से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल हुआ है।

2.1 अनुसंधान

किसी संगठन को आगे बढ़ने के लिए अनुसंधान और अभिनवता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनएसएस के लिए इसकी अत्यधिक उपयोगिता है क्योंकि कार्यकलापों को समुदाय में विद्यार्थी युवाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एनएसएस को सामाजिक गतिशीलता से निपटने में सक्षम होना चाहिए ताकि भविष्य में यह निरंतर उपयोगी रहे। इस कार्रवाई के लिए अनुसंधान और अध्ययन को निरंतर एनएसएस से जोड़ा जाना होगा। यह उपयुक्त समय है कि संगठन और इसके कार्यकलापों को ओर सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान किया जाए।

2.2 मूल्यांकन

मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यक्रम की सीमा और प्रभाव, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधारों का सुझाव देना है। विगत में 'आकाल समय में युवा','गंदगी और रोग समय में युवा','वनीकरण और वृक्षारोपण हेतु युवा', और 'ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु युवा' आदि जैसे विषयों पर विशेष शिविर कार्यक्रमों का मूल्यांकन दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, चेन्नई और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में सतत् सुधार करने हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में क्षेत्रीय आधार पर कार्यक्रम

मूल्यांकन के उदाहरण रहे हैं। प्रत्येक वर्ष एनएसएस कार्यक्रमों का मूल्यांकन केंद्रीय सहायता के एक मात्र सहयोग से विशेष मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

3. **प्रकाशन**

सामान्यतः युवा विकास और विशेष रूप से एनएसएस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशन, कार्यक्रम के विशेष पहलुओं पर न्यूज लेटरों/पत्रिकाओं/पुस्तिकाओं और ऐसा अन्य साहित्य, जो एनएसएस यूनिटों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, प्रकाशित करके प्रोत्साहित किया जाते रहेंगे।

4. **प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्रों की संरचना**

प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्रों में निम्नलिखित स्टाफ होगाः

क)	रीडर के वेतनमान में समन्वयक (प्रशिक्षण)	एक
ख)	विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों में व्याख्याता के वेतनमान में व्याख्याता	एक
ग)	व्याख्याता-सह-समुदाय आयोजक	एक
घ)	आशुलिपिक	एक

5. **चयन प्रक्रिया**

टीओआरसी समन्वयक, और व्याख्याता-सह-समुदाय आयोजक का चयन निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा, जो इस प्रकार हैः

क) समन्वयक, व्याख्याता और व्याख्याता-सह-समुदाय आयोजक के पद का स्थानीय/राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा।

ख) चयन, व्यक्तिगत साक्षात्कार और चयन समिति द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाएगा।

ग) चयन समिति रिक्त पद की तुलना में कम से कम 3 पात्र अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करेगी।

6. **चयन समिति की संरचना**

क)	विश्वविद्यालय का कुलपति या संगठन का प्रमुख	अध्यक्ष
ख)	सचिव, शिक्षा विभाग/युवा सेवा, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या उसका नामिती जो संयुक्त सचिव/निदेशक के स्तर से कम न हो	सदस्य
ग)	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार का नामिती	सदस्य

घ) विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय को छोड़कर संगठन का कुल सचिव सदस्य-सचिव

7. **समन्वयक (प्रशिक्षण) के पद हेतु अर्हताएं**

(क) समन्वयक (प्रशिक्षण) का पद ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके भरा जाएगा जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार रीडर के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताएं हैं।

(ख) उस व्यक्ति के पास एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रम आयोजित करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए:

(ग) उसके पास अनिवार्यतः एनएसएस पदधारियों को प्रशिक्षण देने के मूल कौशल होने चाहिए:

(घ) उसके पास युवा कार्य और समुदाय कार्य में प्रशिक्षक का अनुभव होना चाहिए:

(ङ) एनएसएस, युवा कार्य, समुदाय कार्य के क्षेत्र में प्रकाशनों, और इन क्षेत्रों में अनुसंधान को अतिरिक्त अर्हताएं माना जाएगा:

(च) <u>आयु सीमा:</u> इस प्रकार चयनित व्यक्ति चयन के समय 50 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए:

(छ) तथापि, चयन समिति, अपने विवेक पर, अन्यथा अत्यंत अर्हता प्राप्त और युवा कार्य तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के मामले में उपरोक्त बिंदु सं. क और च में उल्लेखित शर्तों में ढ़ील दे सकती है।

8. **व्याख्याता और व्याख्यात-सह-समुदाय आयोजक के पद हेतु अर्हता**

(क) इस पद को उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसके पास विश्वविद्यालयों/संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हता हो।

(ख) उस व्यक्ति के पास एनएसएस और अन्य युवा कार्यक्रम आयोजित करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ग) युवा कार्य, समुदाय कार्य, प्रकाशनों, अनुसंधान और प्रशिक्षण में अन्य अतिरिक्त अर्हता और अनुभव को वांछित अर्हता माना जाएगा।

(घ) इस प्रकार चयनित व्यक्ति की आयु चयन के समय 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) तथापि, चयन समिति, युवा कार्य, समुदाय कार्य, प्रशिक्षण में अन्यथा अत्यंत अर्हता प्राप्त और व्यापक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के मामले में पैरा संख्या (क) और (घ) में दी गई शर्ते में ढ़ील दे सकती है।

9. **शर्तें और कार्यकाल**

समन्वयक (प्रशिक्षण), व्याख्यता, और व्याख्याता-सह-समुदाय आयोजक के पद हेतु चुने गए व्यक्ति को प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

9.1 <u>टीओआरसी को स्थायी आधार पर समन्वयक (प्रशिक्षण), व्याख्याता, और व्याख्याता-सह-समुदाय आयोजकों के पद पर नियुक्त किए जाने या जारी रहने की अनुमति नहीं है।</u>

10. **समन्वयक (प्रशिक्षण) के कार्य**

समन्वयक (प्रशिक्षण) निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगाः

(क) वह योजनाएं बनाएगा और कार्रवाई करेगा ताकि टीओआरसी पैरा संख्या 1 में यथा निर्धारित अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके:

(ख) वह प्रकाशन और अनुसंधान कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा और विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:

(ग) वह विशेष शिविर कार्यक्रम और टीओआरसी के क्षेत्राधिकार के तहत विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे एनएसएस नियमित कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की कार्रवाई करेगा:

(घ) वह एनएसएस कार्यकलापों को दर्शाते हुए उन कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रदर्शन हेतु एक मॉडल विकसित करेगा, जो अनुकूलन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए आते हैं:

(ङ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग को वित्तीय लेखे समय पर प्रस्तुत किए जाएं:

(च) वह यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्राधिकारी को पत्रिकाएं, रिपोर्टें और विवरणिकाएं समय पर प्रस्तुत की गई है:

(छ) वह एनएसएस मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र को फील्ड में कार्यक्रम की स्थिति के संबंध में आवश्यक फीडबैक देगा:

(ज) वह शिविर का मूल्यांकन करने के लिए विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरे करेगा। इसी प्रकार वह कॉलेजों/स्कूलों द्वारा की जा रही विशेष परियोजनाओं के चुनिन्दा दौरे कर सकता है :

(झ) वह टीओआरसी सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा और जब कभी अपेक्षित होगा इसकी बैठकें बुलाएगा। टीओआरसी सलाहकार समिति की अनिवार्य रूप से वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए:

(ञ) वह सलाहकार समिति से प्रशिक्षण की योजनाएं और बजट अनुमोदित करवाएगा:

(ट) वह राज्य संपर्क अधिकारी, एनएसएस और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम समुचित रूप से समय पर आयोजित किए जाते हैं :

(ठ) वह यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य संपर्क अधिकारी के साथ संपर्क बनाएगा कि कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रिंसिपलों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए कार्यभार से मुक्त भी किया जाता है।

11. **व्याख्याता और व्याख्यात-सह-समुदाय आयोजक के कार्य**

(क) वह समन्वयक (प्रशिक्षण) को टीओआरसी के कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा;

(ख) वह समन्वयक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों, समुदाय और संस्थानों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभाव के संबंध में विषयगत अध्ययन करेगा;

(ग) वह समन्वयक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण में एनएसएस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और मुख्य पदधारियों के लाभार्थ एक प्रदर्शन परियोजना विकसित करेग;

(घ) यह आशा है कि व्याख्याता और व्याख्यात-सह-समुदाय आयोजक, समन्वयक द्वारा यथा वांछित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन, मूल्यांकन, अनुसंधान और प्रकाशन कार्य में समन्वयक की सहायता करेगा;

12. **टीओआरसी को वित्तीय सहायता की पद्धति**

प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्र को निम्नलिखित पद्धति से वित्तीय सहायता दी जाएगीः-

(क)	समन्वयक (प्रशिक्षण), दो व्याख्याताओं और स्टैनो टाइपिस्ट का वेतनः	इन पदों हेतु निर्धारित वेतनमानों पर यथा स्वीकार्य वास्तविक के आधार पर
(ख)	आकस्मिक व्यय (प्रति वर्ष)	65000/-

12.1 आकस्मिक व्यय में प्रकाशनों और सेमिनारों पर व्यय, यात्रा व्यय और आकस्मिक व्यय, जैसे डाक प्रभार, स्टेशनरी, पत्रिकाओं का मुद्रण, टेलीफोन और टीओआरसी के संबंध में अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

13. **टीओआरसी के लिए सलाहकार समिति**

समन्वयक (प्रशिक्षण) को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए प्रत्येक टीओआरसी की एक सलाहकार समिति होगी। यह सलाहकार समिति प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रकाशन और टीओआरसी द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्य से संबंधित मामलों पर विचार करेगी। सलाहकार समिति टीओआरसी के कार्यों से संबंधित पैरा संख्या 1-3 के आलोक में टीओआरसी के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी। यह समिति टीओआरसी कार्यों के निर्वहन के लिए इसके बजट का अनुमोदन भी करेगी।

13.1 इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(क)	कुलपति या संस्थान का प्रमुख	अध्यक्ष

(ख)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख	सदस्य
(ग)	राज्य संपर्क अधिकारी एनएसएस	सदस्य
(घ)	एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख के परामर्श से एनएसएस स्वयंसेवकों की ज्यादा संख्या वाले विश्वविद्यालयों के 3 कार्यक्रम समन्वयक	सदस्य
(ङ)	समन्वयक (प्रशिक्षण) टीओआरसी	सदस्य-सचिव

13.2 सीमाएं

सलाहकार समिति युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक और नीतिगत निर्देशों में संशोधन करने या उनके विरूद्ध कोई निर्णय नहीं लेगी। सलाहकार समिति स्वयं को केवल टीओसी/टीओआरसी के कार्यकलापों तक सीमित रखेगी।

14 रिपोर्ट करना

समन्वयक, प्रशिक्षण, टीओआरसी कार्यकलापों के संबंध में संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख को प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से मार्च और सितंबर को समाप्त अवधि की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना विभाग को भी दी जाएगी। इस रिपोर्ट की प्रतियां कार्यक्रम सलाहकार के सेल (एनएसएस), नई दिल्ली को भी प्रेषित की जाएगी। कृपया अनुबंध XI में प्रोफार्मा देखें।

टीओसी / टीओआरसी की सूची

प्रशिक्षण, अनुकूलन और अनुसंधान केंद्र

1.	डॉ. विश्वदास जयसिंह समन्वयक (प्रशिक्षण) एनएसएस के लिए टीओआरसी **मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क** 32, कासा मेजर रोड, एग्मोर, चेन्नई -600008	कोड - 044 28195126(कार्यालय) 25510419(आवास) 9444183818 28195127(फैक्स)	2.	श्री टी. के. पांडा समन्वयक (प्रशिक्षण), एनएसएस **टी.ओ.आर.सी.** **आर के मिशन आश्रम लोकशिक्षा परिषद**, नरेन्द्रपुर, कोलकाता -743103	कोड - 033 24772437(कार्यालय) 24772081(आवास) 24772070(फैक्स)
3.	श्री खलील अहमद समन्वयक (प्रशिक्षण) टी.ओ.आर.सी., एनएसएस टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस पोस्ट बॉक्स नं. 8313, सायन-ट्रॉम्बे रोड, देवनार, मुंबई -400088	कोड - 022 25563290(कार्यालय) 26611878(आवास) 9820052171	4.	सुश्री रेखा दत्त समन्वयक (प्रशिक्षण) टी.ओ.आर.सी. एनएसएस **दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क** दिल्ली विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली -110007	कोड - 011 27667233(कार्यालय) 26218664(आवास)
5.	डॉ. सत्यवीर सिंह मलिक समन्वयक (प्रशिक्षण) टी.ओ.आर.सी., एनएसएस विकास एवं संचार संस्थान एससीओ सं। 1126-1127, सेक्टर -22 / बी, चंडीगढ़	कोड - 0172 2707942(कार्यालय) 222955(कार्यालय) 2721033(आवास) 2702254(फैक्स)			

<u>प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र</u>

1.	सुश्री स्मिता पवार समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **एम. एस. विश्वविद्यालय** सामाजिक कार्य संकाय के पीछे डाकघर के सामने, फतेहगंज वडोदरा-390002	कोड - 0265 2782692(कार्यालय) 2791551(कार्यालय)	2.	डॉ. ए. के. साहा समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** ग्रामीण विकास केंद्र खड़गपुर-721302 (पश्चिम बंगाल)	कोड - 03222 282114(कार्यालय) 282115, 277502(आवास) 255303(फैक्स)
3.	डॉ. बलवंत सिंह समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **पंजाबी विश्वविद्यालय** कमरा न.जी -6, आर्ट्स ब्लॉक -2 पटियाला -147002	कोड - 0175 2282461(कार्यालय) 2216033(आवास) 9814209497	4.	श्री पी. के. मोहम्मद समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस कलामस्सेरी-683104	कोड - 0484 2550064(कार्यालय) 2555564(कार्यालय) 2315947(आवास) 2532862(फैक्स)
5.	डॉ. ए. एन. पटनायक समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **ओयूएटी**, भुवनेश्वर	कोड -0674 2406017(कार्यालय) 9437261953	6.	डॉ. धर्म सिंह समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **लिटरेसी हाउस** कानपुर रोड, पीओ-मानस नगर लखनऊ-226023	कोड -0522 2472381(कार्यालय) 2462154(आवास)
7.	डॉ. (श्रीमती) आभा ओझा समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस एचसीएम राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थान जयपुर	कोड - 0141 2704950(कार्यालय) 2704956(कार्यालय) Ex-425 2235156(आवास) 2705420(फैक्स) 2702542(फैक्स)	8.	डॉ. बी. वेंकट नाइक समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **उस्मानिया विश्वविद्यालय** हैदराबाद-500007	कोड - 040 27090181(कार्यालय) 27682379(कार्यालय) 27018847(आवास) 27090181(फैक्स)
9.	श्री आर डी संपथ कुमार समन्वयक (प्रशिक्षण)	कोड - 0891 2754871(कार्यालय)	10.	प्रोफेसर बी एस गुरुपुदास्वामी	कोड - 0821 2334181(कार्यालय)

	प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **आंध्र विश्वविद्यालय** विशाखापत्तनम-530003			समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **मैसूर विश्वविद्यालय**, **टीओसी भवन** महाराजा कॉलेज, हॉस्टल वार्डन बिल्डिंग, रामास्वामी सर्किल, मैसूर-570006	2513273(आवास) 2334181(फैक्स) 9880626140
11.	प्रोफेसर पी. आर. गायकवाड़ समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस **अहमदनगर कॉलेज** **इनोवेटिव प्रोग्राम सेन्टर** अहमदनगर-414,001	कोड - 0241 353286(कार्यालय) 259615(आवास)	12.	डॉ. एस. राजलक्ष्मी समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केन्द्र, एनएसएस श्री अविनाशीलिंगम इस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर विमेन (सम विश्वविद्यालय) कोयंबटूर 641,043	कोड - 0422 2432542(कार्यालय) 2440241(कार्यालय) 2432131(आवास) 2432542(फैक्स)
13.	डॉ आर एम शुक्ला समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और अनुकूलन केंद्र, एनएसएस **विक्रम विश्वविद्यालय** कोठी मार्ग, उज्जैन -456010	कोड - 0734 2514272(कार्यालय) 2530378(आवास)			

भाग-VIII

वित्त और लेखे

अध्याय-1 : वित्तीय व्यय की पद्धति

1. **एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक**

(क) एनएसएस नियमित कार्यकलाप

एनएसएस स्वयंसेवक कॉलेज समय के बाद या सप्ताह अंत के दौरान और अन्य अवकाश के दिनों में नियमित कार्यकलाप करेंगे। स्वयंसेवकों से इन कार्यकलापों में 2 वर्ष की अवधि तक प्रतिवर्ष 120 घण्टे भाग लेने की आशा की जाती है। इसका ब्यौरा भाग **XI** में दिया गया है।

(ख) विशेष शिविर कार्यक्रम

विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष लंबे अवकाश के दिनों में 10 दिन की अवधि के शिविर आयोजित किए जाते हैं। किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एनएसएस स्वयंसेवकों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत स्वयंसेवक इन शिविरों में भाग लेते हैं। इन विशेष शिविरों के लिए प्रति दिन प्रति स्वयंसेवक 20 रु. का प्रावधान किया गया है। यह मुख्यतः स्वयंसेवकों के खान-पान और प्रवास तथा परिवहन के लिए है। अधिक जानकारी के लिए विशेष शिविर कार्यक्रम से संबंधित भाग III का संदर्भ लें।

2. नियमित कार्यकलापों पर व्यय

क) जैसा कि पहले बताया गया है, नियमित कार्यकलापों पर व्यय के लिए प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक 120 रु. की राशि निर्धारित की गई है। इस व्यय को जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधान मण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 7:5के अनुपात में साझा किया जाता है।

ख) 120 रु. में से प्रति स्वयंसेवक 25 रु. या 20 रु. की राशि विश्वविद्यालय/+2 स्तर पर स्थापना/प्रशासन व्यय पर खर्च की जानी है। कृपया अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 134 पर वित्तीय पद्धति देखें। इसी प्रकार कॉलेज/स्कूल स्तर पर प्रति स्वयंसेवक 30 रु. की राशि स्थापना पर खर्च की जाती है।

ग) शेष 62 रु. या 70 रु. की राशि मूल स्तर पर कार्यक्रम विकास पर खर्च की जाती है।

3. राज्य स्तर पर स्थापना और प्रशासनिक व्यय

क) अधिकतर राज्यों में भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ राज्य एनएसएस सेल स्थापित किए गए हैं। इस वित्तीय सहायता में राज्य संपर्क अधिकारी, सहायक स्टाफ का वेतन, यात्रा व्यय और कार्यालय के आकस्मिक खर्चे शामिल हैं। अतः संपर्क सेलों वाले राज्य स्थापना व्यय के लिए एनएसएस अनुदान में से कोई राशि खर्च नहीं करते हैं।

ख) राज्य स्तर पर राज्य संपर्क अधिकारी और पूर्णकालिक स्टाफ अनन्य रूप से एनएसएस कार्यक्रमों के लिए कार्य करता है। ऐसे स्टाफ की सेवाओं का उपयोग अन्य कार्यक्रम के लिए नहीं किया जाएगा।

ग) ऐसे मामलों, जहां राज्य स्तर पर एनएसएस सेल स्थापित नहीं किए गए हैं और केंद्र से शतप्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य संपर्क अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, में राज्य स्तर पर स्थापना व्यय प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक 3 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में अपने नियमित प्रभार के अलावा एनएसएस के लिए संपर्क अधिकारी। नियमित कार्यकलापों के लिए एनएसएस अनुदानों में से प्रति स्वयंसेवक 3 रु. की कटौती से उपलब्ध राशि का उपयोग अंशकालिक सहायता या मानदेय, यदि कोई हो, के भुगतान पर स्थापना व्यय के लिए किया जाएगा।

घ) राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय वास्तविक प्रशासनिक व्यय को यथा संभव कम से कम रखेंगे और शेष को कार्यक्रम विकास के लिए एनएसएस यूनिट को अंतरित कर देंगे (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 29.09.1993 का पत्र सं. 1-19/93-वाईएस.IIIअनुबंध XII में दिया गया है)।

ङ) यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालय एनएसएस अनुदानों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करते हैं और कॉलेजों को निधियां वित्त वर्ष के मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी करते हैं। वित्तीय भाषा में इस प्रथा को "सार्वजनिक निधियों का दुर्विनियोजन" है। यह न केवल वित्तीय मानदण्डों के विरूद्ध है, बल्कि इससे एनएसएस अनुदानों का उद्देश्य ही विफल होता है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि विश्वविद्यालय एनएसएस निधियों को अपने पास नहीं रखते है, बल्कि निधियों को कॉलेजों/स्कूलों का तत्काल जारी करते हैं।

4. नीतिगत और प्रशासनिक निर्देश

वित्त मंत्रालय कतिपय निबंधन और शर्तों के तहत निधियों और उनके व्यय का प्रावधान अनुमोदित करता है। अतः कोई राज्य सरकार और विश्वविद्यालय एनएसएस निधियों और उनके व्यय के संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुमोदन के बिना निबंधन और शर्तों में एकतरफा संशोधन नहीं करेंगे। निधियों और इसके व्यय के संबंध में सभी निर्देशों को "नीतिगत

और प्रशासनिक दिशा-निर्देश" माना जाएगा। राज्य संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक इन निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे।

अध्याय-2 : वित्तीय व्यय की पद्धति

1. विश्वविद्यालय और +2 परिषद

विश्वविद्यालय और +2 स्तर पर एनएसएस सेल मूल स्तर की यूनिटें होने से एनएसएस कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम समन्वयक कॉलेज और स्कूल स्तरों पर एनएसएस यूनिटों को आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करता है। एनएसएस सेल अपने स्थापना के लिए निम्नलिखित स्रोतों से निधियां प्राप्त करता है:

क) राज्य संपर्क सेल के माध्यम से सरकारी अनुदानों से।

ख) बैंकों में रखे गए अप्रयुक्त अनुदानों, यदि कोई हो, से प्राप्त बैंक ब्याज से।

ग) भारत सरकार द्वारा अनुमत्य प्रवेश प्रभारों के कारण कॉलेजों से अंशदान से।

2. स्थापना और प्रशासनिक व्यय हेतु सरकारी अनुदान

क) प्रारंभिक चरणों में विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक 5 रु. की राशि की कटौती करने की अनुमति थी और 1984-85 के बाद कटौती की इस दर में संशोधन करके इसे 10 रु. कर दिया गया था। सामग्री और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए इस दर को वित्त वर्ष 1991-92 से फिर से बढ़ाकर 15 रु. कर दिया गया।

ख) वेतनमानों और महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों ने एनएसएस सेलों के संचालन के लिए निधियों की अपर्याप्तता के संबंध में भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया। इन तथ्यों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 29.09.1993 के पत्र सं. 1-19/93-वाईएस. III(अनुबंध XII)द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए कतिपय रियायतें दी जो प्रति स्वयंसेवक 15 रु. की दर से स्वीकार्य कटौती के साथ एनएसएस सेल चलाने में सक्षम नहीं है।

ग) निम्नलिखित संशोधित दरें केवल उन्हीं मामलों में एनएसएस सेलों के लिए स्वीकार्य होंगी जहां विश्वविद्यालय एनएसएस सेलों/+2 स्तर पर प्रशासनिक व्यय के लिए निधियों की वास्तविक कमी है:

(i) जहां प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक एनएसएस संख्या 10000 स्वयंसेवकों तक है वहां विश्वविद्यालयों के स्वीकार्य कटौती 25 रु. है।

(ii) जहां प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक एनएसएस संख्या 10001 और इससे अधिक स्वयंसेवकों तक है वहां विश्वविद्यालयों के स्वीकार्य कटौती 20 रु. है।

(iii) जहां प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक 15 रु. की मौजूदा कटौती प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, वहीं उपरोक्त संशोधित दर स्वीकार्य नहीं होंगी।

3. बैंक ब्याज

नीतिगत निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अपेक्षा है कि वे एनएसएस निधियों को बचत बैंक खातों में रखें। इस प्रकार जमा निधियों से नियमित रूप से ब्याज मिलता है। यह निर्णय लिया गया है कि एनएसएस बचत बैंक खाते में प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है, जो फील्ड कार्य और कार्यक्रम विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं।

3.1 खरीदारी केवल तभी की जानी चाहिए जब इन खरीदारियों के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

3.2 चूंकि वाहन और महंगे ऑडिओ विजुअल सामग्रियों और अन्य महंगे उपकरणों की खरीद पर रोक है, बैंक ब्याज या बचत से उपलब्ध राशि से केवल बहुत अनिवार्य और कम महंगे ही खरीदे जाएं (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली का दिनांक 16.03.1992 का पत्र सं. एफ.2-1/91-वाईएस.III देखें जो अनुबंध **V** में दिया गया है)।

4. आतंरिक संसाधनों का सृजन

(क) एनएसएस यूनिटों की सक्रिय सहभागिता और संबद्धता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एनएसएस यूनिटों को ऐसे विद्यार्थियों से नाम मात्र का शुल्क लेने की अनुमति दी है जो एनएसएस में भाग लेना चाहते हैं।

(ख) एनएसएस यूनिट इस राशि का 50 प्रतिशत रखेगी और शेष राशि आगे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयकों को भेज देगी। इस शुल्क का उपयोग स्थापना की अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, और नवकारी कार्यक्रम विकास, पुरस्कारों, प्रोत्साहनों आदि के लिए किया जा सकता है।

(ग) इस प्रकार उपलब्ध राशि का उपयोग केवल एनएसएस कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। शुल्क में किसी भी संशोधन का निर्णय राज्य स्तर पर किया जाए।

5. विश्वविद्यालय और +2 स्तर पर स्थापना / प्रशासनिक व्यय

इस अध्याय के पैरा 2 द्वारा विश्वविद्यालय/+2 स्तर के कार्यक्रम समन्वयकों को उपलब्ध कराई गई निधियों को इस प्रकार खर्च किया जाएगाः

(क) कार्यक्रम समन्वयकों (पूर्णकालिक) को वेतन

विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस के प्रभारी शिक्षक को कार्यक्रम समन्वयक कहा जाएगा। इस पद को अन्य कोई ओर नाम नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयक विशेष रूप से संबद्ध विश्वविद्यालयों, जहां एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 10000 से अधिक है, के मामले में कार्यक्रम समन्वयक पूर्णकालिक शिक्षक होगा। उसका वेतन एनएसएस अनुदान- स्थापना और प्रशासनिक व्यय से देय होगा। कार्यक्रम समन्वयक के पद को शैक्षिक पद माना जाएगा क्योंकि एनएसएस भी एक विस्तार शिक्षा कार्यक्रम है।

(ख) अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक को जेब खर्च भत्ता

(i) अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक को निम्नलिखित परिस्थितियों में नियुक्त किया जा सकता हैः

1. संबद्ध विश्वविद्यालयों के मामले में जहां एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 10000 तक हो।
2. आवासीय विश्वविद्यालय के मामले में।
3. ऐसे विश्वविद्यालय के मामले में जिसका विस्तार छोटा हो।
4. यदि कार्यक्रम समन्वयक का पद कुछ समय के लिए रिक्त रहे।

(ii) अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक को एनएसएस सलाहकार समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रतिमाह 400/- रु. का जेब खर्च भत्ता मिलेगा।

(ग) वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी को वहां कार्यक्रम समन्वयक का प्रभार दिया जाएगा जहां एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या 500 एनएसएस स्वयंसेवकों से कम है।

(घ) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्णकालिक स्टाफ को एनएसएस अनुदान से भुगतान किया जाता है, जो अनन्य रूप से एनएसएस के लिए कार्य करते हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य किसी भी विभाग द्वारा या अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जाएगा। यह प्रशंसनीय होगा यदि विश्वविद्यालय/+2 परिषद कार्यक्रम समन्वयक को अपने ही बजट से सचिवालय सहायता दे ताकि इस कार्यक्रम के लिए अन्यत्र से और अधिक निधियों का उपयोग किया जा सके।

6. कार्यक्रम समन्वयक और स्टाफ को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

कार्यक्रम समन्वयक और उसके स्टाफ द्वारा एनएसएस कार्यक्रम के लिए की गई यात्रा पर व्यय एनएसएस अनुदान-स्थापना व्यय से स्वीकार्य होगा।

कार्यक्रम समन्वयक और स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्यों, जो नियमानुसार हवाई यात्रा के हकदार नहीं है, द्वारा की गई हवाई यात्रा पर व्यय एनएसएस अनुदान-स्थापना व्यय से स्वीकार्य नहीं होगा।

7. आकस्मिक व्यय

एनएसएस सेल और कार्यक्रम के रखरखाव के लिए आकस्मिक स्वरूप का व्यय निम्नानुसार स्थापना व्यय से किया जा सकता हैः

(क) स्टेशनरी, डाक प्रभार, टेलीफोन और टेलीग्राम आदि जैसे आकस्मिक व्यय

(ख) सेमिनारों/कार्यशालाओं तथा प्रिंसिपलों तथा कार्यक्रम अधिकारियों और सक्रिय एनएसएस स्वयंसेवकों की आवधिक बैठकों पर व्यय

(ग) एनएसएस नेताओं और कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण-सह-अनुकूलन

(घ) विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत एनएसएस रिपोर्टों का प्रकाशन, साहित्य का प्रकाशन और खरीद

(ङ) नीतिगत और प्रशासनिक निर्देशों के दायरे में विश्वविद्यालय सलाहकार समिति द्वारा यथा निर्धारित अन्य विविध व्यय

(च) कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, टेलीफोन की खरीद पर व्यय एनएसएस स्थापना व्यय से स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालयों से आशा की जाती है कि वे एनएसएस कार्यक्रम में अपने अंशदान के रूप में अपने सामान्य व्यय में से एनएसएस सेल को सुविधाएं दें।

8. विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों पर व्यय

विश्वविद्यालयों को एनएसएस कार्य के लिए कार्यक्रम समन्वयकों को प्राथमिकता आधार पर वाहन उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि एनएसएस निधियों से प्रदान किए गए वाहनों को पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालय स्टाफ कार कूल में अंतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार टीओएल और अन्य प्रभारों की लागत विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापना व्यय से स्वीकार्य है।

वाहनों के रखरखाव और संचालन की लागत विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय निधियों से न की एनएसएस अनुदानों से वहन की जानी है।

9. वित्तीय अनुशासन

(क) वित्तीय प्रावधान नीतिगत और प्रशासनिक निर्देशों की श्रेणी में आते हैं। अतः सभी कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी पूरी निष्ठा से इन प्रावधानों का पालन करेंगे।

(ख) सार्वजनिक व्यय, भारत सरकार के "सामान्य वित्तीय नियमों" में निर्धारित सार्वजनिक व्यय के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। कार्यक्रम समन्वयकों को इन मानदण्डों की जानकारी होनी चाहिए।

(ग) एनएसएस अनुदानों के लेखे अलग से रखे जाने चाहिए। इससे लेखाओं को राज्य सरकार और भारत सरकार को प्रस्तुत करने में तेजी आएगी।

(घ) निधियों का प्रवाह सुचारू रखने के लिए लेखाओं को समय पर और नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ङ) एनएसएस निधियां सार्वजनिक निधियों में से प्रदान की जाती हैं। अतः लेखाओं/लेखा बहियों का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। लेखाओं/लेखा बहियों को निरीक्षण और लेखा परीक्षा के समक्ष, राज्य संपर्क अधिकारी और उसके स्टाफ, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य के एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत किया जाना है।

अध्याय-3 : कॉलेज में वित्तीय व्यय की पद्धति

1. (क) कॉलेज या स्कूल स्तर पर एनएसएस यूनिट नियमित कार्यकलापों के तहत एनएसएस परियोजनाओं और विशेष शिविर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। सभी एनएसएस स्वयंसेवक मूल स्तर पर इन कार्यकलापों में भाग लेते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के संपर्क में आते हैं।

(ख) यूनिट स्तर पर वित्तीय व्यय को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है अर्थात, (क) स्थापना और प्रशासनिक व्यय और (ख) कार्यक्रम विकास व्यय।

2. (क) कॉलेज और स्कूल स्तर पर एनएसएस यूनिट को सामान्यतः विश्वविद्यालयों/कॉलेज/+2 स्तर से एनएसएस निधियां मिलती हैं। कुछ राज्य सरकारें उन में प्रशासनिक ढ़ांचों के कारण सीधे यूनिटों को निधियां जारी करती है।

(ख) एनएसएस यूनिटों को सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्थापना व्यय के लिए की गई आवश्यक कटौती के बाद निधियां मिलेंगी।

3. कॉलेज और स्कूल स्तरों पर स्थापना और प्रशासनिक व्यय

(क) कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्च भत्ते के भुगतान पर व्यय, और आकस्मिक व्यय हेतु स्वीकार्य प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस स्वयंसेवक 30 रु. की राशि स्वीकार्य होगी।

(i) कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्च भत्ता स्वीकार्य प्रतिमाह 100 या 100 से अधिक स्वयंसेवकों की यूनिटों के लिए 200 रु. की दर से (200x12=2400प्रतिवर्ष)	प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक जेब खर्च भत्ते की दर 24/- रु.

(ii) 100 स्वयंसेवकों से कम वाली यूनिटों के लिए जेब खर्च भत्ते की दर को समानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

(iii) कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्ज भत्ते का भुगतान उसके द्वारा प्रत्येक माह किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के अधीन होगा। इसमें **(i)** विशेष शिविर के लिए 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों को जुटाना **(ii)** गोद लिए क्षेत्र में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिमाह कम से कम 3/4 समुदाय दौरे **(iii)** एनएसएस मेनुअल में यथा विनिर्दिष्ट एनएसएस रिकार्डों का रखरखाव **(iv)** तिमाही प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करना।

(ख) अंशकालिक लिपिकीय सहायता पर स्वीकार्य आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी, डाक प्रभार की खरीद पर व्यय और अन्य विविध व्यय (100 स्वयंसेवकों की यूनिट के लिए 100x6=600प्रतिवर्ष) अपेक्षाकृत छोटी यूनिटों के मामले में व्यय को समानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।	प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष 6 रु.

4. कॉलेज/+2 स्तर पर कार्यक्रम विकास व्यय

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वास्तविक नियमित एनएसएस कार्यकलापों/कार्यक्रमों के संघटन और संचालन पर व्यय की पूर्ति हेतु प्रति वर्ष प्रति एनएसएस स्वयंसेवक 62 रु. से 70 रु. की राशि उपलब्ध होगी। कॉलेजों द्वारा इस राशि का उपयोग निम्नलिखित मदों पर व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगाः-

(क) शिविर पूर्व तैयारी, अनुकूलन और शिविर उपरांत मूल्यांकन

(ख) यात्रा भट्टा और उपाय कुशल व्यक्तियों को मानदेय

(ग) कार्यकलापों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जलपान

(घ) विद्यार्थियों के कॉलेज से कार्यस्थल और कार्य स्थल से कॉलेज तक सबसे सस्ते परिवहन द्वारा यात्रा का व्यय

(ङ) शिविर और नियमित कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित बर्तनों, कुदालियों, फाबड़ों और पैट्रोमेक्स आदि जैसे न्यूनतम उपकरणों की खरीद

(च) बैठकों/सेमिनारों/अनुकूलन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, शिविरों आदि में सहभागिता के लिए कार्यक्रम अधिकारियों के यात्रा व्यय

(छ) विभाग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर नेतृत्व शिविरों में भाग लेने के लिए आयोजित राज्य के भीतर या बाहर शिविरों, बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए एनएसएस स्वयंसेवकों के संबंध में सबसे सस्ते परिवहन द्वारा यात्रा व्यय

(ज) नियमित एनएसएस कार्यकलापों/कार्यक्रमों के वास्तविक आयोजन पर अन्य आकस्मिक व्यय

5. **प्रतिबंधित/अस्वीकार्य व्यय**

(क) सुख-सुविधा वाली मदों और वीसीआर, टीवी आदि जैसी मेहंगी ऑडियो विजिवल सामग्रियों की खरीद

(ख) एनएसएस अनुदानों से एनएसएस स्वयंसेवकों या अन्यों को नकद पुरस्कार/नकद प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं है।

(ग) एनएसएस अनुदानों से ओपचारिक समारोह मनाने या महंगे उपहार देने पर व्यय स्वीकार्य नहीं है।

(घ) एनएसएस अनुदानों से वाहन की खरीद स्वीकार्य नहीं है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली के

दिनांक 16.03.1992 का पत्र सं. 2-1/91-वाईएस.III (अनुबंध V देखें)

दिनांक 28.04.1978 का पत्र सं. 1-13/78-वाईएस.III (अनुबंध XIII देखें)

दिनांक 18.03.1986 का पत्र सं. 1-47/85-वाईएस.III (अनुबंध XIV देखें)।

6. दिनभर के शिविर

(क) अपवादस्वरूप मामलों में, जब किसी विशिष्ट नियमित परियोजना को पूरा करना नितांत आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक के पूर्व अनुमोदन से दिनभर के शिविर आयोजित किए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव में परियोजना के स्वरूप और पूरे किए जाने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख होना चाहिए। दिनभर के शिविरों के पूरा होने के बाद कार्यक्रम समन्वयक को एक रिपोर्ट भेजी जाए।

(ख) दिनभर के शिविर के दौरान, एनएसएस स्वयंसेवक उस परियोजना पर 8 घंटे काम करेंगे।

(ग) कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम विकास व्यय में से प्रति स्वयंसेवक 8 रु. का व्यय स्वीकार्य होगा।

7. विशेष शिविर कार्यक्रम पर वित्तीय व्यय की पद्धति

(क) (i) विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत लंबे अवकाश के दिनों में 10 दिन के शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(ii) वर्ष के दौरान इन शिविरों में किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल में केवल 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवक भाग लेते हैं।

(iii) वित्त वर्ष 1996-97 से, प्रति शिविर सहभागी प्रति दिन 20 रु. तक का व्यय शिविर सहभागियों के खान-पान और प्रवास, उनके शिविर स्थल तक आने और जाने पर तथा कुछ विविध व्यय पर खर्च किया जाना है। 10 दिनों के शिविर के लिए प्रति स्वयंसेवक कुल व्यय 200 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत दिनभर के शिविर

(i) सामान्य नीति यह है कि विशेष शिविर के तहत दिनभर के शिविर आयोजित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि यह विशेष शिविर में समूह में रहने और सामूहिक रूप से अनुभव साझा करने की भावना में नहीं है।

(ii) तथापि, अपवादस्वरूप मामलों में, जहां रात्रि प्रवास अत्यंत कठिन हो, तो विश्वविद्यालय कॉलेज को दिनभर के शिविर आयोजित करने की अनुमति दे सकता है।

(iii) इन अपवादस्वरूप मामलों में प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक 8 रु. का व्यय स्वीकार्य होगा।

अध्याय-4: लेखाओं का रखरखाव

1. एनएसएस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सकता है बशर्ते की सभी स्तरों पर निधियों का प्रवाह सुचारू हो। यह समझा जाना जरूरी है कि आगे एनएसएस अनुदानों को जारी करना भी गत वर्षों के दौरान जारी अनुदानों के लेखाओं को प्रस्तुत करने के अधीन है। वर्तमान वर्ष के लिए अनुदान को रोका जा सकता है यदि गत दो वर्षों के लेखाओं को अंतिम रूप से प्रस्तुत न किया गया हो।

2. अनुदान जारी करने की विधि

अनुदान जारी करने की विधि पर भाग-VI, अध्याय-4, पैरा 4 और 5 में विस्तार से चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के लिए इस भाग का संदर्भ लिया जा सकता है।

3. लेखाओं का रखरखाव

चूंकि एनएसएस निधियां सार्वजनिक राजस्व से उपलब्ध कराई जाती हैं, अतः यह अनिवार्य है कि लेखाओं को मानक लेखाकरण पद्धति और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रखा जाए।

4. लेखाओं का पृथक्करण

(क) संबंधित प्राधिकारियों को लेखाओं को आसानी से और समय पर प्रस्तुत करने के लिए एनएसएस अनुदानों के लेखाओं को अलग से रखा जाएगा। एनएसएस लेखाओं को संस्थागत लेखाओं के साथ समेकित किए जाने से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे एनएसएस लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब होता है।

(ख) विशेष शिविर कार्यक्रम और नियमित कार्यकलापों के लेखे अलग से रखे जाएंगे। इन लेखाओं को मिलाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अलग-अलग शीर्षों के तह रखे जाते हैं।

(ग) एनएसएस अनुदानों के रूप में प्राप्त निधियों को एक मात्र एनएसएस के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग बचत बैंक खाते में रखा जाएगा।

5. विशेष शिविर कार्यक्रम लेखाओं को प्रस्तुत करना

(क) एनएसएस यूनिटें/कॉलेज/स्कूल 10 दिन के वार्षिक विशेष शिविर आयोजित करने के लिए प्राप्त एनएसएस निधियों के लेखे शिविर समाप्त होने के एक माह के भीतर संबंधित विश्वविद्यालय/+2 स्तर के स्कूल के कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) इन लेखाओं की लेखा-परीक्षा महा लेखाकार/स्थानीय कोष के अधिकारियों या किसी सनदी लेखाकार से करवाई जाएगी।

(ग) लेखा-परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा-परीक्षित लेखाओं का विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

6. विशेष शिविर लेखाओं को प्रस्तुत करना

(क) कार्यक्रम समन्वयक द्वारा

(i) कार्यक्रम समन्वयक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद विशेष शिविर कार्यक्रम के लेखाओं को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। चूंकि एनएसएस यूनिट के लेखे वित्त वर्ष समाप्त होने से काफी पहले प्राप्त हो जाते हैं, अतः विश्वविद्यालय/+2 राज्य के लिए समेकित लेखाओं को आगामी वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करना व्यवहार्य होगा।

(ii) कार्यक्रम समन्वयक लेखओं को राज्य संपर्क अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को दी जाएगी।

(iii) जैसा कि पैरा संख्या 5 (ii) और (iii) में पहले बताया जा चुका है, लेखाओं की विधिवत लेखा-परीक्षा अधिकृत एजेंसी द्वारा की जाएगी। लेखा-परीक्षक अधिकारी / सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखाओं का विवरण युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली और राज्य संपर्क अधिकारी/एनएसडीएस क्षेत्रीय केंदों को स्वीकार्य होगा।

(ख) राज्य संपर्क अधिकारी द्वारा

(i) राज्य संपर्क अधिकारी लेखाओं को संबंधित वित्त वर्ष समाप्त होने के 2 वर्ष के भीतर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा। यदि लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आगे अनुदानों में विलंब किए जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार नीतिगत निर्देशों के अनुसार इन प्रावधानों का पालन किए बिना अनुदान जारी करने की स्थिति में नहीं होगी।

(ii) लेखाओं की विधिवत लेखा-परीक्षा संबंधित लेखा-परीक्षा प्राधिकारी या किसी सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली तथा संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को लेखाओं का प्रमाणित विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7. नियमित कार्यकलापों के अनुदानों के लेखाओं को प्रस्तुत करना

(क) कॉलेज/स्कूल की एनएसएस यूनिट एनएसडीएस नियमित कार्यकलापों के लिए प्राप्त निधियों के लेखाओं को वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद एक माह की अवधि के भीतर कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करेगी।

(ख) विश्वविद्यालय/+2 स्तर का कार्यक्रम समन्वयक विधिवत लेखा-परीक्षित समेकित लेखाओं और उपयोग प्रमाण-पत्र को वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद तीन माह की अवधि के भीतर राज्य संपर्क अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। लेखाओं की प्रति संबंधित एनएसडीएस क्षेत्रीय केंद्र को पृष्ठांकित की जाएगी।

(ग) राज्य संपर्क अधिकारी विधिवत लेखा-परीक्षित समेकित लेखाओं तथा उपयोग प्रमाण-पत्र को उस वित्त वर्ष, जिसमें अनुदान प्राप्त किए गए, के समाप्त होने के बाद 2 वर्ष की अवधि के भीतर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को प्रस्तुत न करने से आगामी वर्षों के लिए अनुदान जारी करने में बाधा आने की संभावना है। लेखाओं की प्रति संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को पृष्ठांकित की जानी है।

(घ) विशेष शिविर के लेखाओं पर लागू लेखा परीक्षा, लेखाओं के विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्रों संबंधी सभी प्रावधान एनएसएस नियमित कार्यकलाप अनुदानों के लेखाओं पर लागू होंगे। इन प्रावधानों का पहले ही पैरा संख्या 5 और 6 में उल्लेख किया जा चुका है।

8. वित्तीय रिकार्डों को प्रस्तुत करना

एनएसएस लेखाओं से संबंधित रिकार्डों और रजिस्टरों का महा लेखाकार के अधिकारियों, स्थानीय कोष लेखा-परीक्षा, राज्य संपर्क अधिकारी और संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। इन रिकोर्डों को अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में मांग करने पर इन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों / सप्ताहों की सूची

	दिवस	**तारीख**
01.	राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
02.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
03.	शहीदी दिवस	30 जनवरी
04.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
05.	विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
06.	आतंकवाद रोधी दिवस	21 मई
07.	विश्व तंबाकू रोधी दिवस	31 मई
08.	विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून
09.	विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
10.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त
11.	सद्भावना दिवस	20 अगस्त
12.	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितंबर
13.	अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस	15 सितंबर
14.	एनएसएस दिवस	24 सितंबर
15.	राष्ट्रीय रक्त दान दिवस	1 अक्तूबर
16.	सांप्रदायिक सदभावना दिवस	2 अक्तूबर
17.	राष्ट्रीय एकता दिवस	19 नवंबर
18.	विश्व एड्स दिवस	1 दिसंबर
19.	विश्व मानवाधिकार दिवस	10 दिसंबर

सप्ताह

01.	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	12-19 जनवरी
02.	वन महोत्सव सप्ताह	1-7 जुलाई
03.	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह	8-14 जुलाई
04.	कोमी एकता सप्ताह	19 -25 नवंबर

एनएसएस मुख्य कार्यालयों और क्षेत्रीय केंद्रों की सूची

1	श्री एच. के. शर्मा सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, 2-अमूल सोसाइटी, पाल्डी अहमदाबाद -380007	कोड - 079 26603141 (कार्यालय)	2	श्री एच. एस. सुरेश सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र 57/190, आर वी रोड, बसवानागुडी, बैंगलोर - 560004	कोड- 080 26563530 (कार्यालय) 26573910 (आवास)
3	श्री एस.एस. कैन सहायक. कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, ई-1/123, एरिया कॉलोनी, भोपाल-462016	कोड - 0755 2464817 (कार्यालय) 2462572 (आवास)	4	सुश्री सरिता पटेल युवा अधिकारी एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र प्लॉट नं. 754/1, जयदेव विहार, भुवनेश्वर-751013	कोड - 0674 2360439 (कार्यालय) 2421746 (आवास)
5	श्री एस. के. साहनी उप कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र, केन्द्रीय सदन, चौथा तल सेक्टर- 9 / ए, चंडीगढ़ -160009	कोड - 0172 2743275 (कार्यालय) 2792912 (आवास)	6	श्री एम. राजाम युवा अधिकारी एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र चौथा तल, चौथा ब्लॉक शास्त्री भवन, हैडोज़ रोड, चेन्नई 600006	कोड - 044 28225709 (कार्यालय)
7	डॉ. गोपाल जी उप कार्यक्रम सलाहकार	कोड - 011 23384513	8	श्री गुरदीप सिंह भट्टी उप कार्यक्रम सलाहकार	कोड - 011 23382991

	एनएसएस, कार्यक्रम सलाहकार का सेल, 11/12, जामनगर हाउस नई दिल्ली - 110011	(कार्यालय) 23073324 (कार्यालय) 23073324 (फैक्स)		एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र, 11/15, जामनगर हाउस नई दिल्ली - 110011	(कार्यालय)
9	श्री दीपक कुमार युवा अधिकारी एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र धीरेंद्र भवन, दूसरा तल सप्त (शहीद पथ, मथुरा नगर दिसपुर, गुवाहाटी - 781006	कोड - 0361 2330296 (कार्यालय) 2228945 (आवास)	10	श्री के राजेंद्रन सहायक. कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र तीसरा तल, दूसरा ब्लॉक केन्द्रीय सदन, सुल्तान बाजार, हैदराबाद- 500195	कोड - 040 24657369 (कार्यालय)
11	श्री ए. के. केवलिया सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र एसबी -12, भवानी सिंह रोड, (दुर्लाभजी अस्पताल के सामने) बापू नगर, जयपुर - 302015	कोड - 0141 2701035 (कार्यालय) 22742181 (आवास)	12	सुश्री ए. वालंग उप कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र 3, चर्च लेन कोलकाता- 700001.	कोड - 033 2243-9233 (कार्यालय) 2461-7803 (आवास)
13	श्री जे बी सिंह सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र केन्द्रीय भवन, 8 वां तल, हॉल -1 सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ -226024	कोड - 0522 2381545 (कार्यालय) 2761753 (आवास)	14	श्री डी. एन. पाठक सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र रेणु कुटीर, सी / 15-बी, ललिता होटल के सामने, बशावन पार्क रोड, एस के पुरी, पटना - 800001	कोड - 0612 2205474 (कार्यालय) 2592596 (आवास)

15	श्री एम. एस. जंभुले सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र 'अलंकार' बिल्डिंग, पहला तल 25, मुकुंदनगर, पुणे - 411037	कोड - 020 24273078 (कार्यालय)	16	सहायक कार्यक्रम सलाहकार एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल पीओ-पून्नाकुलम, वेल्लयानी, त्रिवेंद्रम-695522	कोड - 0471 2481814 (कार्यालय)

अनुबंध- III

राज्य सम्पर्क सेलों से एनएसएस पर तिमाही रिपोर्ट

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने हेतु। कार्यक्रम सलाहकार के सेल और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रतिलिपि के साथ)

(मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर को समाप्त तिमाही)

भाग- I

1 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम :

2 राज्य संपर्क अधिकारी का नाम :

3 पूर्णकालिक / अंशकालिक (यदि पूर्णकालिक हो, तो क्या एनएसएस के अलावा कोई अन्य प्रभार धारक है (यदि हां, तो विवरण दें।) :

4 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :

5 राज्य सम्पर्क सेल का स्थान

(क) विभाग जिससे सम्बद्ध है :

(ख) नियंत्रक/रिपोटिंग अधिकारी का

नाम और पदनाम :

(ग) पिन कोड के साथ डाक पता :

(घ) एसएलओ का टेलीफोन नंबर और उसका

नियंत्रक अधिकारी : कार्यालय :

आवास :

टेलेक्स / फैक्स :

<u>भाग- II</u>

1 स्वयंसेवकों की संख्या

(क) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार

को आबंटित एनएसएस स्वयंसेवक की संख्या :

(ख) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों / + 2 स्तर

के लिए स्वीकृत और आबंटित एनएसएस की संख्या :

(i) विश्वविद्यालय :

(ii) +2 स्तर के स्कूल (यदि कोई हो) :

(ग) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एनएसएस प्रचालन

(क) विश्वविद्यालयों की संख्या जिनमें एनएसएस हैं :

(ख) कॉलेजों की संख्या जिनमें एनएसएस हैं :

(ग) +2 स्कूलों / जूनियर कॉलेजों की संख्या जिनमें

एनएसएस हैं :

कॉलेज +2 स्कूल कुल

(घ) एनएसएस यूनिटों की संख्या:

(ड.) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एनएसएस कार्यक्रम समन्वयकों की संख्या : पूर्ण कालिक अंशकालिक

(च) क्या सभी विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयकों को उल्लंघन को रोकने के लिए अगस्त में परिचालित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियुक्त किया गया है :

	पुरुष	महिला	कुल
(छ) प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :			
प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :			

(ज) एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं :

(घ) लेखे

(क) राज्य स्तर पर समेकित लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण किस वर्ष तक भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है :

(ख) लेखाओं को भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत करने के लिए उठाए गए कदम :

(ड.) एनएसएस राज्य सलाहकार समिति

(क) क्या एनएसएस राज्य सलाहकार समिति गठित की गई है :

(ख) तिथियां जिस दिन राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई :

(ग) यदि समिति की बैठकें समय-समय पर नहीं की गई हैं, तो:

बैठक आयोजित करने के लिए उठाए गए कदम :

(च) क्या आपने राज्य में एनएसएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विश्वविद्यालयों / + 2 स्तर द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कोई उल्लंघन पाया है।

यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए उठाए गए कदम :

(छ) तिमाही के दौरान विश्वविद्यालयों / कॉलेजों और अन्य एजेंसियों के दौरे यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें :

क्रम सं.	**तिथि**	**स्थान**	**उद्देश्य**	**परिणाम**

(ज) निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम और एनएसएस सम्बद्ध कार्यकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों का विवरण

(क) राष्ट्रीय अखण्डता शिविर

(ख) राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार

(ग) एनएसएस आर.डी. शिविर प्रतिभागियों का चयन

(घ) युवा प्रदर्शनियां

(ड.) संगोष्ठियां / कार्यशालाएं / परामर्श, यदि कोई

अनुबंध- IV

सभी एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रों / कार्यक्रम समन्वयकों (एनएसएस) / राज्य संपर्क अधिकारियों (एनएसएस) / समन्वयकर्ताओं (प्रशिक्षण) (टीओसी/ टीओआरसी) को संबोधित दिनांक 18 मई, 1994 के पत्र संख्या एफ.16-7/93- वाईएस.III की प्रतिलिपि

विषय : एनएसएस दिवस - परिवर्तन मनाना

जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 24 सितंबर, 1993 को एनएसएस के मुख्य कार्मिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में और एनएसएस एसजेवाई की शुरूआत करते हुए माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह घोषणा की कि अब से प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर एनएसएस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि कृपया भविष्य में 24 सितंबर को उचित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश भेंजे।

अनुबंध- V

कुलपति / राज्य संपर्क अधिकारियों / सभी एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रमुखों /सभी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम समन्वयकों को संबोधित दिनांक 16 मार्च, 1992 के पत्र संख्या 2-1/91- वाईएस.III की प्रतिलिपि

विषय : विश्वविद्यालयों द्वारा रखे गए बचत बैंक खातों में एनएसएस अनुदान से अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में निर्देश

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालयों द्वारा रखे गए बचत बैंक खातों में एनएसएस अनुदान से अर्जित ब्याज की राशि के उपयोग का मुद्दा कुछ समय से विभाग में विचाराधीन है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक खाते का उपयोग ऐसे उपकरण की खरीद के लिए किया जा सकता है जो फील्ड कार्य के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यह खरीद तभी की जानी चाहिए जब ऐसी खरीद के प्रस्ताव का निर्णय विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक में किया जाए जिसमें एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र का प्रतिनिधि और राज्य संपर्क अधिकारी उपस्थित हों।

2. चूंकि सरकार द्वारा वाहन और ऑडियो-विजुअल सामग्री और अन्य महंगे उपकरण की खरीद पर रोक है, अत: यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस राशि में से केवल बहुत अनिवार्य और कम महंगे उपकरण ही खरीदे जाएं।

अनुबंध- VI

कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस, कुरुक्षेत्र, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को संबोधित और विश्वविद्यालयों में सभी कार्यक्रम समन्वयकों, एनएसएस को पृष्ठाकित दिनांक 27 जुलाई, 1977 के पत्र संख्या एफ.1-12/77- वाईएस की प्रतिलिपि

विषय : जेब खर्च भत्ता - आयकर से छूट

मुझे उपरोक्त विषय पर 12 मई, 1977 के पत्र संख्या एनएसएस/3/1406 का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कॉलेजों में एनएसएस के शिक्षकों को अदा किए जाने वाले जेब खर्च (प्रतिमाह 75/-रू. तक) में लोगों से मिलने, विद्यार्थियों की स्थापना और नगर पालिका सीमा / 8 किलो मीटर के भीतर यात्रा जैसे अन्य व्यय पर व्यय शामिल होगा और यह आयकर से भुगतान से छूट प्राप्त है।

इसका निर्णय दिनांक 20.7.1997 के उनके यू.ओ.नोट.संख्या.200/61/77-I -टी (ए.I) के संदर्भ में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के परामर्श से किया गया है।

अनुबंध- VII

इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार

एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस यूनिटों और विश्वविद्यालयों एनएसएस सेलों द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवाओं का सम्मान करते हुए, भारत सरकार ने फील्ड पदधारियों के लिए एनएसएस पुरस्कार शुरू किए हैं।

2. उद्देश्य :

* समुदाय सेवा में विश्वविद्यालय एनएसएस सेल, कार्यक्रम अधिकारियों, कॉलेज / + 2 एनएसएस यूनिटों और एनएसएस विद्यार्थी स्वयंसेवकों के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करना।

* युवा एनएसएस विद्यार्थी स्वयंसेवकों को समुदाय सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करने और सकारात्मक सामाजिक प्रवृति और मूल्य आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. पुरस्कार हेतु पात्रता

3.1 विश्वविद्यालय / + 2 परिषद

(क) ऐसे विश्वविद्यालय / + 2 परिषद पर ही विचार किया जाएगा जो लगातार पिछले पांच वर्षों से एनएसएस कार्यक्रम चला रही है।

(ख) ऐसे संस्थान के स्वयंसेवकों की न्यूनतम संख्या 1,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) संस्थान अपनी कार्यक्रम रिपोर्टों और वित्तीय विवरणिकाओं को प्रस्तुत करने में बिल्कुल नियमित और समय का पाबंध होना चाहिए।

(घ) वास्तविक पंजीकरण और विशेष शिविर लक्ष्य उस वर्ष से पहले कम से कम 3 वर्षों तक पूरी तरह और निरंतर प्राप्त किए गए हों जिस वर्ष में एनएसएस पुरस्कार पर विचार किया जाना है।

(ड.) सभी एनएसएस यूनिटों ने गांवों / मलिन बस्तियों / स्थानीय क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास और संपूर्ण साक्षरता के लिए गोद लिया हो।

(च) एनएसएस सेल के विरूद्ध सतर्कता को कोई मामला/ जांच लंबित नहीं होना चाहिए।

3.2 **एनएसएस यूनिट और कार्यक्रम अधिकारी**

(क) एनएसएस यूनिट उस वर्ष से पहले निरन्तर पांच वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में रही हो जिस वर्ष के लिए पुरस्कार पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यूनिट ने गत लगातार गत 3 वर्षों तक अपने पंजीकरण और विशेष शिविर लक्ष्य प्राप्त किए हों।

(ग) ऐसे कॉलेजों / स्कूलों जहां एक से अधिक एनएसएस यूनिट हो, में ऐसी यूनिटों ने लगातार अपने पंजीकरण और शिविर के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किए हों।

(घ) प्रत्येक एनएसएस यूनिट ने गांव / मलिन बस्ती / स्थानीय क्षेत्र गोद लिए हों और निरन्तर अपने कार्यकलाप कर रही हो।

(ड.) एनएसएस यूनिट ने गोद लिए गांव / शहरी मलिन बस्ती / समुदाय में स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की हों और उपलब्धियां हासिल की हों।

(च) सभी एनएसएस यूनिटों के कार्यक्रम अधिकारियों का चयन एनएसएस मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया गया हो।

(छ) उसे टीओआरसी / टीओसी में प्रशिक्षण दिया गया हो और उसके मामले पर पुरस्कार के लिए विचार किए जाने से पहले उसने कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कम से कम दो वर्ष पूरे किए हों।

(ज) एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार उस कार्यक्रम अधिकारी को जाएगा जिसकी यूनिट ने उसी वर्ष के लिए एनएसएस यूनिट पुरस्कार प्राप्त किया है।

(झ) उसके विरूद्ध सतर्कता का कोई मामला / जांच लंबित न हो।

3.3 **एनएसएस स्वयंसेवक**

(क) विद्यार्थी ने एनएसएस में कम से कम 2 वर्ष की स्वयंसेवक धारिता पूरी की हो।

(ख) उसने कम से कम दो विशेष शिविर कार्यक्रमों और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दिल्ली में आर.डी. परेड शिविर, राष्ट्रीय अखण्डता शिविर, राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर, अन्तर- राज्य युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कम से कम एक बार भाग लिया हो।

(ग) वह 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु का न हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए।

(घ) उसने स्वयंसेवक धारिता के लगातार दो वर्षो के दौरान 240 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी की हो।

(ड.) उसका शैक्षिक कार्य निष्पादन पर्याप्त रूप से उत्तम हो।

4. **पुरस्कार का स्वरूप**

क्र.सं.	**श्रेणी**	**पुरस्कार की संख्या**	**पुरस्कार का मूल्य**
1	विश्वविद्यालय + 2 परिषद (राज्य स्तर)	1	1,00,000 / - रु. (एनएसएस कार्यक्रम विकास के लिए)
2	कार्यक्रम अधिकारी	6	प्रत्येक 10,000 / - रु.
3	एनएसएस यूनिट	6	प्रत्येक 30,000 / - रू. (कार्यक्रम विकास के लिए)
4	एनएसएस स्वयंसेवक	16	प्रत्येक 8,000 / - रू., का जिसमें युवा और समुदाय विकास के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसी में एक सप्ताह के स्थापन पर व्यय शामिल है

अनुबंध- VIII

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

कार्य-डायरी

वर्ष

विश्वविद्यालय का नाम ----------

कॉलेज का नाम ----------

जीवनवृत्त

1. नाम ----------
2. जन्म तिथि ----------
3. कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं ----------
4. आवासीय पता ----------

   ----
5. एनएसएस में शामिल होने का वर्ष ----------
6. एनएसएस समूह संख्या ----------
7. पिता / अभिभावक का नाम ----------
8. व्यवसाय ----------
9. पता ----------
   ----
10. विद्यार्थी का रक्त समूह ----------

....

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर स्वयंसेवक के हस्ताक्षर

1. **एनएसएस विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता**

   (i) सभी स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मनोनीत समूह नेता के मार्गदर्शन में काम करेंगे

   (ii) वे स्वयं को समुदाय नेतृत्व का विश्वास और सहयोग का पात्र बनाएंगे

   (iii) वे ईमानदारी से किसी भी विवादास्पद मुद्दे में पडने से बचेंगे।

   (iv) वे अपने कार्यकलापों / अनुभव का दिन-प्रतिदिन का रिकॉर्ड डायरी के संलग्न पृष्ठों में रखेंगे और इसे समूह नेता / कार्यक्रम अधिकारी को आवधिक मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

   (v) प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए काम के समय एनएसएस बैज पहनना अनिवार्य है।

2. लक्ष्य और उद्देश्य (उल्लेख किया जाना है)

3. एनएसएस की शर्तें (उल्लेख किया जाना है)

4. अनुकूलन (उल्लेख किया जाना है)

राष्ट्रीय सेवा योजना **कार्य डायरी (नियमित कार्यकलाप)**

क्र. सं.	**तिथि**	**काम करने का स्थान**	**कार्य का विवरण**	**समय**	**कुल समय**	**स्वयंसेवक के हस्ताक्षर**	**ग्रुप नेता के हस्ताक्षर**	**टिप्पणियों**

.....

.....

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य डायरी (विशेष शिविर कार्यक्रम)

....

तिथि से	तिथि तक	शिविर का स्थान	शुरू किए गए कार्यकलाप	अनुभव	सामने आई कठिनाइयां और सुझाव

....

स्वयंसेवक के हस्ताक्षर

....

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

उल्लेखनीय अनुभव / कार्यकलापों पर नोट

<u>अनुबंध- IX</u>

विश्वविद्यालय का नाम
राष्ट्रीय सेवा योजना

(एनएसएस चिन्ह)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / श्रीमति _____

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री _____, जो _____कॉलेज की कक्षा ..... का / की विद्यार्थी है, ने ..... से .....तक एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में _____से_____ तक दो वर्ष की अवधि पूरी की है ।

इन्होंने _____ (विषय) के तहत आयोजित .....में ..... से .....तक और ..... से .....तक एनएसएस शिविर / शिविरों में भी भाग लिया है।

कुलपति **कार्यक्रम समन्वयक** **प्रिंसिपल**

एनएसएस

तिथि _____

अनुबंध- X

राष्ट्रीय सेवा योजना

विश्वविद्यालय / + 2 परिषद की छमाही रिपोर्ट

(राज्य सरकार और एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यक्रम सलाहकार के सेल, भारत सरकार को प्रतिलिपि प्रेषित)

सितंबर / मार्च को समाप्त अवधि की रिपोर्ट .....

विश्वविद्यालय के बारे में मूलभूत जानकारी

1	राज्य	:	
2	विश्वविद्यालय	:	
3	कार्यक्रम समन्वयक का नाम	:	
4	अंशकालिक / पूर्णकालिक	:	
5	नियुक्ति की तारीख	:	
6	विश्वविद्यालय / + 2 स्तर पर एनएसएस के लिए सहायक स्टाफ की संख्या (कार्यक्रम समन्वयक सहित)	:	
7	विश्वविद्यालय / + 2 स्तर की सलाहकार समिति की अंतिम बैठक की तिथि	:	
8	एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	:	
9	विश्वविद्यालय और कॉलेज / + 2 स्तर पर विद्यार्थियों की कुल संख्या	:	
10	राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आबंटित एनएसएस की संख्या	:	
11	एनएसएस स्वयंसेवकों की वास्तविक संख्या	:	**पुरुष महिला कुल**
12	एनएसएस वाले कॉलेजों / + 2 स्कूलों की संख्या:		
13	एनएसएस यूनिटों की कुल संख्या	:	

14 पदधारी कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :

15 प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :

16 प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :

17 गोद लिए गए गांवों / मलिन बस्तियों की संख्या :

18 **एनएसएस नियमित / विशेष कार्यक्रम के लिए निधियां**

विश्वविद्यालय / + 2 परिषद द्वारा प्राप्त निधियां

नियमित कार्यकलापों के लिए	**विशेष शिविरों के लिए**
प्राप्ति का दिन :	प्राप्ति का दिन :
प्राप्त होने की तारीख :	प्राप्त होने की तारीख :

विश्वविद्यालय / + 2 परिषद में स्थापना हेतु प्रति व्यक्ति व्यय

विशेष शिविर कार्यक्रम

(i) भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की कुल संख्या :

(ii) आयोजित शिविरों की संख्या :

1 **साक्षरता**

1.1 भाग लेने वाले विद्यार्थी स्वयंसेवकों की संख्या : **पुरुष** **महिला** **कुल**

1.2 सम्पूर्ण साक्षरता के लिए गोद लिए गए गांवों / मलिन बस्तियों की संख्या:

1.3 निरक्षरों की कुल संख्या : **पुरुष** **महिला** **कुल**

1.4 साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या : **पुरुष** **महिला** **कुल**

1.5 गोद लिए गांव / क्षेत्रों की संख्या जिन्हें :
पूर्णत: साक्षर बनाया गया (गोद लिए क्षेत्र
में साक्षरता स्थिति / प्राप्त प्रतिशत का
उल्लेख करें) सूची संलग्न करें

2 **पर्यावरण / बंजर भूमि विकास और संरक्षण**

2.1 आयोजित शिविरों की संख्या :

2.1.1 वृक्षारोपण (वीएएन) :

2.1.2 लगाए गए पौधे की संख्या :

2.1.3 पौधो के जीवित रहने की दर :

(जीवित रहने वाले पौधों की संख्या / लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या) x 100

2.1.4 शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित : .... **हेक्टेयर**

क्षेत्र शामिल वास्तविक क्षेत्र : .... **हेक्टेयर**

2.1.5 अन्य कोई पर्यावरण कार्यक्रम
शामिल क्षेत्र : ....

लाभार्थियों की संख्या : ....

2.2 **सड़कों का पुनर्निर्माण / मरम्मत**

2.2.1 बिछाई गई सडकों की दूरी : .... **किलोमीटर**

2.2.2 दिनों की संख्या :

2.3 **वाटरशेड संरक्षण और पेय जल सुविधाएं**

2.3.1 इस मुद्दे पर शिविर / शिविर लगाने की संख्या :

2.3.2 कुओं / क्रॉस बण्डों / जल संचयन सरंचनाओं/
सिंचाई नहरों / अन्य की संख्या :

2.3.3 सृजित ऐसी सुविधाओं की संख्या :

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

3.1 टीकाकरण / स्वास्थ्य शिविर :

3.1.1 आयोजित टीकाकरण / स्वास्थ्य शिविर :

3.1.2 आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और
लाभार्थी का विवरण स्वास्थ्य कार्यक्रम (निर्दिष्ट करें): **पुरूष : महिला :**

3.2 रक्तदान शिविर

3.2.1 आयोजित रक्तदान शिविरों की संख्या :

3.2.2 एकत्रित रक्त यूनिटों की संख्या :

3.3. जन शिक्षा

3.3.1 आयोजित अभियानों की संख्या :

3.3.2 शामिल व्यक्तियों की संख्या : **पुरुष : महिला :**

3.4 नशीली दवाओं के सेवन का उन्मूलन

3.4.1 आयोजित शिविरों / जागरूकता शिविरों की संख्या :

3.4.2 लाभार्थियों की संख्या : **पुरूष : महिला :**

4 महिलाओं के लिए कार्यक्रम

4.1 कार्यक्रमों का स्वरूप :

4.2 आयोजित शिविरों की संख्या :

4.3 लाभार्थियों की संख्या :

4.4 सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध
अभियान (यदि कोई हो) :

5 अस्पतालों, अनाथालयों और निराश्रय घरों में कार्य

5.1 लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या :

6 आपातकाल के दौरान कार्य

6.1 कार्य का प्रकार: चक्रवात / भूकंप / बाढ़ / अकाल / दंगे / अन्य क्षेत्र (निर्दिष्ट करें) :

6.2 लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या :

7 एड्स जागरूकता (यूटीए)

7.1 चिन्हित कॉलेजों / + 2 स्कूलों की संख्या :

7.2 प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या :

7.3 प्रशिक्षित समकक्ष शिक्षकों की संख्या :

7.4 लाभार्थियों की संख्या : **पुरुष : महिला :**

8. उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य : कार्यक्रम, कृपया 50 शब्दों में सांख्यिकीय डेटा दें

.....

स्थान: कार्यक्रम समन्वयक,

तिथि: एनएसएस के हस्ताक्षर

अनुबंध- XI

राष्ट्रीय सेवा योजना

टीओआरसी / टीओसी द्वारा छमाही रिपोर्ट

(एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य संपर्क सेल और भारत सरकार (वाईएसआईआईआई अनुभाग) को प्रतिलिपि प्रेषित)

सितंबर / मार्च को समाप्त होने वाली अवधि की रिपोर्ट ..... राज्य: .....

1 केंद्र का नाम :

2 पता :

3 आवासीय पता और फोन नम्बर :

4 टीओआरसी / टीओसी के कार्मिक

क्र.सं.	आधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल	
			से	तक

5 अनुकूलन पाठ्यक्रम के आयोजनों का कैलेंडर

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम संख्या**	**अवधि**		**प्रतिभागियों की संख्या**		
		से	**तक**	**पुरूष**	**महिला**	**कुल**

6 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजनों का कैलेंडर

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम की संख्या**	**अवधि**		**प्रतिभागियों की संख्या**		
		से	**तक**	**पुरूष**	**महिला**	**कुल**

7 अन्य पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों के आयोजनों का कैलेंडर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम की संख्या	अवधि		प्रतिभागियों की संख्या		
		से	तक	पुरूष	महिला	कुल

8. प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी :

(प्रतिभागियों की सूची संलग्न करें)

9. चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या

(क) अनुकूलन पाठ्यक्रम :

(ख) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :

10. टीओआरसी / टीओसी अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरे, यदि कोई हो

क्र.सं.	आधिकारी का नाम	दौरा करने का स्थान	उद्देश्य	अवधि		अभ्युक्तियां
				से	तक	

11. सलाहकार समिति

(क) क्या गठित की गई है :

(ख) यदि हां, आयोजित बैठकों की संख्या :

12. अनुदान स्थिति का विवरण

क्र.सं.	टीओसी/ टीओआरसी के पास अप्रयुक्त शेष	के पास राशि प्राप्त होने की तिथि	प्राप्त कुल राशि	व्यय	बाकी अप्रयुक्त शेष, यदि कोई हो

1 स्थापना

2 कार्यक्रम

3 अन्य कार्यक्रम

.....

.....

13. परियोजनाएं, अनुसंधान दस्तावेज, प्रकाशन (आदि)

.....

स्थान: समन्वयक (प्रशिक्षण) के हस्ताक्षर

तिथि: एनएसएस: टीओआरसी / टीओसी

निदेशक (टीओआरसी / टीओसी)
संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर

अनुबंध- XII

सभी राज्य संपर्क अधिकारियों (एनएसएस)/कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस/सभी एनएसएस क्षत्रीय केन्द्रों के प्रमुखों / समन्वयकों (प्रशिक्षण), टीओआरसी/टीओसी को संबोधित दिनांक 29 सितंबर, 1993 के पत्र सं. 1-19/93-वाईएस.III की प्रतिलिपि।

विषय : विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक व्यय को प्रति वर्ष प्रत्येक स्वयंसेवक 15/- रू. से बढ़ाकर 20/-रू. और 25/-रू. करना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर के एनएसएस सेलों को पेश आ रही रखरखाव व्यय की कमी को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय / +2 स्तर पर प्रशासनिक व्यय में संशोधन का मुद्दा कुछ समय से इस विभाग के विचाराधीन रहा है। अब अन्तरिम उपाय के रूप में 10000 तक एनएसएस स्वयंसेवक की संख्या वाले विश्वविद्यालय के लिए प्रशासनिक व्यय की कटौती की राशि को प्रति वर्ष प्रति स्वयंसेवक मौजूदा 15/-रू. से बढाकर 25/-रू. करने का निर्णय लिया गया है। इस बढाई गई राशि की पूर्ति कॉलेजों / +2 स्कूलों के लिए कार्यक्रम विकास हेतु निधि से की जानी है। इस निर्णय का कार्यान्वन करते समय राज्य / संघ राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों से निम्नलिखित शर्तें ध्यान में रखने की अपेक्षा है :-

i. उपरोक्त बढाई गई दर केवल उन्हीं मामलों में प्रभावी हो सकती है जिनमें विश्वविद्यालय एनएसएस सेलों में प्रशासनिक व्यय की वास्तव में कमी है। जिन मामलों में प्रति वर्ष प्रति सेवक प्रति 15/-रू. की कटौती प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए पर्याप्त है, उनमें प्रशासनिक व्यय में संशोधन को लागू नहीं किया जाना है।

ii. राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे वास्तविक प्रशासनिक व्यय को यथा संभव न्यूनतम रखें और शेष को कार्यक्रम विकास के लिए एनएसएस यूनिटों को अन्तरित कर दें।

2. इसे वित्त यूनिट की दिनांक 17.09.1993 की डायरी संख्या.3275/93/ एफयू द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

<u>अनुबंध- XIII</u>

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षा सचिवों को संबोधित दिनांक 28.04.1978 के पत्र संख्या.एफ.1-13/78-वाईएस.III की प्रतिलिपि

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना सेवा स्कीम - एनएसएस निधियों से खरीदे गए वाहन और उपकरण

राष्ट्रीय सेवा योजना 1969-70 से चालू है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है जो फिर अपना हिस्सा जोड़कर आगे इसे विश्वविद्यालयों को जारी करती है। इसमें से व्यय, जहां तक संभव हो, एनएसएस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ही किया जाना चाहिए।

2. कार्यक्रम, विशेष रूप से शिविर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, बर्तनों, कुदालियों और फावड़ियों और पेट्रोमैक्स इत्यादि जैसे कुछ न्यूनतम उपकरण आवश्यक हो जाते हैं; और कॉलेजों द्वारा सामान्य एनएसएस अनुदान में से इस प्रकार के उपकरण की खरीद पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, यह देखा गया है कि अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा एक या एक से अधिक वाहन एनएसएस निधियों से खरीदे गए हैं। हमारी जानकारी में यह भी लाया गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों में एनएसएस निधियों से टेपरिकॉर्डर और कैमरों जैसे ऑडियो-विज़ुअल उपकरण भी खरीदे गए हैं। इसे योजना की भावना के विरूद्ध माना जाएगा।

3. इस पूरे मामले की इस मंत्रालय में समीक्षा की गई है। मितव्ययता के निर्देशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि एनएसएस निधियों से किसी भी वाहन या ऑडियो-विज़ुअल उपकरण की खरीद पर पूर्णत: रोक है। इसी प्रकार निधियों से कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, टेलीफोन आदि की खरीद की अनुमति नहीं है। ये सुविधाएं विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सामान्य प्रशासनिक बजट में से प्रदान की जानी चाहिए।

4. ऐसे विश्वविद्यालयों, जिन्होंने पहले ही एनएसएस निधियों में से एक वाहन खरीद लिया है, के मामले में, उन्हें इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा जाए। यदि वाहन 1972 के दौरान या इससे पहले खरीदा गया है, तो इस बात की समीक्षा की जाए कि क्या वाहन का रखरखाव या इसकी माइलेज मितव्ययता सीमाओं के भीतर है। यदि वाहन की आर्थिक दृष्टि से मरम्मत / रखरखाव नहीं किया जा सकता है, तो आम नीलामी से इसे बेच दिया जाना चाहिए और इससे मिलने वाले धन को उस वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की एनएसएस निधियों में जमा किया जाना चाहिए, जिस वर्ष में वाहन बेचा गया है। इसके बदले कोई नया वाहन खरीदने की अनुमति नहीं है। यदि वाहन 1972 के बाद खरीदा गया है और इसका रखरखाव और मरम्मत अभी भी किफायती है, तो इस शर्त पर इसे विश्वविद्यालय के अन्य वाहनों के साथ पूल में साथ रखा जा सकता है कि एनएसएस को ऐसे वाहनों के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के

अनुसार पीओएल प्रभार के भुगतान पर इसके प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वाहन के रखरखाव और इसके चलाने की लागत तथा ड्राइवरों को वेतन विश्वविद्यालय की सामान्य प्रशासनिक निधियों से देय होगा, जिनसे अन्य वाहनों पर व्यय पूरा किया जाता है। जिन विश्वविद्यालयों ने एक या एक से अधिक वाहन खरीदा है तो एक वाहन से अतिरिक्त वाहनों को बेच दिया जाना चाहिए और इसके बाद बचे एक वाहन को उपरोक्त दी गई प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य वाहनों के साथ पूल में रखा जाना चाहिए।

5. यह अनुरोध है इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और उनसे इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए। अनुरोध है कि वाहनों को बेचने या उन्हें पूल करने के संबंध में अंतिम रूप से तैयार रिपोर्ट राज्य स्तर पर समेकित की जाए और इसे 31.07.1978 तक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती दे।

अनुबंध- XIV

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशसानों के शिक्षा सचिवों को संबोधित दिनांक 18.03.1986 के पत्र संख्या.एफ.1-47/85-वाईएस.III की प्रतिलिपि

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना - एनएसएस निधियों से ऑडियो-विजुअल उपकरण आदि की खरीद

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सेवा योजना 1969-70 से चालू है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है जो फिर अपना हिस्सा जोडकर आगे इसे विश्वविद्यालयों को जारी करती हैं फिर विश्वविद्यालय इसे कार्यान्वयन के लिए कॉलेजों को जारी करते हैं। ये निधियां मुख्यत: कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए निर्धारित होती हैं और जहां तक संभव हो, व्यय, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ही किया जाना होता है। इस विभाग द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 1985 के समसंख्क पत्र द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष 80/-रू. की राशि, जो नियमित कार्यकलापों के लिए निर्धारित होती है, का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है: -

i)	राज्य स्तर पर स्थापना व्यय	3/- रू.
ii)	विश्वविद्यालय स्तर पर व्यय	10/- रू.
ii)	कॉलेज स्तर पर व्यय	
	(क) प्रशासनिक व्यय	15/- रू.
	(ख) कार्यक्रम विकास	52/- रू.
	कुल	80/- रू.

2. समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, एनएसएस निधियों से किसी भी वाहन या ऑडियो-विजुअल उपकरण की खरीद पर पूर्णत: रोक है। इसी प्रकार, निधियों से कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, टेलीफोन आदि की खरीद की अनुमति नहीं है। ये सुविधाएं विश्वविद्यालयों द्वारा एनएसएस कार्यक्रम में अपने अंशदान के अनुसार अपने सामान्य प्रशासनिक बजट में से प्रदान की जानी चाहिए। हमारी जानकारी में यह लाया गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों में एनएसएस निधियों से टेपरिकॉर्डर और कैमरों जैसे ऑडियो-विज़ुअल उपकरण खरीदे गए हैं। यह अत्यंत अनियमितता है और इसे लेखा परीक्षा में वैध व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों को ये उपयुक्त निर्देश जारी करें कि वे समय-समय पर विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करें। कृपया यह

भी स्पष्ट किया जाए कि यदि ऐसा अस्वीकार्य व्यय किया जाता है और इसे लेखा परीक्षा के माध्यम से या अन्यथा रूप में विभाग की जानकारी में लाया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय / कॉलेज को इसे अपने बजट में व्यय के नामे डालना होगा।